खण्ड-443, अंक-1
शुक्रवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(23 अगस्त, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 443 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख
चौदहवीं विधान सभा सदस्यों की सूची, श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारीगण तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची...	क-झ
उपस्थित सदस्य	ट-ठ
प्रदेश के अन्य जनपदों सहित जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना पर तत्काल चर्चा की मांग (जारी) ...	1
सभी सदस्यों से अध्यक्ष पीठ के प्रति सम्मान बनाये रखने हेतु श्री अध्यक्ष का अनुरोध	1
प्रदेश के अन्य जनपदों के सहित जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना पर तत्काल चर्चा की मांग (जारी) ...	1-13
प्रश्नोत्तर	13-71
प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना पर तत्काल चर्चा की मांग (जारी) ...	72-75
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	76
जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खुलवाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद आजमगढ़ के उप केन्द्र अतरौलिया की ध्वस्त विद्युत लाइनों को अविलम्ब ठीक कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद गाजीपुर के कुछ अराजक-तत्वों से स्वयं विधायक को खतरा उत्पन्न होने से सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड बढ़ाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	77
शाहजहांपुर के अब्दुल्लागंज क्षेत्र में स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	77-78
जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत मवई के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद सीतापुर में अन्य जनपदों की भांति एवम् प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा-मित्रों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र शीघ्र वितरित कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78
भारतीय महिला उपभोक्ता सहकारी समिति लि० महोलिया शिवपार कैनाल रोड, रेलवेगंज हरदोई द्वारा किसानों से खरीदे गये करोड़ों रुपये के गेहूं के भुगतान में की गयी धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	78-79
प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना पर तत्काल चर्चा की मांग (जारी) ...	79-80
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	80-81

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना पर तत्काल चर्चा की मांग... ...	81
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002, (सदन के पटल पर रखा गया)	81
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	81
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	81
दिनांक 22 मई, 2002 को श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक उत्तर के संबंध में आवास एवं नगर विकास, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री का शोधन वक्तव्य	82-84
उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक,. 2002 (पुरःस्थापित)	84-85
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	85-87
उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 (पारित)	87-103
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग (स्वीकृत)	103-105
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)...	106
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	106
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ...	106-107
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	107
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)...	107-108
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)..	108
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ...	108

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)... ...	108-109
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	109
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	109-110
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) (स्वीकृत)	110
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	110-111
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) ...	111
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	111
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	111-112
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) ...	112
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ...	112-113
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–69 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत)	113
सदन में शान्ति एवं मर्यादा बनाये रखने हेतु श्री अध्यक्ष का अनुरोध ...	113
विपक्ष द्वारा सदन का बहुमूल्य समय नष्ट किये जाने पर आपत्ति... ...	114
प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक सूचना पर चर्चा	114-131
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	131-133
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	133

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता संवर्ग के पदों को पदोन्नति द्वारा न भरे जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	134-135
प्रदेश में मंहगाई को देखते हुये अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के गरीब छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति को उसी अनुपात के आधार पर बढ़ाये जाने विषयक श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	135-136
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा अपने प्रकाशनों वेदों एवं वैदिक मान्यताओं को झुठलाने तथा उनके विषय में भ्रान्तियां उत्पन्न करने विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा एवं भाषा मंत्री का वक्तव्य	136-137
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में मानकों के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	137-138
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में शारदा नदी के कटान से हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा न दिये जाने के संबंध में डा० विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	138
जनपद शाहजहांपुर में रोज़ा थर्मल पावर स्टेशन शीघ्र चालू कराये जाने विषयक श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	139-140
जनपद गाजियाबाद स्थित घौलाना मोड़ पर स्थित भैरो मंदिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने विषयक श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	140-141
जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों से किसानों की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई न हो पाने विषयक श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	141-142
जनपद बलिया के थाना नरही के ग्राम अमांव के ग्राम प्रधान मो० इलियास को जान से मारने की धमकी देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने विषयक श्री अम्बिका चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	142

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ में आयी आंधी से टूटे बिजली तारों के स्पर्श से हुई एक बालिका की मृत्यु के संबंध में आर्थिक क्षतिपूर्ति का भुगतान न किये जाने के संबंध में **श्री दुर्गा** प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर **ऊर्जा मंत्री का केवल** वक्तव्य	143
काशी विद्यापीठ के पूर्व वाइस चांसलर तथा समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्र देव तथा **भारतरत्न** डा० भगवान दास की प्रतिमा के गायब हो जाने विषयक **श्री श्याम** देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य **मंत्री का केवल** वक्तव्य	143-144
श्री अखिलेश कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा का प्रकरण सी०आई०डी० जांच हेतु सुपुर्द किये जाने की मांग	144-146
प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक दिनांक 14 अगस्त, 2002 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्र०सं० 1 के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद आदि द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	146
नत्थी	147-152

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा सदस्यों की सूची

1–अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4–अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5–अजय कुमार, श्री — बागपत
6–अजय राय, श्री — वाराणसी
7–अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — बदायूं
8–अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
9–अताउल रहमान, श्री — बरेली
10–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11–अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
12–अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
13–अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14–अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
15–अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
16–अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17–अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
18–अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
19–अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
20–अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
21–अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
22–अनुराधा चौधरी, सुश्री — मुजफ्फरनगर
23–अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
24–अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
25–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
26–अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
27–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
28–अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
29–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
30–अमरमणि, श्री — महराजगंज
31–अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
32–अमिता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
33–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
34–अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
35–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
36–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
37–अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा० — जालौन
38–अरुण कुमारी, सुश्री — कानपुर देहात
39–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
40–अरुणा तोमर, सुश्री — कानपुर नगर
41–अली बहादुर, श्री — बहराइच
42–अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
43–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
44–अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
45–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
46–अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
47–आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
48–आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
49–आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
50–आर०एस० कुशवाहा, श्री — खीरी
51–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
52–आर०के० सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
53–आलम बदी, श्री — आजमगढ़
54–आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
55–आशा किशोर, सुश्री — रायबरेली
56–आशीष यादव, श्री — बदायूं
57–आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
58–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
59–इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
60–इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
61–इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
62–उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद

63–उदयभान सिंह, श्री वाराणसी
64–उदयराज, श्री उन्नाव
65–उषा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
66–उषा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
67–उषा वर्मा, श्रीमती हरदोई
68–ओइमवेश, स्वामी, बिजनौर
69–ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
70–ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
71–ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
72–ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री सुल्तानपुर
73–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
74–ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
75–ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
76–कपिल देव यादव, श्री मऊ
77–कमला प्रसाद रावत, श्री बाराबंकी
78–कमलेश कुमार पासवान, श्री गोरखपुर
79–कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
80–कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
81–कल्याण सिंह, श्री अलीगढ़
82–कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
83–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
84–कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
85–कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
86–काशी राम, श्री रामपुर
87–किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
88–किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
89–किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
90–कुतुबुद्दीन, श्री बिजनौर
91–कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
92–कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
93–कृष्णानन्द, श्री गाजीपुर
94–कृष्णा पासवान, सुश्री फतेहपुर
95–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
96–कैलाश, श्री गाजीपुर
97–कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
98–कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री वाराणसी
99–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
100–कौकब हमीद खां, श्री बागपत
101–कौशल किशोर, श्री खीरी
102–कौशल किशोर, श्री लखनऊ
103–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
104–गंगा बक्श सिंह, श्री उन्नाव
105–गंगा भक्त सिंह, श्री हरदोई
106–गया चरन दिनकर, श्री बांदा
107–गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
108–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
109–घनश्याम शुक्ल, श्री गोण्डा
110–घूरा राम, श्री बलिया
111–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
112–चन्द्रदेव राम यादव करैली, श्री आजमगढ़
113–चन्द्र भद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
114–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
115–चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
116–चौधरी बाबूलाल, श्री आगरा
117–छेदी राम, श्री गाजीपुर
118–छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
119–छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
120–जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
121–जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
122–जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर/पडरौना
123–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
124–जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
125–जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
126–जगराम, श्री मुरादाबाद
127–जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
128–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
129–जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
130–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
131–जयराम विमल, श्री अम्बेडकर नगर
132–जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
133–जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़

134–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री — गोरखपुर
135–जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
136–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
137–तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
138–दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
139–दयाराम, श्री — कौशाम्बी
140–दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
141–दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
142–दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
143–दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
144–दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
145–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
146–देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
147–देव नारायन उर्फ जी०एम० सिंह, श्री — गोरखपुर
148–देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
149–देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
150–देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
151–द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
152–धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
153–धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
154–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
155–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
156–धर्म सिंह सैनी, डा० — सहारनपुर
157–धर्मेन्द्र कुमार, श्री — बरेली
158–धू राम, श्री — हमीरपुर
159–नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
160–नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
161–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
162–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
163–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
164–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
165–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
166–नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
167–नारद राय, श्री — बलिया
168–नूर मोहम्मद, श्री — सुल्तानपुर
169–पकौड़ी लाल, श्री — मिर्जापुर
170–परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
171–पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
172–पी० के० राय, डा० — कुशीनगर/पडरौना
173–पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
174–पीतम राम, श्री — पीलीभीत
175–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
176–पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर/पडरौना
177–प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
178–प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
179–प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
180–प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
181–प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
182–प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
183–प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
184–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
185–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
186–प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
187–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
188–फसीहा मुराद लारी उर्फ गजाला, श्रीमती — देवरिया
189–फागू, श्री — मऊ
190–बंशीधर राज, श्री — खीरी
191–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
192–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
193–बाबू राम, एम०काम०, श्री — जालौन
194–बाबू लाल, श्री — गोण्डा
195–बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
196–विजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
197–बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
198–बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
199–बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम) महराज, श्री — झांसी
200–बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जालौन
201–बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
202–बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
203–ब्रह्म शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
204–भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली

205–भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
206–भरत सिंह, श्री — बलिया
207–भरतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
208–भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
209–मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
210–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
211–मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
212–मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
213–मदन भैया, श्री — बागपत
214–मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
215–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
216–मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
217–मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
218–मस्त राम, श्री — उन्नाव
219–महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
220–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
221–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री — सीतापुर
222–महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
223–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
224–महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
225–महेश चन्द्र, श्री — कानपुर देहात
226–महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
227–माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
228–मान पाल सिंह, श्री — एटा
229–माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
230–मायावती, सुश्री — सहारनपुर
231–मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
232–मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
233–मुस्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
234–मूलचन्द्र, श्री — बिजनौर
235–मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
236–मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
237–मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
238–मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
239–मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
240–मोहम्मद बशीर, श्री — आगरा
241–मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
242–मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
243–मो० शफीर, श्री — फतेहपुर
244–यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
245–यशवन्त सिंह, डा० — मुजफ्फरनगर
246–याकूब, हाजी — मेरठ
247–योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
248–योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
249–रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
250–रणवीर राणा, श्री — मेरठ
251–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — कुशीनगर/पडरौना
252–रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
253–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर/पडरौना
254–रमेश कान्त लवानियाँ, श्री — आगरा
255–रमेश कुमार शर्मा, श्री — झांसी
256–रमेश चन्द बिन्द, डा० — मिर्जापुर
257–रविन्द्र पुण्डीर, प्रो० — मेरठ
258–राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
259–राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
260–राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
261–राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
262–राज नाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
263–राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
264–राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
265–राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
266–राजरानी, सुश्री — बाराबंकी
267–राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
268–राजवीर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
269–राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
270–राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
271–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
272–राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ

273–राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
274–राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
275–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
276–राजेश कुमार, श्री — खीरी
277–राधा मोहन दास अग्रवाल, डा० — गोरखपुर
278–राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
279–राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर/पडरौना
280–राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
281–राम इकबाल, श्री — बलिया
282–राम करन आर्य, श्री — बस्ती
283–राम किशुन, श्री — वाराणसी
284–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
285–राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
286–राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
287–रामजीत राजभर, श्री — वाराणसी
288–रामजी शुक्ला, श्री — औरैया
289–राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
290–रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
291–रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
292–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
293–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
294–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
295–राम बाबू हरित, डा० — आगरा
296–राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
297–राम भुआल, श्री — गोरखपुर
298–राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
299–रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
300–रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
301–राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
302–राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
303–राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
304–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
305–रामहेत, श्री — सीतापुर
306–रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
307–रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबा फूले नगर
308–रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
309–रेवती रमण सिंह, कुंवर — इलाहाबाद
310–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० — मेरठ
311–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
312–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
313–लाल जी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
314–लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
315–लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
316–वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
317–वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
318–विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
319–विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदासनगर भदोही
320–विजय बहादुर पाल, श्री — फर्रुखाबाद
321–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
322–विजेन्द्र सिंह, श्री — हाथरस
323–विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
324–विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
325–विनय शाक्य, श्री — औरैया
326–विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
327–विनोद कुमार यादव कक्का, श्री — इटावा
328–विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
329–विनोद तिवारी, डा० — पीलीभीत
330–विमल कृष्ण अग्रवाल, उर्फ पप्पी, श्री — बदायूं
331–विवेक बंसल, श्री — अलीगढ़
332–विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
333–विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
334–वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
335–वीरेन्द्र सिंह, श्री — बरेली
336–वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
337–वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री — ललितपुर
338–वीरेश्वर, श्री — अलीगढ़
339–वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
340–शंख लाल मांझी, श्री — सन्त कबीर नगर
341–शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदास नगर भदोही
342–शब्बीर, श्री — बहराइच

343–शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
344–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
345–शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
346–शाकिर अली, श्री देवरिया
347–शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
348–शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
349–शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
350–शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
351–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
352–शिव चरन, श्री हमीरपुर
353–शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
354–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
355–शिव प्रताप यादव, डा० बलरामपुर
356–शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
357–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
358–शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
359–शैलेन्द्र यादव ''ललई'', श्री जौनपुर
360–श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
361–श्याम देव राय चौधरी, श्री वाराणसी
362–श्याम नारायन, श्री महराजगंज
363–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
364–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
365–श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
366–संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
367–संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
368–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
369–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
370–सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
371–सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
372–सत्य नारायण, श्री हरदोई
373–सन्ध्या कठेरिया, सुश्री मैनपुरी
374–समरपाल सिंह, श्री बागपत
375–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं० मुरादाबाद
376–सलिल विशनोई, श्री कानपुर नगर
377–सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
378–सियाराम सागर, डा० बरेली
379–सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
380–सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
381–सुख देवी वर्मा, श्रीमती इटावा
382–सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
383–सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
384–सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा० बांदा
385–सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री गाजियाबाद
386–सुरेन्द्र प्रताप, श्री जौनपुर
387–सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
388–सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
389–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
390–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
391–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
392–सुल्तान बेग, श्री बरेली
393–सुशील चौधरी, डा० सहारनपुर
394–सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
395–सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
396–सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
397–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
398–हरि ओम यादव, श्री फिरोजाबाद
399–हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
400–हरिशंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
401–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'', श्री वाराणसी
402–हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
403–हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
404–होशियार सिंह, श्री बुलन्दशहर

महामहिम राज्यपाल

श्री विष्णुकान्त शास्त्री

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्ट फोलियो)
1	2	3
1–	कुमारी मायावती (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, अम्बेडकर ग्राम विकास, राज्य सम्पत्ति, उद्यान अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, संस्कृति, खेलकूद, लघु सिंचाई, विकलांग कल्याण, बैंकिंग, नागरिक सुरक्षा, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल, वाह्य सहायतित परियोजना, कारागार, राजनैतिक पेंशन, चिकित्सा शिक्षा ।
2–	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा ।
3–	श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी	परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन ।
4–	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन ।
5–	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
6–	श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	सहकारिता
7–	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार ।
8–	श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
9–	श्री सुखदेव राजभर	संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग
10–	श्री हुकुम सिंह	कृषि, पंचायती राज
11–	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
12–	श्री कौकब हमीद	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
13–	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा
14–	श्रीमती अनुराधा चौधरी	लोक निर्माण
15–	श्री लाल जी वर्मा	सार्वजनिक उद्यम
16–	श्री रवि गौतम	राजस्व
17–	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	वन
18–	श्री बाबूराम एम० काम०	खाद्य एवं रसद
19–	श्री जगदीश नारायण राय	लघु उद्योग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक नाम	कार्य विभाग (पोर्ट फोलियो)
1–डा० शीमा रिजवी	इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी
2–श्री अनीस अहमद खान उर्फ फूलबाबू	कृषि शिक्षा
3–श्री अक्षयवर गौड़	होमगार्ड्स
4–श्री राम भुआल (निषाद)	पिछड़ा वर्ग कल्याण

नेता विरोधी दल,

श्री मोहम्मद आज़म खाँ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", सदस्य, विधान सभा, (वाराणसी),
2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (मेरठ),
3–डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा (बांदा),
4–श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),
5–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
6–श्री सीताराम निषाद, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद),
7–डा० वकार अहमद शाह, सदस्य, विधान सभा (बहराइच),
8–श्री श्याम सूरत उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद),
9–श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

शुक्रवार दिनांक 23 अगस्त, 2002

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1–अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
2–अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री	बदायूं
3–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
4–अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
5–अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
6–अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
7–अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
8–अमरमणि, श्री	महराजगंज
9–आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
10–आशीष यादव, श्री	बदायूं
11–उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी
12–ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
13–कमलेश कुमार पासवान, श्री	गोरखपुर
14–कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
15–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
16–काशीराम, श्री	रामपुर
17–किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
18–कैलाश, श्री	गाजीपुर
19–चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
20–जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
21–जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
22–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
23–दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
24–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
25–देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
26–धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
27–नूर मोहम्मद, श्री	सुल्तानपुर
28–पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
29–प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
30–प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
31–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
32–बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
33–बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
34–भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
35–भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
36–भरत सिंह, श्री	बलिया
37–मदन भैया, श्री	बागपत
38–मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
39–महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
40–महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
41–मायावती, सुश्री	सहारनपुर
42–मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
43–यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
44–याकूब, हाजी	मेरठ
45–योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
46–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कुंवर	कुशीनगर/ पडरौना
47–रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
48–राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
49–राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

50–राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
41–राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
52–राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
53–राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
54–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
55–रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
56–रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
57–लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
58–वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
59–विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
50–विनोद कुमार यादव कक्का, श्री	इटावा
61–वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
62–वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
53–वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री	ललितपुर
64–वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
65–शब्बीर, श्री	बहराइच
66–शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
67–शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
68–शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
69–श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
70–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं०	मुरादाबाद
71–सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
72–सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
73–सुल्तान बेग, श्री	बरेली
74–सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
75–हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
76–होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रदेश के अन्य जनपदों सहित जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना पर तत्काल चर्चा की मांग

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल

मान्यवर, मैंने नियम–311 में सूचना दी है ।

श्री कमाल युसूफ मलिक–

3 व्यक्तियों को मार दिया गया है ।

(शोर)

सभी सदस्यों से अध्यक्ष पीठ के प्रति सम्मान बनाये रखने हेतु श्री अध्यक्ष का अनुरोध

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये ।

श्री अध्यक्ष–

एक बात मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि परसों 21 अगस्त को, सदन व्यवस्थित हुआ या नहीं हुआ वह बात अलग है, लेकिन जब सदन समाप्त हुआ और माननीय अधिष्ठाता कार्य समाप्त करके गये, यह घोषणा करके कि अब हम 23 तारीख को फिर 11 बजे बैठेंगे उसके बाद विधान सभा की इन दीर्घाओं में सम्मानित अधिष्ठाता के विरुद्ध विपक्ष के लोगों ने नारे लगाये । यह बात उचित नहीं है । मैंने इसका संज्ञान लिया है । मैं नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं तथा सत्ता पक्ष के लोगों से आग्रह करूंगा कि कम से कम पीठ का सम्मान बचाये रहें और इस दिशा में जितना पीठ का सम्मान हो सके वह करें । अगर पीठ का सम्मान ही न रहा तो फिर उसके आदेश, निर्देशों का सम्मान नहीं होगा । इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो यही अनुरोध करना था ।

प्रदेश के अन्य जनपदों सहित जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना पर तत्काल चर्चा की मांग (क्रमागत)

* नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय इस वक्त यहां बैठे हैं आप मालूम करेंगे, एक भी माननीय सदस्य पहली सीट से आगे नहीं बढ़ा । पूरी कोशिश की गयी है आपकी ख्वाहिश के एहतराम से कि पीठ का सम्मान रहे । लेकिन जिस अंदाज से, जिस तरीके से बजट पास हुआ है और जितनी जल्दी हड़बड़ाहट में हुआ है उससे लगा कि जैसे काम से जाना है इसलिये काम को समाप्त करके निकल जाया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाय । मान्यवर, इन चीजों में तब्दीली आनी चाहिये । लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को उठाने का सदस्यों को मौका मिलना चाहिये । सदन आम तौर से 5 बजे तक चलता है, काम ज्यादा होता है तो ज्यादा चलता है । आपने देखा होगा कि 1 बजे रात तक आपके साथ यहां बैठे हैं ।

मान्यवर, समय देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये । कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये । यह शिकायत क्यों रहती है ? इतना ही हमारा अधिकार है इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं । अपनी बात कहने का, विरोध प्रकट करने का हमारा अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सुविधा का ध्यान रखा जाता है ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, आपका जो आदेश है उसका पालन करते हैं । नियम–311 में गोरखपुर से संबंधित सूचना आपके संज्ञान में है । हालात उतने ही खराब हैं जितने खराब होने के पेश–ए–नजर यह सदन उठा था । प्रदेश की कानून व्यवस्था इस हद तक खराब हो गयी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है । किसी की इज्जत आबरू महफूज नहीं रह गयी है । यह सारा बिगाड़ वहां से हुआ जब आतंक फैलाने वालों को और क्रिमिनल्स को यह आभास हो गया कि प्रदेश की मुख्य मंत्री इतनी कमजोर है, इतनी लाचार है, इतनी असहाय है, इतनी कायर है, इतनी बुजदिल है कि उसे खुद अपनी जान की सुरक्षा के लाले पड़े हैं । जिस प्रदेश का मुख्य मंत्री अपनी जान की हिफाजत के लिए केन्द्र से मदद की गुहार करे, ऐसी सरकार प्रदेश की जनता को न्याय नहीं दिला सकती, उसको सुरक्षा नहीं दिला सकती । उसी दिन जिस दिन मुख्य मंत्री ने महज एक सियासी बुनियाद पर एक पेशबंदी करते हुए यह बात कही ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए एक दिन चर्चा हो जाए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

उसी दिन इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था । जब मुख्य मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है । अभी तीन लोग मारे गए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–56 में चयनित हो गई है । इस पर आपको सुनेंगे ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

जो हालात बाराबंकी में हुई है, जो हालात जिला फैजाबाद में हैं, बुलन्दशहर में हैं, बलिया के हुए हैं, गोरखपुर मण्डल पूरा मुतासिर है, प्रभावित है । इस प्रदेश का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो इस वक्त सुरक्षित है ? इसलिए मैं समझता हूं कि आपका इस संबंध में ऐसा आदेश मिले, ऐसा निर्देश मिले जो ऐतिहासिक हो । इस पीठ पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने इतिहास बनाए हैं । उस कुर्सी पर राजनीति में आपका लम्बा तजुर्बा रहा है । हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे लेकिन कुछ चीजें हैं जो याद के तौर पर रह जाएंगी । समय का कोई भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है । लेकिन गुजरे वाले समय को लोग अपनी आंखों से पढ़ेंगे । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता मुख्य मंत्री से मायूस

है । मैं पांच साढ़े पांच साल इस सदन में नहीं रहा लेकिन मुझे मालूम है कि आपने मजबूत अध्यक्षी का सबूत दिया है । आपने अपने पूरे अधिकारों का इस्तेमाल किया है । ऐसी स्थिति में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज जब राज्यपाल न हो, मुख्य मंत्री न हो, उस हालात में आपकी जिम्मेदारी है और बढ़ जाती है । इधर बैठे हुए विधायकों को आप आधी आबादी मान लें क्योंकि उधर बैठे हुए विधायकों की मजबूरियां हैं वह मजबूरियों के तहत खामोश बैठे हैं उनकी जुबान पर ताला लगा है लेकिन उनका दिल आपके साथ है । मैं कहना चाहता हूं कि उस पीठ से ऐसा निर्देश होना चाहिए जो आदेश हो जिससे एक इतिहास बने । ऐसी स्थिति में जब राज्यपाल न हो, मुख्य मंत्री न हो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण है और आप ऐसा फैसला लें जिससे प्रदेश की जनता को सुरक्षा मिले न्याय मिले ।

(डा० राधा मोहन दास, श्री भरत सिंह, श्री अम्बिका चौधरी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं गोरखपुर से चुनकर आया हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं हो रही है । नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं । आप बैठ जाएं ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

यहां पर प्रश्न हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा वह छपकर लाइब्रेरी में किताब के रूप में रख जाएगा उससे किसी की सुरक्षा तो नहीं होगी ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं । अभी नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं बैठे नहीं हैं ।

(सत्ता पक्ष के और विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

अभी न तो मैंने कोई व्यवस्था दी है । नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं और उन्होंने आपके बोलने के लिये फ्लोर नहीं दिया है, कृपया आप लोग बैठ जायं । माननीय भरत सिंह जी, डा० राधे मोहन जी कृपया आप लोग बैठ जायं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह परम्परा कैसे चलेगी ? अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं । माननीय पाल जी आप भी बैठ जायं । अभी तो मैंने पीठ से कोई व्यवस्था नहीं दी । अभी चर्चा नहीं हो रही है । नेता प्रतिपक्ष एक अनुरोध कर रहे हैं । बात आ रही है जब मैं व्यवस्था दूंगा और चर्चा होती है तो आप लोग उसमें भाग लीजियेगा । गोरखपुर की बात होगी, उसमें सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे । हां नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहें ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, मैं यह आपसे कह रहा था कि केवल राखी बंधवा लेने से रिश्ते नहीं बंधते । धागों के बांधने से नहीं बंध जाते, रिश्ते बंधते हैं, दिलों के बंधने से । टण्डन जी ने मुख्य मंत्री जी को राखी बांध दी ।

श्री अध्यक्ष–

टण्डन जी ने नहीं बांधी है, बंधवाई है ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मुख्य मंत्री जी ने टण्डन जी को राखी बांध दी, इससे प्रदेश नहीं चलेगा । मुख्य मंत्री जी ने टण्डन जी के राखी बांध दी । मैंने अभी कहा आपके मन का कष्ट भी मैं समझ रहा हूं । आप भी चाहते हैं कि प्रदेश अच्छी तरह से चले और उसके लिये आप कोशिश भी करते होंगे लेकिन हालात क्या हैं ? पिछले 5 सालों में इतने बुरे हालात थे । मैंने तो कहा है यहां, अपने भाषण में कि बहुत बुरे हालात थे । लेकिन आज के हालात से उन हालात की मिसाल नहीं दी जा सकती । इसीलिये आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है । हमने नियम–311 में नोटिस दिया है उस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं कर सकते । अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने नियम–311 की बात करी है । हम लोगों की नोटिस है । श्रीमन, गोरखपुर से संबंधित 311 में नोटिस दिया है । पहले उस पर कोई निर्णय दे दें उसके बाद आगे की बात चलायें, यही मेरा आपसे अनुरोध है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष के उद्‌बोधन पर ही व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न तो अभी मैंने शुरू नहीं किये हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

अभी जब माननीय नेता प्रतिपक्ष किन्हीं बिन्दुओं पर अपनी पीड़ा की बात कर रहे थे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं । उसके बीच में उन्होंने एक बात यह कही कि उसी दिन राज्यपाल महोदय को इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था । मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिये और यह मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार को, जो, अपना काम कर रही है, चल रही है, सारे प्रदेश की व्यवस्था देख रही है । संविधान के कौन से अनुच्छेद और प्राविधानों के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि उसको उसी दिन बर्खास्त कर देना चाहिए । मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से इस पर जानकारी चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न सदन की कार्यवाही से संचालित होता है । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

आप लोग बैठें तो मैं अपनी व्यवस्था दूं ।

यह चर्चा नहीं हो रही है नेता प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया है ।

श्री जमदम्बिका पाल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है 311 में उल्लेख किया गया है...

श्री अध्यक्ष–

जो सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अगर प्रश्न प्रहर हमारा है इस संबंध में नियम–311 में उल्लेख किया गया है, प्रदेश के हालात के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है इस संबंध में व्यवस्था देनी है न कि किसी के उद्बोधन पर...

(व्यवधान)

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद–356 में लिखा है.....

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

प्रदेश के जो हालात हैं, चाहे वह गोरखपुर की बात हो चाहे दलितों की हत्या का प्रश्न हो–(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

पूरे प्रदेश के हालात बिगड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है....

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न उठाकर मुझे व्यवस्था देने से मत रोकिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष का इतना कहना मात्र कि–"उसी दिन राज्यपाल महोदय को सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था" इस पर श्याम देव राय चौधरी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, मान्यवर, संविधान के नियम–356 में हैडिंग है–"राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबन्ध" मान्यवर, विफल हो जाने की दशा में (व्यवधान) जहां प्रदेश की मुख्य मंत्री की जान को खतरा हो जाएगा तो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था कैसे कायम रहेगी ?

श्री अध्यक्ष–

श्यामदेव राय चौधरी–जी के प्रश्न पर मैंने कह दिया कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तो इस पर आपके बोलने का क्या औचित्य है ?

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

पूरे प्रदेश में सरकारी तंत्र ध्वस्त हो जाए, प्रदेश की मुख्य मंत्री असुरक्षित हो जाएं, तो संविधान के आर्टिकल 356 में है कि–"राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबन्ध" मुख्य मंत्री स्वयं सुरक्षित नहीं हैं, डी०जी०पी० ने स्वीकार किया है –

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य गोरखपुर, माननीय सदस्य, बलिया और इधर के कुछ माननीय सदस्य कहना चाहते हैं लेकिन किसी नियमों के तहत तो लाइये ।

(श्री शारदानन्द अंचल द्वारा अखबार दिखाये जाने पर)

माननीय सदस्य, हम इस सदन में अखबार का संज्ञान नहीं लेते हैं । आप कृपया बैठ जायें । माननीय सदस्य, डा० राधा मोहन जी आप बैठ जायें यह कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दीजिये । इधर के और उधर के माननीय सदस्यों दोनों के विचार आ जायें ।

श्री अध्यक्ष–

गोरखपुर की घटना का माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया आप गोरखपुर के विधायक हैं, यह उचित होगा कि गोरखपुर के सम्बन्ध में जो बात है, जो माननीय सदस्य रखना चाहते हैं कि विचार आ जाय तो हर चीज का उपयुक्त समय होता है, उपयुक्त नियम होता है । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नियम–311 में ले लिया जाय । तो नियम–311 उस समय लागू होता है जब सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और उस विचाराधीन प्रस्ताव के समय यह बात आ जाय कि नियमों को शिथिल कर दिया जाय तो अध्यक्ष की अनुमति से वह शिथिल किया जाता है । अभी प्रातः 11 बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए और उन्होंने यह कहा कि वह अनुरोध करना चाहते हैं । नियम–311 में यह है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा । तो पहली बात तो इसमें पीठ की सहमति होनी चाहिए और दूसरी बात किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना । तो कौन सा विशेष नियम निलम्बित होना है उससे होना चाहिए । जो नेता प्रतिपक्ष ने बातें कहीं यदि आप सहमत हों तो आज शाम पांच बजे इस पर चर्चा करा ली जाय । चर्चा में आप सबके विचार आ जायेंगे । शाम को पांच बजे दो घंटे की चर्चा इसमें करा लेते हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, नियम–311 की बात आयी । इसमें आपकी सहमति से ही 25 मिनट तक अभी बहस चली । तो प्रस्ताव तो विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो कोई प्रस्ताव है ही नहीं । जब प्रस्ताव आता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है । अभी कौन सा प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–311 को आप देख लें । मैं पढ़ दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप नियम–311 कृपया देखने का कष्ट करें । मान्यवर, परसों शनिवार को इस पर चर्चा हो और चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद यह निर्देश हुआ कि संसदीय कार्य-मंत्री जी परसों इस पर अपना बयान देंगे शाम को 5 बजे । अध्यक्ष की सम्मति हो गयी इस विषय पर । प्रस्ताव हम लोगों ने आपके सामने भेज दिया । अब प्रस्ताव पर चर्चा के बजाय गोरखपुर में लाठीचार्ज कर दिया गया । इस तरह से आप के निर्देशों की अवहेलना करके वातावरण को उत्तेजित कर दिया । वहां गोरखपुर की विधायिका घायल हो गयीं । मान्यवर, इसमें यह भी है कि आप चाहे मत विभाजन करा लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं ।

आप को मालूम हैं कि यह नियम–311 किन परिस्थितियों में आता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक तो आप की सम्मति हुई और नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में कहा कि आप से आग्रह है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं कि अनुरोध किया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि यहां प्रस्ताव नहीं है । जब यहां प्रस्ताव नहीं है तो निलम्बित कैसे किया जाये ? मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव आता है और उसके अनुसार कार्य-सूची बनती है और कार्य-सूची में अल्पसूचित प्रश्न लगा हुआ है । एक प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत है और जिसमें नेता विरोधी दल आप से आग्रह कर रहे हैं परन्तु जिस समय नेता विरोधी दल ने आग्रह किया तो आपने कहा कि आप का यह प्रश्न किस प्रस्ताव में है तो मान्यवर, वह कार्य-मंत्रणा समिति में प्रस्तावित करके अल्पसूचित प्रश्न लगा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

वह अनुरोध नहीं था उस प्रकार से ।

लेकिन इस विवाद में पड़ने की बात नहीं है । आज शाम को 5 बजे दो घण्टे की चर्चा कर लें उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होगी । प्रश्नकाल भी पूरा हो जायेगा और कार्य-सूची में लिखे हुये अन्य जो कार्य है वे भी पूरे हो जायेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हम आप के अभारी हैं कि आप ने चर्चा स्वीकार की है ।

श्री अध्यक्ष–

नगराम की सूचना 56 में चयनित हो गयी है कुछ बात उसमें हो जायेगी शेष बात 5 बजे हो जायेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, चर्चा तत्काल करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है 5 बजे चर्चा होगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने उस संदर्भ में कोई बात कहीं कि माननीय नेता सदन ने माननीय नगर विकास मंत्री को राखी बांधी और उन्होंने बदले में पूरा उत्तर प्रदेश दे दिया । मैं जानना चाहता हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश था कब आपके पास जो आपने दे दिया आप वही दे सकते हैं जो आप के पास है । [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कोई बात नहीं है । आप वरिष्ठ सदस्य हैं और बुद्धिमान हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

वह वही दे सकते थे जो उनके पास था, पूरा उत्तर प्रदेश तो उनके पास था ही नहीं, [x x x] ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, आपने उत्तर प्रदेश के इस पूरे हालात को महसूस भी किया और उस पर निर्णय भी लिया और आपने 2 घंटे की चर्चा इस पर स्वीकार भी की । हमारा आपसे यह कहना है कि यह दो घंटे की चर्चा आपने स्वीकार की है यह बजाय 5 बजे के अभी से करा लें । बहुत बुरे हालात हैं प्रदेश के और इन हालातों पर आपके रहते हुए भी बहस नहीं होगी, तो बहस नहीं हो सकेगी । मैं तो यह चाहता था कि अदालतें कोई फैसला दें आज आपकी पीठ से सरकार को बर्खास्त करने का फैसला होना चाहिए । आप बर्खास्त कर दें हम अभी उन्हें बाहर कर देंगे । मान्यवर, सदन चलना चाहिए, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर इस पर विचार कर लें कि 311 के तहत जो मुद्दे आपके समक्ष हैं इस पर दो घंटे की चर्चा आपने स्वीकार की है यह 5 बजे के बजाय अभी करा लें । मान्यवर, हमारा इतना अधिकार तो आप पर बनता है कि आप प्रदेश के हालात को मद्देनजर रखते हुए, बहुत बुरे हालात हैं, कोई कानून

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नहीं है, हर व्यक्ति डरा हुआ है, दो घंटे की चर्चा अभी से शुरू करा दें और डेढ़ बजे तक यह चर्चा चले ।

श्री अध्यक्ष–

अगर 5 बजे तक कोई कार्य चलता रहेगा तो उसे रोककर मैं चर्चा करा दूंगा ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, अब सदन में 5 बजते ही नहीं हैं, अब तो एक बजता है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको मेरा अनुरोध समझिये या मेरी व्यवस्था समझिये । मुझे पूरे सदन की, सबकी भावनाओं को समझना है ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी ने इस बात को जरूर इंगित किया कि मेरा एक अधिकार है उसका हनन होगा, चर्चा करा दीजिए, यह पीठ से निवेदन किया । मैं भी अनुरोध करूंगा कि इसमें सभी सदस्यों का अधिकार है । प्रश्नकाल था तो हर सदस्य की सूचनाओं का चाहे इधर के सदस्य हों चाहे उधर के हों सबकी भावनाएं और अधिकार इसमें छिपे हुए हैं । मान्यवर, सभी के संरक्षण की बात कीजिए जो कार्य-सूची में दिया है आप उसका संचालन कराना चाहते हैं लेकिन मान्यवर, चर्चा अभी-अभी पिछली बार भी हुई, बजट में भी चर्चाएं होंगी । इसलिए सभी के अधिकारों का संरक्षण करें । चर्चा हो चुकी है आपने मुझे निर्देश दिया था कि वस्तुस्थिति के बारे में बतावें, मैंने भी जानकारी की और आपको बताया । इसलिए मान्यवर, चर्चा इस पर हो चुकी है । नेता प्रतिपक्ष जी सभी चीजों को रख चुके हैं, मैंने जवाब भी दे दिया है । जब आप संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें सभी सदस्यों के कहीं न कहीं अधिकार हैं सभी का संरक्षण करें । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चर्चा बहुत हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैंने अनुरोध किया कि आप सभी माननीय सदस्यों की बात है ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, संसदीय कार्य-मंत्री जी ने अपनी बात कह ली, आपका निर्देश हुआ है तो अब प्रश्नकाल होने दें और प्रश्नकाल के फौरन बाद इसकी चर्चा शुरू करा दें । मान्यवर, कुछ तो हमारी बात को सुने, प्रश्नकाल के फौरन बाद करा लें ।

आप इधर देखकर कहेंगे तो हमारे हक में हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

इधर भी देखेंगे और उधर भी देखना है क्योंकि उधर से एक अवाज आई है । हमारी दोनों ओर बराबर की निगाह है ।

* कृषि एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, अभी नेता प्रतिपक्ष जब कह रहे थे कि कुछ बात हमारी भी रह जाय तो बात तो सीधी यह है कि बात नियम की नियमावली की रहे, इस कार्य-सूची की रहे उसमें आपकी भी बात रहेगी ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि बात रह जाय बल्कि संसदीय कार्य-मंत्री जी ने अपनी बात कह ली थी और हमने भी अपनी बात कह ली थी । आपकी तरफ से एक छोटा रास्ता बीच का निकला था मगर हुकुम सिंह जी को कुछ कहना ही है । इनको अब कहने का मौका नहीं रहा है, मुख्य मंत्री जी ने इनकी छुट्टी कर ही दिया है, पेट तो फूलता ही होगा कुछ कहने का, बात चाहे जैसी हो कहना है ।

श्री अध्यक्ष–

सुनना तो हमको है ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, मुझे जो भी उम्मीद है, आपसे हैं, और आप पर अपना अधिकार समझते हुए कहना चाहता हूं कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद इसको करा लें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सदन को उम्मीदें आपसे ही हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि दो दिन पहले मैराथन भाषण मैंने सुना और माननीया नेता सदन ने बिन्दुवार उसका जवाब भी दे दिया तो फिर वही भाषण कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर, कुछ अखबारों में छपी सूचनाओं को लेकर दें, मान्यवर, जब सारी बता हो चुकी है उसके बाद भी एक अवसर आने वाला है सामान्य प्रशासन का । यह अवसर है, उसका समुचित लाभ उठाया जाय । मान्यवर, सारे एजेन्डे को नजरन्दाज करके यह कहा जाय कैसे मेरी बात रह जाय, यह ठीक नहीं है ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, मुझे इस पर आपत्ति है । सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की तरफ से ऐसी हल्की बात कही जाये, प्रदेश के अन्दर हालात के बारे में ऐसी बात कहेंगे, मुझे घोर आपत्ति है । मैं ऐसे विचारों की निन्दा करता हूं । जहां प्रदेश ऐसे हालत से गुजर रहा है वहां सरकार इसे हल्केपन से ले रही है । मान्यवर, सत्तापक्ष का यह बन गया है । समाचारों पर कोई न कोई कटाक्ष होगा, समाचार का संज्ञान नहीं लिया जायेगा । मान्यवर, समाचारों में 3 लोग मारे जायेंगे यह खबर छपेगी तो पढ़ा जायेगा, गोरखपुर में क्या हालात हैं यह खबर छपेगी तो पढ़ा जायेगा, सुल्तानपुर में क्या हो गया इसकी खबर छपेगी तो पढ़ा जायेगा, लखनऊ में हत्याओं की खबर छपेगी तो पढ़ा जायेगा, बाराबंकी में हत्या होगी और यह खबर छपेगी तो पढ़ा जायेगा । ये कहेंगे कि यह कोई बात नहीं है और हालात बिल्कुल नार्मल हैं । मान्यवर, इतने हल्केपन से, इतनी संवेदनहीन सरकार है, मैं इस पर आपके माध्यम से कड़ी आपत्ति दर्ज कराना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं। मैं फिर पुनः आग्रह आपसे दोहराता हूं कि प्रश्नकाल के बाद, आप इस बात को समझें और इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

5 बजे के बाद किया जाय तब तक सब समाप्त हो जायेगा कार्य-सूची पर एक निगाह डाल लें।

पांच बजे का समय निर्धारित किया गया है। पांच बजे 2 घण्टे की चर्चा होगी।

(व्यवधान के मध्य)

(श्री लालजी टण्डन का नाम श्री अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर, वह खड़े हुए परन्तु हंगामा होने के कारण पुनः बैठ गये।)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है ताकि इस पर पुनर्विचार कर लें। मान्यवर, इसे प्रश्नकाल के तत्काल बाद करा लें।

श्री अध्यक्ष–

इसका समय पांच बजे निर्धारित किया गया है। आज केवल दो विभाग के बजट हैं। एक व्यवस्था दे दी है कि चर्चा पांच बजे होगी।

(व्यवधान के मध्य)

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

अखबार का मुख्य पृष्ठ दिखाने लगे, इसके बाद श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल भी अपने स्थान पर खड़े हो गये। श्री बीजू पटनायक भी अखबार का मुख्य पृष्ठ दिखाने लगे।

श्री अध्यक्ष–

अगर चर्चा करनी है तो वह पांच बजे के बाद करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि यह चर्चा प्रश्न काल के बाद करा लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद दो घण्टे की चर्चा पांच बजे सुनने के लिए सुनिश्चित की है। तीन हत्याओं वाली बात नियम–56 में चयनित हो चुकी है, उसे पांच बजे के बाद कर लें।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, प्रश्नकाल का समय विपक्ष का है।

श्री अध्यक्ष–

दोनों का होता है। सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, यह हमारा प्रश्नकाल का समय है, नियम–56 का समय भी हमारा है और हम अपने उस समय को इस समय जो सबसे ज्वलन्त समस्या है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की समस्या उस पर चर्चा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं । आज मुख्य मंत्री की जान खतरे में है ऐसे में आम आदमी की जान कैसे बच पायेगी ? मान्यवर, यह हमारी आपसे कोई जिद नहीं है सिर्फ आपसे एक मांग है । अगर यह बहस अभी हो जायेगी तो इसका कोई मतलब निकलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अगर यह चर्चा बाद में होगी तो भी सरकार उसे उतनी ही गम्भीरता से लेगी ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, अगर इसे टालेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जायेगा । क्या यह उचित होगा कि हमें अपनी बात मनवाने के लिए नारेबाजी करनी पड़े ? यह उचित नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

अगर नारेबाजी के कारण कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निस्तारण हमको करना पड़ेगा ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, आप संतुष्ट होंगे, बल्कि आप संतुष्ट है । लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो गयी है । उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए मान्यवर, हम लोग इस पर चर्चा तुरन्त करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर चर्चा कराई जायेगी ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, आप हमारी मांग को स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

केवल समय के सम्बन्ध में आपकी मांग को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन चर्चा की मांग को स्वीकार कर लिया है । उसके बाद भी नारेबाजी हो तो अच्छा नहीं, यह तो परोक्ष रूप से धमकी हो गयी । सहयोग आप करें चर्चा हो रही है ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, चर्चा आपने स्वीकार कर ली है लेकिन इसे प्रश्नकाल के तुरन्त बाद करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

अब तो 45 मिनट आपने मेरे धैर्य की परीक्षा ले ली । मैंने तो आज सदन भी स्थगित नहीं किया कि कोई रास्ता निकल जाये ।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायतीराज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल का पूर्ण सम्मान करते हुए भी जब एक विषय पूरा का पूरा हो जाये और एक पक्ष की पूरी बात आ जाये और दूसरे पक्ष को कहने का मौका न मिले, इस सम्बन्ध में मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है कि वह किसी चर्चा में भाग लें तो उनको समय की सीमा नहीं है, वह बोल लें, लेकिन हर समय वह चर्चा के लिए, उनके लिए भी बाध्यता है, आपके लिए भी बाध्यता है और हमारे लिए भी बाध्यता है। कोई विषय उठाना चाहते हैं नेता विरोधीदल तो उन्हें अधिकार है लेकिन आपकी व्यवस्था आ जाने के बाद यह प्रकरण समाप्त हो जाता है। सत्तापक्ष को तो बाउन्ड रहता है ही क्योंकि एक शक्तिशाली नेता ने पूरा हाइजैक कर रखा है।...

श्री अध्यक्ष–

कृपया पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, पहले मेरा अनुरोध स्वीकार कर लें। हमें जनता को जवाव देना है।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, जब आपके निर्देश से सदन नहीं चलेगा तो क्या इनके आदेश से सदन चलेगा ?

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम–29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

(नगर विकास मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पढ़ा जाना प्रारम्भ करने पर)

शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित रूप रेखा

*1-डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिये शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार महानगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये जलापूर्ति की कोई विशेष योजना बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

[जी हां।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–114 के अन्तर्गत निगम जलकलों का प्रबन्धन एवं संधारण तथा पर्याप्त जल सम्भरण के लिए नये कार्यों का निर्माण नगर निगमों का कर्तव्य है । इसी प्रकार उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–7 के अन्तर्गत जलापूर्ति उपलब्ध कराना नगर पालिका एवं नगर पंचायत का कर्तव्य है ।

केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित त्वरित नागर कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत के आधार पर धन उपलब्ध कराया जाता है । यह कार्यक्रम ऐसे नगरों के लिए लागू है, जिनकी वर्ष 1991 की जनसंख्या 20 हजार से कम है । प्रदेश के कुल 623 शहरी स्थानीय निकायों में से इस श्रेणी के अन्तर्गत 425 नगर आते हैं ।

शेष 20 हजार से अधिक आबादी वाले नगरों में पेयजल व्यवस्था के लिये स्थानीय निकायों द्वारा धन संसाधन जुटाना अपेक्षित है । वर्ष 1999-2000 तक इन नगरों के लिये भी धन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता था ।

वर्ष 2000-01 से इन नगरों में पेयजल योजनाओं व आवश्यक कार्य कराने हेतु रिवाल्विंग फण्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्धता के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 2000-01 से अब तक रु० 74.29 करोड़ धनराशि जलापूर्ति हेतु रिवाल्विंग फण्ड से स्वीकृत की गयी है ।

इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर भारत सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं के कार्य कराकर जनता को लाभ देने के विशेष उद्देश्य से बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 में 23 योजनाओं के लिये रु० 24.29 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विशेष क्षेत्रों एवं महानगरों के लिये विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है । यदि संबंधित नगर निकाय विश्व बैंक सहित ऋणदायी संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी तो संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाई जा सकेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

लागू नहीं ।।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, लम्बा उत्तर है, पढ़ा मान लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा मान लेते हैं । बाजपेयी जी, अनुपूरक प्रश्न करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरा प्रश्न था कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए शासन द्वारा कोई नीति

निर्धारित की गयी है ? उत्तर में मंत्री जी ने दिया है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–114 के अन्तर्गत निगम जलकलों का प्रबन्धन एवं संधारण तथा पर्याप्त जल सम्भरण के लिए नये कार्यों का निर्माण नगर निगमों का कर्तव्य है और उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–7 के अन्तर्गत जलापूर्ति उपलब्ध कराना नगर पालिका एवं नगर पंचायत का कर्तव्य है । मान्यवर, मंत्री जी ने सैद्धान्तिक पक्ष से सदन को अवगत कराया है । मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित त्वरित नागर कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत के आधार पर धन उपलब्ध कराया जाता है और यह कार्यक्रम ऐसे नगरों के लिए है जिनकी वर्ष 1991 की जनसंख्या 20 हजार से कम है । मान्यवर, जो इस प्रश्न की मंशा थी कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति कितना जल प्रतिदिन आपूर्ति कराने का मानक है और हमारे पास औसत पेयजल की उपलब्धता कितनी है और अगर मानक के अनुसार आवश्यकता और उपलब्ध पेयजल में कोई कमी है तो इस कमी को पूरा करने के लिए शासन की कोई योजना है ? इसके साथ-साथ मैं यह जानना चाहता था कि जो उपलब्ध पेयजल है उसको व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो जल प्रणाली है, उसकी क्या परिस्थिति है ? 100-100 वर्ष पुरानी जर्जर और छोटी पाइप लाइनें हैं, जो आवश्यक पानी उपलब्ध नहीं कर पा रही हैं, इस दिशा में सरकार क्या करा पायेगी ?

(इस समय 11 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' पीठासीन हुए ।)

एक और विषय में जाना चाहता था जिस विषय पर मेरा जोर था और यह हमारे आपके सबके संज्ञान में है कि भू-गर्भ जल स्तर लगातार गिर रहा है और पानी का मुख्य साधन भू-गर्भ जल ही है । इस गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर को देखते हुए भविष्य में पानी की जितनी आवश्यकता होगी उसमें कमी तो पड़ेगी ही; क्या आपने कोई ऐसी योजना अपनाई है जिससे कि भविष्य और वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप जलापूर्ति कर सकेंगे ? माननीय मंत्री जी का उत्तर सैद्धान्तिक उत्तर है, उससे मैं सहमत हूं लेकिन जो परिस्थितियां हैं उस स्थिति में तो जनता को प्यासा नहीं छोड़ा जा सकता । इसलिए, इस सम्बन्ध में शासन की क्या योजना है, यह हमें जानकारी दे दें ?

* श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, स्थानीय निकाय के तीन स्तर हैं, जहां 20 हजार से अधिक जनसंख्या है, वहां कारपोरेट सेक्टर हैं, इससे कम में नगर पालिका परिषद् है और जो इससे कम आबादी के जो निकाय हैं वहां नगर पंचायतें हैं, तो मान्यवर, इस तरह से 456 के लगभग ऐसी नगर पंचायतें हैं कि जिनकी आबादी 20,000 से कम है और वहां पर त्वरित नगर पेयजल योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से चल रही हैं । इस समय केवल दो नगर बाकी हैं जहां पर पाइप से जलापूर्ति बाकी है । बाकी सब जगहों पर कार्य पूरा हो गया है । अब दूसरे चरण में मान्यवर, उनकी जल की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए कार्य योजना प्रस्तावित है । दूसरे जो नगर परिषदें हैं, जाहिर है कि उनके संसाधन नहीं हैं इसलिए भारत सरकार से उनको सहायता मिल रही है और राज्य सरकार तो सहयोग कर ही रही है । जहां-जहां पैसे की आवश्यकता होती है तो मान्यवर, शासन के पास कोई निश्चित मत नहीं होता बावजूद इसके भी मान्यवर, रिवाल्विंग फण्ड से पैसा दिया है । कुछ जगहों पर कार्य योजनायें शुरू हो रही हैं । दूसरे भूगर्भ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जल का उपयोग कम किया जाय और जहां-जहां नदियों का जल पीने योग्य है । वहां पर वाटर वर्क्स बनायें जायं । कई नगरों में यह कई जगह जारी हैं, लखनऊ में दो बन गये हैं और तीसरा प्रस्तावित हैं । कानपुर में दूसरा वाटर वर्क्स और गंगा बैराज पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ही बनाया जा रहा है । मान्यवर, इसी तरह से अन्य जगहों पर भी यह योजनायें जारी हैं । आबादी के प्रतिकूल पेयजल आपूर्ति के लिए 86,000 से अधिक हैण्ड पम्प शहरों में लगे हैं और जो खराब हैं, उनकी मरम्मत के लिए और बदलने के लिए व्यवस्था कर दी है और अभी सूखा राहत निधि से पैसा भी उपलब्ध करा दिया है और जिन हैण्ड पम्पों की मरम्मत और रिबोर होना है, उनके लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कानपुर का जिक्र किया तो कानपुर जिले के लोगों को कितने पानी की आवश्यकता है ? दूसरा सवाल यह है कि गंगा बैराज जो अब तक बन जाना चाहिए था लगातार गंगा बैराज कब तक बन जायेगा, जिससे कानपुर के नागरिकों को समुचित रूप से पीने का पानी उपलब्ध हो सके ? इस प्रकार मान्यवर, दो प्रश्न हैं एक तो यह कि कानपुर बैराज कब तक बन जायेगा ? दूसरा कानपुर के लोगों को इस समय कितना पेयजल चाहिए और सरकार कितना उपलब्ध करा पा रही है ? जहां तक मेरी जानकारी है, जितना पेयजल कानपुर के नागरिकों को चाहिए उसका आधा भी कानपुर के नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मानक के अनुसार कई जगह पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और कई जगह संचित कर दिया गया है और मानक से अधिक मिल रहा है । कानपुर गंगा बैराज की जो बात कही जा रही है, कोशिश है कि 2003 तक कम्पलीट कर लिया जाय । दूसरा वाटर वर्क्स भी बन रहा है, वह भी पूर्ण हो जायेगा ।....

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, वाटर वर्क्स कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, कोशिश है कि दोनों साथ ही में पूरा हो जायें, दोनों पर काम चल रहा है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय नगर विकास मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि मैं जहां से चुनकर आता हूं (वाराणसी) वह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर है और जितनी आबादी औसत रूप से रहती है उसमें कमी-वेशी–होती रहती है अर्थात लोग आते जाते रहते हैं । लेकिन उस अनुपात में जो जल की आपूर्ति है वह अत्यन्त कम है तो मैं मंत्री जी से एक प्रश्न यह करना चाहता हूं कि क्या जैसे लखनऊ के लिए आदरणीय नगर विकास मंत्री जी ने एक नये जल संस्थान की योजना बनायी है, उस पर काम करवा रहे हैं, वाराणसी नगर की आवश्यकता को देखते हुए और नगर के महत्व को देखते हुए क्या वहां एक दूसरा जल संस्थान बनवाने पर विचार करेंगे ? वहां पर जो जल संस्थान है उसकी अक्षमता को देखते हुए तथा वाराणसी की अपर्याप्त जलापूर्ति को देखते हुए लखनऊ

की तर्ज पर मिनी या पूर्ण क्षमता का एक जल संस्थान का प्रस्ताव बनाकर सहायता करने की कृपा करेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, कई वर्षों से वाराणसी में गंगा प्रदूषण का कार्य रुका हुआ था । अब सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला हो गया है और अब जल शुद्धि की योजना शुरू हो रही है । जब पेयजल शुद्ध और पीने योग्य हो जायेगा तो उसकी दो योजनायें हैं, एक तो जो वर्तमान में जल संस्थान है उस जलकल की क्षमता को बढ़ायेंगे और आवश्यकता हुई तो दूसरा भी बनेगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरठ नगर निगम से सरफेस वाटर का प्रयोग करने के लिए एक प्रस्ताव आया हुआ है । गंगा नहर से प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता है तो क्या उस प्रस्ताव को मंजूरी देकर और उसके लिए जो आवश्यक धनराशि है, चाहे प्रदेश सरकार या प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार से संसाधन का इंतजाम कराकर मेरठ नगर के सरफेस वाटर परियोजना को पूरा करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? दूसरा विषय यह है कि तुरन्त कार्यक्रम जिसका मंत्री जी ने जिक्र किया है, उस कार्यक्रम के तहत आई०आर–1 और 2 में पैसा मिला था । एक पेयजल के ऊपर जलाशय बना खड़ा है 60 लाख रुपये न मिलने के चलते उसके फट जाने की स्थिति है और करोड़ों-करोड़ रुपया जो लगा है वह बेकार हो जायेगा । मान्यवर, 60 लाख रुपये के बिना पाइप लाइन नहीं पड़ पा रही है तो क्या इस 60 लाख रुपये की व्यवस्था करेंगे । दूसरा मैंने पूछा था कि सरफेस वाटर जो मेरठ में उपलब्ध है उसके लिये आवश्यक योजना बनाने और धन की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

जहां इस तरह के जलकल बनाने हैं उसके लिये भारत सरकार को एक वृहद योजना भेजी गयी है और उम्मीद है कि स्वीकृत होकर आ जायेगी और धन की उपलब्धता होने के बाद यह कार्य कराया जायगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी बेरिया जी जो कानपुर के माननीय सदस्य हैं उन्होंने पूछा था कि कानपुर में कितने एम०एल०डी० पानी मिल रहा है लेकिन नगर विकास मंत्री जी ने नहीं बताया । दूसरे उन्होंने कहा है कि 2003 तक कानपुर में बैराज तैयार हो जायेगा । पानी का संकट जितनी नगर महापालिकायें हैं सब जगहों पर है । इलाहाबाद में दूसरा वाटर वर्क्स बनाने की योजना बहुत दिनों से विचाराधीन है वह कब तक चालू हो जायगा दूसरे में जानना चाहता हूं कि जो नगर महापालिकायें हैं उसमें कितने पानी की आवश्यकता है और कितना पानी आप दे पा रहे हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, जितनी नगर महापालिकायें हैं, नगर निगम हैं उनके लिये अलग से योजना बना रहे हैं । जहां पानी की कमी है वहां बड़ी योजनायें प्रस्तावित हैं । भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के रिवाल्विंग फण्ड से सहयोग करके उनको बनवाने की कोशिश की जा रही है जल्दी ही बन जायेंगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है नगर पालिकायें, महा नगर पालिकायें, नगर पंचायत परिषदें, उनके क्षेत्रों में इण्डिया मार्क–II लगाने और ट्यूबवेलों की रि–बोरिंग करने के आदेश दिये गये हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश के 70 जनपदों में सूखा है। इस सूखे के कारण सभी जगह पेयजल संकट बढ़ गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नगर पंचायत परिषदों में 50–50, नगरपालिकाओं में 100-100 और नगर महापालिकाओं में 500–500 इण्डिया मार्क–II लगाने हेतु वित्तीय प्राविधान करेंगे ताकि शहरों में पेयजल की व्यवस्था हो सके ? जो रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि 74.29 करोड़ रुपए दी है यह जलापूर्ति में दिया है वर्ष 2000-2001 में उसे 2001-2002 में उत्तर प्रदेश में रिवाल्विंग फण्ड से कितने फण्ड का प्राविधान किया है ? चाहें नगर पालिकाओं के लिए, नगर पंचायतों के लिए हो या नगर महापालिकाओं के लिए हो ? दूसरे जो उन्होने वर्ड बैंक को प्रस्ताव भेजा है उसमें क्या पालिकाओं के भी प्रस्ताव हैं ? अगर नहीं है तो क्या पालिकाओं के प्रस्ताव स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

चाहे शहरी विधायक हों या ग्रामीण सभी को 50–50 हैण्ड पम्प लगवाने की.....

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को उत्तर पूरा करने दें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

यह कैसे होगा ? सभी लोग एक साथ बोलते रहेंगे तो मंत्री जी उत्तर कैसे देंगे ? इससे और प्रश्न मारा जा रहा है।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, सूखा राहत से लगभग 70 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों में भेजे गए हैं कि जितने हैण्ड पम्प रिबोर होने हैं, उसमें यह बाध्यता नहीं है कि अगर कहीं सूखे के कारण पानी की जरूरत है तो नए हैण्ड पम्प नहीं लगा सकते हैं। यह जिलाधिकारी के विवेक पर है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पाल जी पूरी बात सुन लें।

श्री लालजी टण्डन–

शहरों के लिये पैसा नहीं था लेकिन यह व्यवस्था हो गई है। शहरी विधायक अपने सूची जल निगम को या जिलाधिकारी को भिजवा दें, उन स्थानों पर 50 हैण्ड पम्प लग जायेंगे। आप जहां चाहें स्थल चयन कर लें।

(प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों के समय इस तरह से चलेगा तो सदन व्यवस्थित कैसे रहेगा ?

नेता, विरोधी दल (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, गम्भीर प्रश्न है । दो जानकारी सदन चाहता है । एक तो यह कि 10 प्रतिशत जो पैसा देना है वह विधायकों को देना है या उस क्षेत्र के लोगों को देना है । देना है या नहीं देना है । स्पष्टीकरण यह आया था कि विधायक निधि से वह पैसा ले लिया जायेगा । विधायक निधि है ही कितनी ? उसमें से 10 प्रतिशत ले लिया जायेगा तो छोटे-मोटे जो काम हम कराते थे वह नहीं करा सकते हैं चुनान्चे इस 10 प्रतिशत के प्राविधान को खत्म किया जाना चाहिए और इसका आश्वासन भी हम चाहते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में नल लग जावेंगे लेकिन शहरी इलाकों से जो चुनकर आये हैं । मान्यवर, सूखा पड़ा है, वाटर लेविल डाउन हुआ है । गांव देहात में तो पानी कुएं, तालाब से मिल जायेगा लेकिन शहरों में पक्की इमारते हैं, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । टंकियां नहीं है, बिजली नहीं है, जैनरेटर में डीजल नहीं है, बहुत परेशानी है । शहरी क्षेत्र में जो 50 नल सूची देकर लगवाने की बात माननीय मंत्री जी ने साफ कर दी है । सवाल यह है कि जो 10 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में देना है वह किसको देना है, कब देना है ? इसमें विधायक निधि से दिये जाने का प्राविधान समाप्त कर दिया जाना चाहिए । अभी कमाल यूसुफ साहब कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में यह नल कैसे लगेंगे ? कब लगेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि इसमें टण्डन जी जवाब नहीं दे सकते । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी बैठे हैं, वे इसका जवाब दे दें ताकि पूरा सदन इससे मुतमुईन हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष के दो प्रश्नों के अलावा, मैं समझता हूं और मेरा अनुरोध है कि और प्रश्न न खड़े करिये ।

(कुंवर रेवती रमण जी व जगदम्बिका पाल जी के एक साथ बोलने पर)

दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात कैसे सुन सकेंगे ? नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न किया है, माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जब टण्डन जी जवाब देंगे और टण्डन जी ने कहा कि 90 करोड़ सूखा राहत में प्रधानमंत्री के फण्ड से गया है । मान्यवर, पेयजल में रिबोर के लिये उसमें विधायक से कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाता है । ग्राम सभा और ब्लाक प्रमुख के प्रस्ताव से वह रिबोर होते हैं । क्या विधायक के प्रस्ताव से उसको लगवायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया हे उसका उत्तर मंत्री जी दे दें ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, सदन की राय से पंचायतों को कुछ अधिकार दिए गए थे, अब यह हैण्डपम्प की स्थापना मेंटीनेंस पंचायतों को दे दिया गया है । स्थल चयन पंचायतों की जल समिति करती हैं, लेकिन विधायकों

को इससे मुक्त रखा गया है विधायकों को 50 हैण्डपम्प देते हैं जो विधायक अपनी सूची देंगे उनको उसी स्थान पर लगाया जाएगा । ग्रामीण जल सम्पूर्ति में भारत सरकार की नीति आई उसी के अनुसार लगते हैं लेकिन जब खराब होते हैं छोटी-मोटी खराबी देखने वाला कोई नहीं होता है तो जनता की सहभागिता हो, एक जल नीति बनाई है जिसमें 90 प्रतिशत भारत सरकार का धन होगा 10 प्रतिशत जो लोग पानी का उपयोग करेंगे उनसे लिया जाएगा । माननीय विधायक जहां लगवायेंगे धन तो इन्हें इस निधि से मिलेगा, जो ग्रामीण पेयजल निधि के लिए है, विधायकों को कठिनाई है हमसे पैसा लेंगे, विधायक निधि में जो पैसा देंगे 10 प्रतिशत अपना उसी से दे दें, उनके बताये स्थान पर हैण्डपम्प लगाए जायेंगे, यह नीति शहरी क्षेत्र में लागू नहीं है इसलिए विधायकों को अपनी निधि से पैसा नहीं देना है वह पूरा लगेगा । तीसरी बात जगदम्बिका पाल ने कही... (व्यवधान)

श्री राकेश सचान–

मंत्री जी पूरी तरह से बात स्पष्ट नहीं कर पाए हैं मंत्री जी का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है कानपुर में गन्दा जल सप्लाई हो रहा है । 1989 में 1 करोड़ 33 लाख की पेयजल योजना स्वीकृत हुई उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह ग्राम्य विकास का उत्तर कैसे दे पायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है । मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने, कुंवर रेवती रमण सिंह जी और पाल जी ने प्रश्न किया था सचमुच में जो विधायक निधि है, से हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था है । उसमें दस प्रतिशत लिखा गया है कि गांव के लोग या जो इस्तेमाल करेंगे उनसे लिया जायेगा । मान्यवर, गांव सभाओं ने जो इसका उपभोग करने वाले लोग हैं, वह दस प्रतिशत कैसे दे पायेंगे ? इसलिए यह बताया गया कि दस प्रतिशत रखा गया है विधायक कोटे से.....

(व्यवधान)

मान्यवर, इसलिए सारे सदन की भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर बतायें । शहरों में भी यह घोषणा करें कि पचास हैण्ड पम्प लगेंगे । यही मेरा कहना है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ । मैं अब नियम–301 की सूचनाएं ले रहा हूं । श्री राम करन आर्य, श्री वसीम अहमद, श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री राम विशुन आजाद आदि सहित विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें ।

(श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य वापस अपने स्थानों पर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान होने पर)

आप लोग शांत रहें । सदन को शांति से चलने दें । जब आप अपनी बात कहते हैं तो दूसरे की बात को भी सुनें । अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे समस्या का समाधान होगा ? हां तो मैं यह कह रहा था कि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है । नगरीय क्षेत्रों के बारे में तो आपने बता दिया । ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कहा गया कि दस प्रतिशत शामिल होगा तो विधायक निधि से देने की बात आयी । इसका स्पष्टीकरण माननीय सदस्य चाहते हैं । इसके बारे में बता दें ।

श्री लालजी टण्डन–

यह तो भारत सरकार की नीति है । इसलिए हमने यह बताया है कि मैं प्रयास करूंगा । जो माननीय सदस्य सूची देंगे उसमें जो सूखा है या अन्य है उसका डब टेल करके ताकि इन्हें न देना पड़े मैं यह प्रयास करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

हमारे सम्मानित सदस्यों ने हैण्ड पम्प के बारे में चाहे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के लिए हों, अभी माननीय नेता सदन या नगर विकास मंत्री ने अपने जवाब दिये हैं । उस सन्दर्भ में प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया है लेकिन उसके बाद भी कुछ माननीय सदस्यों ने नगर विकास मंत्री से कुछ जानने की इच्छा जाहिर की है ।

श्री लालजी टण्डन–

जब कि यह क्लियर गाइड लाइन्स थी भारत सरकार की कि 20 परसेंट सहयोगिता लाभार्थी को देनी होगी । उसके बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी भारत सरकार को उसके बाद वह 10 परसेंट हो गयी । इसके बाद भी जो प्रयास किये गये कि अगर हमारी जिला पंचायत के लोग नहीं दे पाते हैं तो हमारे विधायक 10 परसेंट अपने हिस्से से दे दें । 10 परसेंट की गाइड लाइन्स के अगेन्स्ट कुछ फण्डों से पोषण करने के लिए विचार कर रहा हूं लेकिन उसके लिए सहयोग तो होना चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

यह जितनी योजनाएं थीं वह प्रधानमंत्री पेयजल योजना में सम्मिलित हो गयीं तब 10 परसेंट लाभार्थी का भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित हो गया लेकिन इसके बाद भी

नोट :–नत्थी ''क'' तारांकित प्रश्न सं०–1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

माननीय नगर विकास मंत्री जी कह रहे हैं कि ठीक है गाइड लाइन्स आ गयी है उस गाइड लाइन्स के बाद भी मैं प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। अब इतना तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको। अगर इतना भी नहीं है कि कोशिश भी न करने दें तो केवल गला दबाने से नहीं हो पायेगा। इतना भी सहयोग नहीं करेंगे तो यूसुफ साहब कैसे फैसला हो पायेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

जब सरकार की तरफ से 'प्रयास करेंगे' यह शब्द आ गया तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को संतुष्ट हो जाना चाहिए।

श्री बलराम यादव–

क्या जिला योजना पर केन्द्रीय सरकार का कोई नियंत्रण है क्योंकि इसका जो वित्त पोषण होता है वह जिला योजना के धन से होता है और जिला योजना की संस्तुति से माननीय विधायक अपने जिलों को देते हैं। मैं माननीय टण्डन जी से अनुरोध करूंगा कि इस बात को स्पष्ट करें कि वित्त पोषण यदि जिला योजना से हो रहा है तो यह राशि विधायक निधि से क्यों ली जा रही है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय विधायकों ने इस पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग की है। मैं आधे घंटे की चर्चा इस पर स्वीकार करता हूं।

प्रदेश में वैट प्रणाली लागू किये जाने एवं उससे होने वाली आय के सम्बन्ध में जानकारी

*2–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वैट प्रणाली प्रदेश में कब से लागू की जा रही है ? क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार ने व्यापार कर मंत्रियों के सम्मेलन में इसे स्वीकार कर भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ? यदि हां, तो इस प्रणाली के लागू होने से कितने करोड़ रुपया प्रति वर्ष सरकार की आय बढ़ेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

भारत सरकार द्वारा राज्यों के वित्त मंत्रियों की वैट लागू करने के लिये गठित प्राधिकृत समिति द्वारा वैट प्रणाली भारत के सभी राज्यों में 1 अप्रैल, 2003 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में अभी कोई अनुमान दिया जाना सम्भव नहीं है।

*3–श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह)–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम पर एन०टी०पी०सी० रेलवे बोर्ड, कोल अथारिटी आफ इण्डिया तथा आयल कारपोरेशन की कथित बकाया धनराशि

*1–कुँवर रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम पर एन०टी०पी०सी० रेलवे बोर्ड, कोल अथारिटी आफ इण्डिया तथा आयल कारपोरेशन की कुल कितनी धनराशि बकाया है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त धनराशि का भुगतान न होने के कारण उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति

बाधित हो रही है तथा उत्पादन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि की अदायगी करायेगी ?यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम पर एन०टी०पी०सी०, रेलवे बोर्ड, आयल कारपोरेशन का कोई बकाया नहीं है । केवल कोल अथारिटी आफ इण्डिया के पुराने देय रु० 365.74 करोड़ बकाया था जिसके भुगतान हेतु भी मोनटेक सिंह अहलुवालिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस धनराशि के बाण्ड जारी कराने की कार्यवाही की जा रही है । इस धनराशि पर कोल कम्पनियों द्वारा ब्याज की भी मांग की जा रही है । यह मांग आरबीट्रेशन में लम्बित है । कोयले के पुराने लम्बित दायित्वों के भुगतान के कारण कोयला आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही हैं । अतः विद्युत उत्पादन में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है । वर्तमान में की जा रही कोयला आपूर्ति के समस्त भुगतान उत्पादन निगम द्वारा किए जा रहे हैं ।

वाराणसी महानगर में तुलनात्मक दृष्टि से की जा रही विद्युत कटौती

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में कितने घण्टे की विद्युत कटौती की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि तुलनात्मक दृष्टि से वाराणसी महानगर में अधिक विद्युत कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

आगरा एवं लखनऊ महानगरों को छोड़कर प्रदेश के अन्य महानगरों में प्रतिदिन 04 से 05 घंटे की कटौती करायी जा रही है । आगरा नगर को ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण तथा लखनऊ नगर को प्रदेश की राजधानी होने के कारण कटौती से मुक्त रखा गया है ।

जी नहीं । वाराणसी महानगर में प्रतिदिन लगभग 04 घंटे कटौती की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई शहर में 220 के०वी० विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की जानकारी

*3–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि हरदोई शहर में 220 के०वी० के विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो गया था ? क्या उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि पी०एफ०सी० ने उक्त के निर्माण हेतु ऋण के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

दिनांक 31-12-2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में जल विद्युत एवं तापीय विद्युत की प्रति यूनिट लागत तथा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जाने वाली प्रति यूनिट विद्युत मूल्य की जानकारी

*4–श्री संजय गर्ग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल विद्युत एवं तापीय विद्युत की प्रति यूनिट उत्पादन लागत कितनी है और उपभोक्ताओं को किस दर पर उपलब्ध करायी जा रही है ? क्या सरकार विद्युत उत्पादन की लागत और उसके वितरण में समानता लाने की कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

उत्तर प्रदेश में उत्पादित उ० प्र० विद्युत उत्पादन निगम से वर्ष 2001-02 में क्रय की जाने वाली ऊर्जा की प्रति यूनिट दर रु० 1.54 है एवं उ० प्र० जल विद्युत निगम से क्रय करने वाली ऊर्जा की प्रति यूनिट दर रु० 0.37 है ।

उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली ऊर्जा की विक्रय औसत दर संबंधित विवरण संलग्नक–2 में दिया गया है जिसके अनुसार सभी श्रेणियों की सम्मिलित औसत विक्रय दर रु० 2.30/- यूनिट है ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा प्रचार किये जा रहे हैं कि विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक सकल राजस्व फुल कास्ट रिकवरी के लिए हो । प्रदेश में राजस्व वसूली बढ़ाने एवं लाइन हानियां कम करने की कार्य योजना की प्रति हार्ड कापी में मेरे कार्यालय कक्ष में किसी भी समय देखी जा सकती है ।

*5–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[3सरे सोमवार के तारां० प्र० सं०–14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

अपट्रान के पुनर्वासन हेतु कथित कार्य योजना

*6–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपट्रान के पुनर्वासन हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० शीमा रिज़वी)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार की केन्द्र सरकार से हुई वचनबद्धता के आधार पर राज्य सरकार किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को अब कोई बजटरी सहायता न देगी ।

जनपद फर्रुखाबाद में सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत आपूर्ति 16 घन्टे किये जाने की मांग

*7–श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखा ग्रस्त जनपदों में सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति की क्या कोई विशेष व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फर्रूखाबाद में सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत आपूर्ति आठ घण्टे से बढ़ाकर 16 घण्टे करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 08 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

उ० प्र० विद्युत कारपोरेशन में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता में प्रोन्नति में आरक्षण कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में जानकारी

*8–श्री राम करन आर्य तथा श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15–7–02 को उ० प्र० विद्युत कारपोरेशन द्वारा अवर अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति से सम्बन्धित सूची में क्या आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

दिनांक 15-7-2002 को तीनों निगमों यथा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का कोटा पूर्ण है।

40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति तथा 8.33% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति हेतु आरक्षित कोटा पदों को उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका है।

पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि कथित रूप से बढ़ाये जाने की जानकारी

*9–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि बढ़ाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि का निर्धारण किया जाता है।

जनपद देवरिया में वर्ष 2001-2002 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय बनाये जाने हेतु निर्गत धनराशि तथा निर्मित शौचालयों की जानकारी

*10–श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001–2002 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में देवरिया जनपद भी चयनित किया गया था ? जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय बनाये जाने हेतु धनराशि निर्गत की गयी थी ? यदि हां, तो जनपद देवरिया में कुल कितने सुलभ शौचालय बनाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

वर्ष 2000-01 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत जनपद देवरिया का चयन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं कराया जाता है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत जनपद देवरिया के प्रथम चरण में केन्द्रांश के रूप में रुपये 102.59 लाख तथा राज्यांश के रूप में रुपये 19.32 लाख कुल रुपये 121.91 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस आवंटित धनराशि में से व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु रुपये 71.53 लाख की धनराशि मात्राकृत है।

जनपद देवरिया में सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है, अपितु माह जुलाई, 2002 तक कुल 12108 व्यक्तिगत शौचालय तथा कुल 58 स्कूल शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

अतारांकित प्रश्न

श्रम न्यायालय (2) मेरठ को सहारनपुर स्थानान्तरित करने की मांग

1–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा 2 मई, 2001 को दी गई नियम–51 के अन्तर्गत सूचना जिस पर दिनांक 10 मई, 2001 को संबंधित मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया गया था, के अनुसार श्रम न्यायालय–2 मेरठ से सहारनपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

शासनादेश संख्या–478/36-2-2001–144/99, दिनांक 5-5-2001 द्वारा श्रम न्यायालय (2) मेरठ को सहारनपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा न्यायालय के समस्त स्टाफ ने अपनी योगदान आख्या उप श्रमायुक्त, सहारनपुर के समक्ष दि० 11-6-2001 को प्रस्तुत कर दी किन्तु भवन की व्यवस्था न होने के कारण सहारनपुर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। भूमि/भवन की स्थाई व्यवस्था हेतु स्थलीय निरीक्षण करने के लिए रजिस्ट्रार, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय को निदेशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

2–श्री राकेश सचान–

[4थे सोमवार के अता० प्र० सं०–40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

कानपुर नगर के घाटमपुर में स्थित प्राचीन कुड़नी हनुमान मन्दिर उससे लगे तालाब का जीर्णोद्धार किये जाने की मांग

3–श्री राकेश सचान–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर में स्थित प्राचीन कुड़नी हनुमान मन्दिर व उससे लगा तालाब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर एवं तालाब का जीर्णोद्धार कराने तथा उक्त स्थल को जाने वाली सड़क का निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त मन्दिर कुड़नी से सुन्दरपुर जाने वाले मार्ग के किनारे स्थित है । अतः मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं है । हनुमान मन्दिर उससे लगे तालाब के जीर्णोद्धार हेतु कोई योजना वर्तमान में स्वीकृत नहीं है ।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर साठ में स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण किये जाने का कथित प्रकरण

4–श्री राकेश सचान–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर साठ में शासन द्वारा 133 के०वी०ए० विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं । प्रदेश की विद्युत प्रणाली में 133 के०वी०ए० का नहीं, अपितु 132 के०वी० का विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाता है । घाटमपुर साठ में कोई 132 के०वी० का विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

5–श्री रामजीत राजभर–

[4थे सोमवार के अता० प्र० सं०–41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

बलिया शहर में सीवरेज कार्य सम्पन्न कराये जाने की मांग

6–श्री नारद राय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999 में बलिया शहर में सीवरेज कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कोई योजना स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त सीवरेज कार्य सम्पन्न करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुर्वेद चिकित्सालयों में यूनानी कक्ष स्थापित कराये जाने का कथित प्रकरण

7–श्री रियाज अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में यूनानी कक्ष स्थापित किये जाने के संबंध मे निदेशालय, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उ०प्र० के आदेश संख्या 2190–2210/ योजना/3093/06 दिनांक 4–8–86 के द्वारा जिला योजना मार्ग निर्देशिका 1987–88 जारी की गई थी ? यदि हां, तो उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

निदेशालय के पत्र संख्या–2190–2210/योजना/3093/86, दिनांक 4-8-86 के द्वारा जिला योजना की मार्ग निर्देशिका 1987-88 जारी की गयी थी, किन्तु उक्त में यूनानी कक्ष स्थापित किये जाने हेतु कोई निर्देश नहीं दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभाग में कोई ऐसी योजना नहीं चल रही है जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सालय में यूनानी कक्ष की स्थापना की जा सके । जिला योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की पृथक-पृथक स्थापना की जाती है ।

उप निदेशक यूनानी के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

8–श्री रियाज अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 1990 से उप निदेशक यूनानी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्या उक्त पद पर नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मायावती–

जी नहीं । आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय उ० प्र० में उपनिदेशक यूनानी का पद दिनांक 31-3-1991 से रिक्त है । उक्त पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्राविधान है । वर्तमान में पोषक संवर्ग में कोई अभ्यर्थी पदोन्नति की पात्रता क्षेत्र में नहीं आता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

यूनानी चिकित्सकों से संबंधित शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग

–श्री रियाज अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1760 सेक–9/ पांच 09/89 चिकित्सा अनुभाग–9 दिनांक 4 जून 1996 द्वारा यूनानी चिकित्सकों से संबंधित 4 प्रस्ताव शासन द्वारा जारी किये गये ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो शासनादेश का अनुपालन कब तक सुनिश्चित किया जायेगा ?

श्री मायावती–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

च्च स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली बनाये जाने का जारी कथित निर्देश का अनुपालन

0–श्री रियाज अहमद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3658/5-11-95. (228)/78 टी०सी० चिकित्सा अनुभाग–11 दिनांक 26 दिसम्बर, 1995 के अनुसार उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को सेवा संवर्ग/सेवा नियमावली बनाने का निर्देश जारी किया गया था ? यदि हां, तो उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मायावती–

संदर्भित शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1995 के अनुसार ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है वरन् शासनादेश संख्या–3658/5-11-95-9(228)/78 टी०सी० दिनांक 26 सितम्बर, 1995 के अनुसार चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) की एक सेवा नियमावली बनाने के निर्देश जारी किये गये थे ।

चिकित्साधिकारी (सामु०स्वा०) के पद सृजन संबंधी आदेशों में उक्त पदों को आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारी संवर्ग के पदों में वृद्धि एवं समान संवर्ग माने जाने के दृष्टिगत चिकित्साधिकारी (सामु०स्वा०) की पृथक सेवा नियमावली की सम्प्रति आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री रामधनी पुत्र खदेरू अ० जा० ग्राम अहिरौली, पोस्ट–खड्डा, तहसील–पडरौना जिला कुशीनगर द्वारा चुनाव में हुए खर्च का विवरण न जमा के कारण उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाही

11–श्री बादशाह सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित श्री बेचनराम स०वि०स० द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामधनी पुत्र श्री खदेरू, अ०जा०, ग्राम–अहिरौली पो०–खड्डा, तहसील–पडरौना, जिला कुशीनगर द्वारा चुनाव में खर्चा का विवरण जमा न करने के आरोप में तीन वर्ष तक कोई चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हुए थे ? क्या 1995 में ग्राम प्रधान का चुनाव अवैधानिक तरीके से लड़े थे तथा उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) (6) (पांच) के तहत कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही पूर्ण हो गयी ? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्नगत मामले में संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा–95(1)(छ) (5) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और श्री रामधनी को जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के आदेश दिनांक 27-3-2000 द्वारा ग्राम पंचायत अहिरौली के प्रधान पद से पदच्युत कर दिया गया ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम हरदोई में 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

12–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल निगम हरदोई में कितने अधिकारी/कर्मचारी पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

20 कर्मचारी 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से तैनात हैं । कोई भी अधिकारी 5 वर्ष या अधिक अवधि से कार्यरत नहीं है ।

कर्मचारियों का पांच वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत होने के आधार पर स्थानान्तरण नीति में प्राविधानित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नीति में प्राविधान न होने के कारण ।

13–श्री दिनेश सिंह–

[5 वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।

जनपद वाराणसी में बिजली की ब्रेक डाउन ठीक करने हेतु नियुक्त कर्मचारियों की संख्या व समयावधि की जानकारी

14–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में बिजली की ब्रेक डाउन को ठीक करने के लिए कोई रात्रिकालीन गैंग नियुक्त है ? यदि हां, तो उक्त गैंग में अवर अभियन्ता सहित कितने कर्मचारी तैनात हैं और उक्त गैंग के कार्य करने की समयावधि क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

चार ।

सायं सात बजे से प्रातः सात बजे तक ।

जनपद वाराणसी में भिखारीपुर स्थित विद्युत सब-स्टेशन पर एक 20 एम०वी०ए० का नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने की मांग

15–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में भिखारीपुर स्थित 132 के०वी०ए० सब स्टेशन में ओवर लोडिंग की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर 20 एम०बी०ए० का एक नया ट्रान्सफारमर स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत स्थान पर 20 एम०वी०ए० का एक ट्रांसफार्मर मार्च, 2003 तक स्थापित करने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित उतरेठिया रेलवे क्रासिंग से शान्ति शिक्षा स्कूल पारा रोड के पूर्वी भाग में कथित सीवर पाइप लाइन बिछाने हेतु धन आवंटन की मांग

16–डा० कौशल किशोर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम् कालोनी लखनऊ स्थित जलालपुर रेलवे क्रासिंग से उतरेठिया रेलवे क्रासिंग के बीच स्थित पारा रोड पर ड्रेनेज हेतु सीवेज पाइप लाइन बिछायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उतरेठिया रेलवे क्रासिंग से शान्ति शिक्षा स्कूल, पारा रोड के पूर्वी भाग में जल/मल निकासी हेतु सीवर पाइप लाइन डाले जाने हेतु धन आवंटित कर उक्त कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । केवल जल निकासी हेतु ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74वें संविधान संशोधन के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था अप्रैल, 1997 से समाप्त हो गयी है । स्वसंसाधनों अथवा राज्य वित्त आयोग/11वें वित्त आयोग

की संस्तुतियों द्वारा मिलने वाली धनराशि से उक्त प्रकार के कार्यों का कराया जाना स्थानीय निकायों का दायित्व है।

जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम राजवापुर के निवासियों के नाम विद्युत बिल भेजे जाने की जांच

17–श्री मशहूद खां–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में विकास खण्ड तुलसीपुर के ग्राम पंचायत राजवापुर कन्दैला के मजरा ग्राम राजवापुर का विद्युतीकरण न होने के बावजूद भी राजवापुर के अधिकांश निवासियों के नाम विद्युत बिल भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही भी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां।

जी नहीं।

ग्राम राजवापुर के निवासियों ने उ० प्र० पावर कारपोरेशन को लिखित घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, कि वे अवैध रूप से कटिया डाल कर विद्युत उपभोग कर रहे हैं तथा शासन की नीति के अनुसार उनके अवैध कटिया कनेक्शनों का नियमितीकरण कर दिया जाय। अतः उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपभोग की स्वीकारोक्ति के अनुसार ही विद्युत बिल निर्गत किए गये हैं। उपभोक्ताओं की घोषणा-पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में उनके विद्युत बिल निरस्त कर दिए जायेंगे।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में नगर व ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति का प्रकरण

18–श्री मशहूद खां–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में नगर एवं ग्रामीण अंचलों में कितने-कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्तमान में तुलसीपुर नगर तथा ग्रामीण अंचलों में प्रतिदिन लगभग 08 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 08 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के ग्राम परैनाबाजिद, नौडीह, धुन्नीजोत, महुघनी के निवासियों के नाम विद्युत बिल भेजे जाने का प्रकरण

19–श्री अनवर महमूद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के ग्राम परैनाबाजिद में नौडीह धुन्नीजोत, महुघनी में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी लोगों के वहां विद्युत बिल आता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

ग्राम पुरैना वाजिद में नवडीह, धुन्नीजोत, महुधनी के निवासियों ने उ० प्र० पावर कारपोरेशन को लिखित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया था कि वे अवैध रूप से कटिया डाल कर विद्युत उपभोग कर रहे हैं तथा शासन की नीति के अनुसार उनके अवैध कटिया कनेक्शनों का नियमितीकरण कर दिया जाय । अतः उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपभोग की स्वीकारोक्ति के अनुसार ही विद्युत बिल निर्गत किए गये हैं । उपभोक्ताओं का घोषणा पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में उनके विद्युत बिल निरस्त कर दिए जायेंगे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण

20–श्री अनवर महमूद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 2000–2001, 2001-2002 की जिला योजनाओं में किन–किन गांवों को विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया गया था ? क्या स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया गया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जनपद बलरामपुर के उतरौला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में निम्नलिखित 5 ग्रामों का चयन विद्युतीकरण हेतु हुआ ।

1–मानापार बहेरिया के शेष पुरवे
2–नयानगर विशुनपुर के शेष पुरवे
3–रूखी मझारी के शेष पुरवे
4–महदेईया के शेष पुरवे
5–सुमरी के शेष पुरवे ।

वर्ष 2001-2002 में जिला योजना के अन्तर्गत किसी ग्राम का चयन नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है । माह 12/2002 तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने की संभावना है ।

श्री निरंकार सिंह तोमर सहायक अभियन्ता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

21–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री निरंकार सिंह तोमर सहायक अभियन्ता एवं श्री निरपेश तोमर अवर अभियन्ता के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 जून, 2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

शिकायती-पत्र के क्रम में श्री निरंकार सिंह तोमर, सहायक अभियन्ता को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्थानान्तरित कर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में तैनात कर दिया गया है । शिकायती-पत्र के शेष बिन्दुओं के संबंध में उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के सण्डीला में श्रीमती शफकत फातिमा नुसरत मंजिल की निजी भूमि पर ट्रांसफार्मर लगाये जाने का प्रकरण

22–श्री पूर्णमासी देहाती–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सण्डीला जनपद हरदोई में ऊर्जा विभाग द्वारा श्रीमती शफकत फातिमा, नुसरत मंजिल की निजी भूमि पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त ट्रांसफार्मर उनकी लिखित सहमति से स्थापित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के आदेश पारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जिस स्थल पर ट्रांसफार्मर लगा है वह स्थान सार्वजनिक है । अन्यत्र ट्रांसफार्मर लगाने के लिए स्थान सुलभ नहीं है । जनहित में उक्त ट्रांसफार्मर को हटाना संभव नहीं है ।

जनपद कन्नौज में आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

23–श्री विजय बहादुर पाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज में आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालय कितने ऐसे हैं, जिनमें चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गई है ? रिक्त स्थानों पर चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

छः आयुर्वेदिक एवं दो यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती नहीं है ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी फर्रुखाबाद जिनके पास कन्नौज जिले का प्रभार भी है, को इन रिक्त चिकित्सालयों में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सकों की सम्बद्धता करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

जनपद कन्नौज के विकास खण्ड उमर्दा में पक्षी विहार बहोसी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने की मांग

24–श्री विजय बहादुर पाल –

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद कन्नौज के विकास खण्ड उमर्दा में पक्षी बिहार बहोसी है, जहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते हैं, जिन्हें देखने के लिए असंख्य पर्यटक आते रहते हैं ? यदि हां, तो पर्यटकों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पक्षी विहार को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जनपद कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी विहार को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु वर्ष 2000-2001 में लान के निर्माण, झील में बंध का निर्माण एवं दो ओपन प्लेट फार्मों के निर्माण हेतु रु० 5.00 लाख एवं वर्ष 2001-2002 में बन्ध/ट्रैकिंग पथ के निर्माण, ओपेन प्लेटफार्मों के निर्माण, बच्चों हेतु झूले एवं बेंचों के निर्माण हेतु रु० 5.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

25–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

[5 वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद लखनऊ के टिकैतराय तालाब में लगे संगीतमय फौहारा स्थल का सौन्दर्यीकरण की मांग

26–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ के टिकैतराय तालाब में सांसद निधि से वर्षों पूर्व लगाये गये संगीतमय फौहारा ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त स्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर में आधुनिक कूड़ाघर बनाये जाने की कथित योजना

27–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर में आधुनिक कूड़ाघर बनाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर और कब तक उक्त कूड़ाघर बनाया जायेगा ? कहां-कहां बनकर तैयार हो गया है तथा प्रति कूड़ाघर बनवाने की लागत मूल्य कितना है ?

श्री लाल जी टण्डन--

जी नहीं।

उ० प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–114 के अन्तर्गत यह कार्य नगर निगम लखनऊ के दायित्व व अधिकार क्षेत्र में है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम में सफाई कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी

28–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के सभी 110 वार्डों में सफाई करने हेतु नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो प्रत्येक वार्ड में इनकी संख्या क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

सभी वार्डों में कार्यरत नियमित सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या–3161 है जिनकी वार्डवार संख्या की सूची उपलब्ध है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन संख्या–734/11 के आवंटन का प्रकरण

29–श्री रामजीत राजभर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि संयुक्त सचिव (एम) लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–1361/जे०एस०एम०/05, दिनांक 23-12-1995 द्वारा टिकैतराय योजना लखनऊ में भवन संख्या एच–734/11, का आवंटन किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त आवंटन विभागीय कर्मचारी होने के आधार पर किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त आवंटी लखनऊ विकास प्राधिकरण में कर्मचारी नहीं है और उसका अनुचित लाभ दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । आवंटन कर्मचारी होने के आधार पर किया गया था कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास विकास कानपुर रोड योजना की कालोनी में चल रहे स्कूलों को अलग हटाये जाने की मांग

30–श्री राम करन आर्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर रोड योजना के जी० ब्लाक एवं एच० ब्लाक, लखनऊ में कितने विद्यालय आवासीय कालोनियों के आवासों में चलाये जा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त आवासों में चल रहे विद्यालयों को कालोनी से खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर रोड योजना के ब्लाक "जी" में 7 एवं "एच" में 12 विद्यालय आवासीय कालोनी के आवासों में चलाये जा रहे हैं ।

जी हां ।

विद्यालयों को हटाये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित खुशहालगंज में पशु चिकित्सालय की भूमि खाली कराने की मांग

31–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ स्थित खुशहालगंज में पशु चिकित्सालय की भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

पशु सेवा केन्द्र खुशहाल गंज की राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि की पैमाइश कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है । तत्पश्चात् साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित ग्राम बरावन कला में कूड़े के ढेर को हटाने का प्रकरण

32–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ स्थित ग्राम बरावन कला में कूड़े के ढेर एवं गन्दगी के कारण मच्छरों की बढ़ोत्तरी से संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका है ? क्या सरकार जनहित में उक्त गांव में पड़े कूड़े के ढेरों को गांव से हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

उ० प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–114 के अन्तर्गत यह कार्य नगर निगम के दायित्व व अधिकार क्षेत्र में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन में फर्जी भुगतान की जांच का प्रकरण

33–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन में रुपये 73 लाख के फर्जी भुगतान के दोषी उपमहाप्रबन्धक (सिविल) पारेषण इलाहाबाद के विरुद्ध कार्यवाही करके वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय जय प्रकाश, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 2-9-2001 जो माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

इसी प्रकरण से संबंधित विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित आपके द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०–50 के उत्तर में सूचित किया जा चुका है कि प्रश्नगत मामले में जांच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु महाप्रबन्धक (जनपद वितरण) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है जिसकी आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

34–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी डाक्टरों के रिक्त पदों पर डा० सुहेल अहमद (विकलांग) को समायोजित किया जाने का प्रकरण

35–श्री अनवर महमूद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 संख्या 283/71-2-2001डब्लू 64/88 टी०सी०, लखनऊ दिनांक 16 जनवरी, 2001 में आयुर्वेदिक/यूनानी डाक्टरों के पद को समायोजित करने हेतु सरकार द्वारा विज्ञप्ति निकाली गयी थी ? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थियों को समायोजित किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि विज्ञप्ति सूची में क्रम संख्या–2 पर डा० सुहेल अहमद जो विकलांग हैं, को समायोजित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनका समायोजन कब तक कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

संदर्भित विज्ञप्ति दिनांक 16 जनवरी, 2001 के क्रम में प्राप्त अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अभ्यर्थियों को समायोजित किये जाने/तदर्थ नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

36–श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

[4थे सोमवार के अता० प्र० सं०–47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जल निगम देवरिया में अधिशासी अभियन्ता के कथित रिक्त पद को भरे जाने का प्रकरण

37–श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम देवरिया में अधिशासी अभियन्ता का पद गत 9 वर्षों से रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

38 व 39–श्री नारद राय–

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद मेरठ के टाउन एरिया किठोर में माता वाले तालाब की जल निकासी हेतु नाला बनवाने की मांग

40–श्री शाहिद मंजूर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ के टाउन एरिया किठोर में माता वाले तालाब में बरसात का पानी भर जाता है जिससे तालाब के किनारे बसे लोगों के जानमाल का खतरा बना

रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तालाब से पानी की निकासी हेतु तालाब मूसिया वाला तक नाले का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

41–श्री सुल्तान बेग–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के स्वीकृत प्रस्तावों पर कार्य प्रगति की जानकारी

42–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में पूर्वांचल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998 से 2001 तक प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया ? स्वीकृत कितने प्रस्तावों पर कार्य पूर्ण करवा लिया गया है और कितने स्वीकृत प्रस्तावों पर कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया ? क्या अधूरे कार्यों को सरकार पूर्ण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 1998 से 2001 तक प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये 38 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया ।

स्वीकृत 38 कार्यों में से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 16 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं तथा 22 कार्य प्रगति पर है ।

अधूरे कार्य भी प्रगति पर हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के शंकरपुरवा वार्ड स्थित आलोक नगर मोहल्ले के विकास हेतु अध्यक्ष, आलोक नगर जन कल्याण समिति के पत्र पर कृत कार्यवाही

43–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के शंकर पुरवा वार्ड स्थित आलोक नगर में आलोक नगर मोहल्ले के विकास में सड़क एवं नालियों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, आलोक नगर जन कल्याण समिति, आलोक नगर, लखनऊ का पत्रांक–ए०एन०जे०के०/17/01, दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगर निगम स्तर पर सर्वेक्षण किया गया ।

आलोक नगर अनाधिकृत रूप से बसी हुई कालोनी है, जिसमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित आवासीय समिति अथवा क्रेताओं/विक्रेताओं का है । उक्त के अतिरिक्त यू०पी० अर्बन प्लानिंग डेवलपमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत किसी समिति द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से ले-आउट प्लान स्वीकृत कराकर विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है ।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में नियमित विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

44–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भोगांव विधान सभा क्षेत्र जनपद मैनपुरी में पांच घण्टे बिजली दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कस्बा भोगांव में 16 घण्टे बिजली आपूर्ति कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं । वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 08 घण्टे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है ।

जनपद बांदा के ग्राम दुरेड़ी में लगाये जा रहे हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

45–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेयजल समस्या के निदान हेतु वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में कुल कितने हैण्ड पम्प रिबोर किये गये हैं ? जनपद बांदा के ग्राम दुरेड़ी में लगाये जा रहे हैण्ड पम्प का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रदेश में पेयजल समस्या के निदान हेतु वर्ष 2000-2001 में कुल 12065 नग हैण्ड पम्प तथा वर्ष 2001-02 में कुल 33474 नग हैण्ड पम्प रिबोर किये गये हैं ।

डी०सी० रिंग बोरिंग मशीन से बोरिंग में समुचित जल "स्ट्रेटा" न मिलने के कारण बोरिंग सफल न हो सकी ।

तकनीकी पहलू निहित होने के कारण कोई निश्चित समयावधि देना संभव नहीं है ।

जनपद कानपुर के अन्तर्गत व्यावसायिक केन्द्र पनकी के व्यावसायिक भू-खण्डों से अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

46–श्री संदीप अग्रवाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पनकी व्यवसायिक केन्द्र पनकी, कानपुर में सार्वजनिक शौचालयों हेतु निर्धारित स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध कब्जे को हटवाकर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

पनकी व्यावसायिक केन्द्र पनकी कानपुर के लिये कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये ले-आऊट में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है । व्यावसायिक भू-खण्डों के कुछ भाग पर अवैध कब्जे हैं, जिन्हें हटाने की विधि अनुसार कार्यवाही शीघ्र की जावेगी ।

47–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

[5वे शुक्र के लिए स्थगित ।

ओबरा तापीय परियोजना की राख ग्राम–खैरटिया के ऐश-डैम में डाले जाने की मांग

48–श्री विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा तापीय परियोजना के राख निस्तारण हेतु ग्राम खैरटिया के पुराने ऐश-डैम को ऊंचा करने हेतु गत वर्ष 40 लाख रुपये खर्च किये गये हैं ? क्या उक्त ऐश-डैम में राख न डालकर रिहन्द नदी में राख डाला जा रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस मामले की जांच करवाकर उस पर रोक लगवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रश्न में उल्लिखित पुराने ऐश-डैम को ऊंचा करने के लिए गत वर्ष रु० 46.51 लाख खर्च किया गया ।

जी नहीं । ऐश-डैम में ही राख डाली जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

49–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

[4थे सोमवार के अता० प्र० सं०–42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी में मछुआ आवास आवंटन में कथित अनियमितता की जांच का प्रकरण

50–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी में कितने मछुआ आवास, वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में आवंटित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि आवास आवंटन में अनियमितता करके अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी में वर्ष 1999-2000 में 305 मछुआ आवास तथा वर्ष 2000-2001 में 308 मछुआ आवास आवंटित किए गए हैं ।

जी नहीं ।

आवास आवंटन में कोई अनियमितता नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में अनियमितता की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद उन्नाव में आयुर्वेदिक अधिकारी के पद पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की नियुक्ति किये जाने की मांग

51–श्री रामजीत राजभर–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में कार्यरत क्षेत्रीय एवं आयुर्वेदिक अधिकारी, जनपद उन्नाव चिकित्सकों में कनिष्ठ हैं और जिला स्तरीय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का कार्यभार दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी जांच कराकर जनपद में उपलब्ध वरिष्ठ चिकित्साधिकारी को उक्त पद पर तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी सेवा संवर्ग की संशोधित/अंतिम ज्येष्ठता सूची शासनादेश दिनांक 13-8-2001 द्वारा निर्गत की गयी है जिसके अनुसार जनपद उन्नाव में वर्तमान में कार्यरत कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी जनपद के अन्य चिकित्सकों से कनिष्ठ हो गये हैं । दिनांक 13-8-2001 से पूर्व प्रचलित ज्येष्ठता सूची के आधार पर वर्तमान चिकित्साधिकारी को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का कार्यभार दिया गया ।

प्रकरण का परीक्षण कराकर जनपद के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की उक्त पद पर तैनाती की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ तहसील फूलपुर विकास खण्ड पवई के ग्राम खन्डौरा से पूरा तक सड़क निर्माण का कवित प्रस्ताव

52–श्री राम करन आर्य–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से ग्राम खन्डौरा वि० ख० पवई तह० फूलपुर जनपद आजमगढ़ में मुशहरों के पूरा से लेकर खन्डौरा ग्राम तक 3 कि०मी० की सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्नगत योजना का कोई प्रस्ताव मण्डलायुक्त आजमगढ़ से संस्तुति सहित प्राप्त नहीं हुआ है ।

जिला जेल बाराबंकी में एन०डी०पी०एस० एक्ट में बन्द तथा विचाराधीन कैदियों को रिहा किये जाने की कवित मांग

53–श्री छोटे लाल यादव–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में बाराबंकी जेल की क्षमता से चार गुना ज्यादा बन्दी जिला कारागार में बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार एन०डी०पी०एस० एक्ट में बन्द लोगों तथा विचाराधीन कैदियों की जांच कराकर रिहा करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० के समस्त ग्राम पंचायतों में सह सचिव संविदा पर नियुक्त किये जाने का प्रकरण

54–श्री पारस नाथ यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० के समस्त ग्राम पंचायतों में सह-सचिव के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1268/33–1–2001–696/2000. दिनांक 6 जून, 2001 जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन

जनपद–जौनपुर के मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?उक्त शासनादेश का अनुपालन कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

शासनादेश संख्या–1268/33–1-2001–696/2000, दिनांक 6-6-2001 में यह व्यवस्था की गई है कि जिन ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिक शासकीय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात नहीं है, वहां ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव पर सह सचिव को संविदा पर तैनात कर सकती है ।

शासनादेश में सह सचिव की तैनाती से संबंधित अंश का अनुपालन मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, जौनपुर द्वारा नहीं किया जाना है, अपितु सह सचिव की तैनाती से संबंधित कार्यवाही ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी, जौनपुर द्वारा जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को जुलाई, 2001 में निर्देश भेजे गये हैं ।

जनपद मेरठ नगर पंचायत किठौर में बुलडोजर द्वारा अनुसूचित जातियों के घरों को गिराये जाने का कथित प्रकरण

55–श्री शाहिद मंजूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 अप्रैल, 2002 को नगर पंचायत किठौर, जनपद–मेरठ में बुलडोजर द्वारा गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के भवन गिराये गये थे ? यदि हां, तो उन मकानों को गिराने का कारण क्या है ? क्या उन व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की जांच विषयक निवर्तमान विधायक का शिकायती-पत्र

56–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव पारेषण लाईन के निर्माण में बैचिंग (भूमि समतलीकरण) में किये गये 2.25 करोड़ के घोटाले की सी०बी०आई० जांच कराये जाने सम्बन्धी श्री हरदेव सिंह, निवर्तमान विधायक का पत्र दिनांक 30-12-2001 जो कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रकरण में पत्र सं०–04 एम०एल०सी० पी–3/2002–24–25स/01 दिनांक 29-1-2002 द्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन से आख्या मांगी गयी है, जो पावर कारपोरेशन स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अन्तर्गत विद्युत गृहों में पानी भरने एवं अनुरक्षण में कथित फर्जी भुगतान की जांच विषयक विधायक का शिकायती-पत्र

57–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अन्तर्गत विद्युत गृहों में पानी भरने एवं अनुरक्षण में हुए फर्जी भुगतान सम्बन्धी श्री जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 5-8-2001 जो मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रकरण में मुख्य महाप्रबन्धक, जल विद्युत परियोजनाएं, देहरादून से विस्तृत आख्या मांगी गयी थी । मुख्य महाप्रबन्धक, देहरादून से प्राप्त आख्या का उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के मुख्यालय पर परीक्षण किया गया । परीक्षणोपरान्त संदर्भित पत्र में लगाए गए तथाकथित आरोप निराधार एवं वास्तविकता से परे पाये गये । इसके लिए कोई कार्मिक दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम भगवानपुर में विद्युत गृह की प्रगति की जानकारी

58–श्री शाहिद मंजूर–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ अन्तर्गत ग्राम–भगवानपुर, तहसील–मवाना में विद्युत गृह निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत गृह का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

ग्राम भगवानपुर में नहीं, जनपद मेरठ की तहसील–मवाना के ग्राम–भगवानपुर में नये 33 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ महानगर की पशु वधशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का प्रकरण

59–श्री शाहिद मंजूर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महानगर मेरठ में पशु वधशाला हापुड़ रोड के आस-पास का क्षेत्र दूषित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु वधशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा–541 (29) के अन्तर्गत वधशालाओं की सफाई की स्थिति को नियंत्रित और विनियमित करना नगर निगम, मेरठ का दायित्व है ।

जनपद मेरठ, ब्लाक–परीक्षितगढ़ के ग्राम–असीलपुर/छुचाई में विद्युत गृह के निर्माण की कथित प्रस्तावित योजना

0–श्री शाहिद मंजूर–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मेरठ ब्लाक–परीक्षितगढ़ के ग्राम–असीलपुर/छुचाई में बिजलीघर बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ी रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं है ।

यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत भ्रष्ट अधिकारियों की सम्पत्तियों की सी०बी०आई० द्वारा जांच कराये जाने विषयक पूर्व विधायक का पत्र

।–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के दोषी धिकारियों को संवेदनशील पदों से हटाते हुए उनकी अपार सम्पत्ति की सी०बी०आई० जांच विषयक ो जय प्रकाश, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 14-10-01 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ी रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रकरण में पत्र सं०–1470–पी–3–2002–24-25स/2001, दिनांक 2-5-2002 द्वारा उ० प्र० पावर रपोरेशन से आख्या मांगी गयी है, जो पावर कारपोरेशन स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर तहसील में पशु चिकित्सालय, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचरियों तथा टीकाकरण हेतु उपलब्ध धन की जानकारी

'–श्री राकेश सचान–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर तहसील में तने पशु चिकित्सालय हैं और उनमें कितने डाक्टरों व कर्मचारियों की नियुक्ति है ? क्या अस्पताल में ुओं की बीमारियों के टीकाकरण हेतु धन उपलब्ध कराया गया है ?

ा लालजी टण्डन–

जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर तहसील में 6 पशु चिकित्सालय, 22 पशु सेवा केन्द्र तथा (एक) "द" श्रेणी औषधालय है । इन पशु चिकित्सा संस्थाओं में 6 पशु चिकित्सा अधिकारी, 6 वेटनरी र्मासिस्ट, 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं 17 पशुधन प्रसार अधिकारी नियुक्त हैं ।

पशुओं की बीमारी के टीकाकरण हेतु विभिन्न प्रकार की वैक्सीन मुख्यालय से उपलब्ध करायी जाती है । इसके अतिरिक्त खुरपका, मुंहपका रोग से बचाव हेतु जिला योजना के अन्तर्गत मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को धन भी उपलब्ध कराया जाता है जिससे फूट एण्ड माउथ डिजीज वैक्सीन का क्रय करके पशु चिकित्सालयों को टीकाकरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है ।

जनपद सिद्धार्थनगर, क्षेत्र पंचायत बांसी, ग्राम पंचायत बसन्तपुर के ग्राम प्रधान तथा पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच विषयक नागरिकों का पत्र

63–श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत बसन्तपुर, क्षेत्र पंचायत बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 28-8-2001 को आयुक्त, बस्ती मण्डल को कोई शिकायती-पत्र ग्राम पंचायत के नागरिकों द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

आयुक्त, बस्ती मण्डल के कार्यालय में सन्दर्भित शिकायती-पत्र दिनांक 28-8-2001 को नहीं बल्कि दिनांक 8-7-2002 को प्राप्त हुआ था ।

प्रधान ग्राम पंचायत बसन्तपुर के विरुद्ध संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) (छ) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को आरोप-पत्र निर्गत कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

निजी कालोनियों का वेटरमेंट का निर्धारण, नक्शा स्वीकृति, भू-प्रयोग परिवर्तन नियमितीकरण

64–सुश्री अरुणा तोमर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण में 1 जनवरी, 2000 से 10 जुलाई, 2002 के मध्य वेटरमेंट का निर्धारण नक्शा स्वीकृति भू-प्रयोग परिवर्तन नियमितीकरण निजी कालोनियों का विकास कार्य लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका समयबद्ध रूप में निस्तारण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चित्रकूट धाम मण्डल जल संस्थान, इकाई बांध में महेश सेन व श्याम किशोर को नल मिस्त्री का लाइसेंस दिये जाने का प्रकरण

65–श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान, इकाई–बांदा, जनपद–बांदा में महेश सेन एवं श्याम किशोर नाम के व्यक्तियों को जल संस्थान बांदा के सहायक अभियन्ता द्वारा नल मिस्त्री के रूप में पंजीकृत कर लाइसेंस प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण में दोनों अनाधिकृत लाइसेन्स धारकों के लाइसेन्स निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

श्री महेश सेन एवं श्याम किशोर को अधिशासी अभियन्ता द्वारा लाइसेंस दिया गया था ।

प्रश्नगत प्रकरण में दोनों लाइसेंस धारकों को अनधिकृत नहीं कहा जा सकता है । श्री श्याम किशोर के विरुद्ध अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जल संस्थान बांदा में चल रहे अवैधानिक जल संयोजन के नियमितीकरण का प्रकरण

66–श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद, बांदा एवं नगर पंचायत, बांदा दोनों की सीमा परिधि के अन्तर्गत जनपद–बांदा के नगर मुख्यालय बांदा में स्थापित जल संस्थान, बांदा में चल रहे अवैधानिक जल संयोजनों के नियमितीकरण कराये जाने के मामले में महाप्रबन्धक, चित्रकूटधाम मण्डल जल संस्थान बांदा के द्वारा दिनांक 20-7-2000 को संबंधित जल संस्थान के अधिशाषी अभियन्ता को निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त निर्देशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के ग्राम नारायणगढ़ तथा लोकधाम चांददियर में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने का प्रकरण

67–श्री भरत सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलिया के 132 के० वी० ए० दिधार 33 के० वी० ए० नरायणगढ़ और 33 के० वी० ए० लोक धाम चांददियर विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 2001 को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाधाय–

तत्कालीन मा० राज्य मंत्री, ऊर्जा द्वारा ग्राम नारायणगढ़ तथा ग्राम लोकधाम (चांद दियर) में नये 33 के०वी० उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए दिनांक 24 मार्च, 1999 को निर्देश दिये गये थे ।

प्रश्न में सन्दर्भित दिनांक 5-12-2001 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण नये 33 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण अभी तक प्रारम्भ कराना सम्भव नहीं हो सका है ।

जनपद बांदा के पंचायतघर विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायतघर निर्माण कराये जाने का प्रकरण

68–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कुल कितने ग्राम पंचायतों में पंचायत घर नहीं हैं ? क्या चालू वित्तीय वर्ष में सरकार सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत घर बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद बांदा को कुल 437 ग्राम पंचायतों में से 214 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है । 14 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माणाधीन हैं । शेष 209 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं ।

बांदा में पंचायत भवनों का निर्माण जिला योजना तथा राज्य वित्त आयोग/दसम् वित्त आयोग/ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराया जा रहा है । जिला योजना के सम्बन्ध में निर्णय जनपद स्तर पर तथा ग्राम पंचायतों के स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के सम्बन्ध में निर्णय ग्राम पंचायत स्तर पर ही लिया जाना है । राज्य स्तर पर बांदा जनपद में पंचायत भवनों के निर्माण की कोई योजना वर्तमान में क्रियान्वित नहीं की जा रही है । अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद लखनऊ के कानपुर रोड योजना के जी ब्लाक में सड़क व नाली का निर्माण कराने की मांग

69–श्री राम करन आर्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर रोड योजना, लखनऊ के जी० ब्लाक में आवास संख्या एस० एस०–800 से 950 तक के आवासों के सामने न तो नाली बनी है और न ही सड़कों की मरम्मत करायी गयी है ? यदि हां, तो सरकार सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

वर्षा ऋतु के बाद ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के कानपुर रोड योजना के जी एवं एच ब्लाक में लो वोल्टेज की समस्या दूर करने एवं खम्भों को बदलवाने का प्रकरण

70–श्री राम करन आर्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि कानपुर रोड योजना, लखनऊ के आवासीय कालोनी 'जी' ब्लाक के आवास संख्या–एस०एस० 750 से 900 तक एवं एच ब्लाक के आवास सं० 1350–1450 तक के आवासों के सामने लगे बिजली के खम्भे जर्जर हालत में है जिससे लो वोल्टेज बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार लो वोल्टेज की समस्या का समाधान करने एवं खम्भों को बदलवाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खम्भों की स्थिति से वोल्टेज कम होने का कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः लो-वोल्टेज की समस्या के समाधान करने हेतु खम्भों को बदलवाने का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद मेरठ के टाउन एरिया परीक्षितगढ़ में सूडा द्वारा पानी की टंकी निर्माण का कथित प्रस्ताव

71–श्री शाहिद मंजूर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूडा के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक कितनी पानी की टंकियों का निर्माण किया गया है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत मेरठ जनपद के टाउन एरिया परीक्षितगढ़ में पानी की टंकी का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

अब तक सूडा के अन्तर्गत प्रदेश में एक भी पानी की टंकी (ओवर हेड टैंक) का निर्माण नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० का कार्यालय भवन होने के बावजूद अलग से किराये पर कार्यालय भवन लिये जाने का प्रकरण

72–श्री दिनेश सिंह –

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के शक्ति भवन, लखनऊ के अतिरिक्त अपने-अपने कार्यालय थे ? यदि हां, तो अन्य अनउत्पादकता के मद में उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० द्वारा अलग से किराये पर भवन लेने एवं रुपये 1.00 करोड़ की क्षति की सी० बी० आई० जांच किये जाने के संबंध में श्री जय प्रकाश, स० वि० स० का पत्र दि० 7-12-2001 मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां । उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० जो दिनांक 14-1-2000 से पूर्व केवल लघु जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य करता था, का अपना अलग कार्यालय था ।

जी हां ।

दिनांक 14-1-2000 को पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के उपरान्त पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० में स्थानान्तरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उ० प्र० शासन द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशकों के लिए निगम का विकास दीप स्थित कार्यालय अपर्याप्त था । तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के अथक प्रयास पर भी उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा शक्ति भवन में उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने हेतु स्थाई व्यवस्था न किये जाने के कारण बदली हुई परिस्थितियों में निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 17-5-2000 को सम्पन्न हुई 57वीं बैठक में लिए निर्णय के अनुसार निगम के कारपोरेट कार्यालय हेतु शालीमार स्क्वायर स्थित नया भवन किराये पर लिया गया, जिससे निगम को कोई क्षति नहीं हुई है । अतएव मा० जय प्रकाश के सन्दर्भित पत्र दिनांक 7-12-2001 के सम्बन्ध में किसी भी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० खेल संघों को दिये जाने वाले अनुदान का सम्परीक्षण स्थानीय लोक लेखा निधि से कराये जाने का निर्णय

73–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० खेलकूद संघों को दिये जाने वाले अनुदान का सम्प्रेक्षित लेखा विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाता था ? यदि हां, तो क्या अब वह स्थानीय लोक लेखा निधि से कराये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उ० प्र० में मान्यता प्राप्त खेल संघों को "दि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन आफ नॉन रेकरिंग ग्रान्ट फॉर फाइनेन्शियल एसिस्टेंट टू स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन रूल्स, 1981 के नियम 6 (IV) में अनुदान स्वीकृत करने हेतु निर्धारित शर्त के अन्तर्गत सम्बन्धित संघ द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुदान का सम्परीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करने का प्राविधान है ।

वित्त विभाग के परामर्शानुसार खेल संघों को स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र का जनपदीय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा सम्परीक्षित विवरण प्राप्त किया जा रहा है ।

इसके विरुद्ध विभिन्न खेल संघों से प्राप्त प्रत्यावेदन शासन के विचाराधीन है ।

जनपद आजमगढ़, तहसील फूलपुर, विकास खण्ड पवई के अन्तर्गत अम्बेदकर गांव खण्डौरा में विद्युत लाइन में स्ट्रकराड व बैड कन्डक्टर्स लगावाये जाने की मांग

74–श्री राम कृपाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अम्बेडकर गांव खन्डौरा, विकास खण्ड, पवई, तहसील, फूलपुर, जनपद–आजमगढ़ में विद्युत लाइन के तार काफी नीचे आ गये हैं और स्ट्रकराड में बैड कन्डक्टर्स नहीं लगे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत तारों के बैंड कन्डक्टर्स एवं स्ट्रकराड लगवायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 31-8-2002 तक ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण खण्ड इलाहाबाद के अन्तर्गत कर्मचारियों के पेंशन एवं देयों के भुगतान का प्रकरण

75–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (सिविल) विद्युत जनपद निर्माण खण्ड इलाहाबाद के कितने कर्मचारियों के पेंशन एवं सम्पूर्ण देयों का भुगतान जून, 2002 तक लम्बित है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री नन्द लाल जायसवाल, उप महामंत्री उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 23-7-2002 जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महाप्रबन्धक (सिविल पारेषण) यू० पी० पावर कार्पोरेशन लि० को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण खण्ड, इलाहाबाद के अन्तर्गत पांच कर्मचारियों के पेंशन एवं देयों के भुगतान लम्बित हैं ।

जी हां ।

कर्मचारियों के अन्तिम पेंशन एवं देयों के भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है, परन्तु श्री उदयवीर सिंह, कनिष्ठ सहायक–II का जो दिनांक 31 जनवरी, 2002 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं पेंशन प्रपत्र खण्ड में तैयार पड़ा है परन्तु उनके द्वारा सम्पूर्ण चार्ज न देने के कारण पेंशन की पत्रावली उच्चाधिकारियों को भेजना सम्भव नहीं है एवं उनके सामान्य भविष्य निधि का भुगतान करना इसीलिए सम्भव नहीं हो रहा है क्योंकि उनके सा०भ०नि० के बकाया धनराशि के विवरण ए०टी०सी० (केस्को) कानपुर से प्राप्त नहीं हुए हैं । विवरण प्राप्त होते ही भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76–श्री छोटे लाल यादव–

(4थे सोमवार के अता० प्र० सं०–45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कानपुर रोड योजना के एल०डी०ए० कालोनी, लखनऊ के जी ब्लाक एवं एच ब्लाक के भवनों में दुकानें चलाये जाने का प्रकरण

77–श्री रामजीत राजभर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर रोड के जी ब्लाक एवं एच ब्लाक एल० डी० ए० कालोनी, लखनऊ में कितने आवासीय भवनों में व्यवसायिक रूप से दुकानें चलायी जा रही हैं ? क्या यह सही है कि एच ब्लाक के आवास सं० एस० एस० 1407 के पास बने भवन में दुकानें चल रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार ऐसे आवंटियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, सेक्टर "जी" एवं "एच" में 87 आवासीय भवनों मे दुकाने चलायी जा रही हैं।

जी हां। एस०एस०–1407 के पास तीन दुकानें चल रही हैं।

यह समस्त भवन एस०एस० प्रकार के भवन हैं जिनके भवन स्वामी निर्धन एवं अल्पवर्गीय हैं अतः उनके द्वारा जीविकोपार्जन हेतु अपने भवन में ही व्यवसाय किया जा रहा है।

जी हां, कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जनपद के एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड योजना के एच० ब्लाक से भैंस पालकों को हटाये जाने का प्रकरण

78-श्री रामजीत राजभर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित कानपुर रोड एल० डी० ए० कालोनी के एच ब्लाक में आवास संख्या एस० एस०–1392 के आस-पास भैंस पालकों द्वारा भैंसें पालकर गन्दगी फैलाई जा रही है जिससे वहां के रहने वाले नागरिकों को गम्भीर बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर भैंस पालकों को बाहर हटाने एवं उक्त जमीन की सफाई कराने का निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

भैंस पालकों को हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ग्राम कानाखेड़ा में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने पर विचार

79–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बांदा के ग्राम काना खेड़ा में 33 के० वी० ए० का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

चित्रकूट धाम मण्डल जल संस्थान इकाई बांदा में नियुक्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में विधायक का शिकायती-पत्र

80–श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल–जल संस्थान जनपद–बांदा उ० प्र० में विगत 13 वर्षों से नियुक्त सहायक अभियन्ता/जन ई० आर० के० सिंह के विरुद्ध अनियमितताओं एवं गबन की जांच सम्बन्धी श्री के विधायक का पत्र दिनांक 10-6-2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कार्यालय प्रविष्टि पंजिका में दर्ज है ।

विभाग में उपलब्ध न होने के कारण कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

81–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

(2सरे गुरुवार के अता० प्र० सं०–165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री उमाकान्त द्विवेदी कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फर्रुखाबाद को वेतन संरक्षण दिये जाने विषयक विचाराधीन प्रकरण

82–श्री पीतम राम–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सावित्री देवी, पत्नी श्री उमाकान्त द्विवेदी कनिष्ठ लिपिक, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2002 जो आटो ट्रैक्टर्स लि० के छंटनी शुदा कर्मचारी और जिला पंचायत राज अधिकारी, फर्रुखाबाद कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत श्री द्विवेदी को वेतन संरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, फतेहपुर में जिला पंचायतों द्वारा वाहन पड़ाव अड्डा स्थापित करने का प्रकरण

83–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायतों द्वारा जनपद के अन्दर वाहन अड्डा स्थापित करने का कोई मानक निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? उक्त मानकों के अनुसार जनपद बांदा, फतेहपुर में कितने वाहन पड़ाव अड्डे कब से स्थापित हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत जिला पंचायतों द्वारा वाहन अड्डा स्थापित करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल संस्थान जनपद बांदा में सहायक अभियन्ता द्वारा अपने सगे भांजे को ठेका दिये जाने के प्रकरण की जांच

84–श्री समर पाल सिंह तथा श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० जी० ओ० नं० 3661–एसी/XIII–पी०डब्लू०डी०–26 एसी-65, दिनांक 22-12-66 तथा लेखा नियमावली वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के अनुच्छेद 861 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए जल संस्थान, बांदा, जनपद–बांदा में विगत 13 वर्षों से सहायक अभियन्ता के पद पर तैनात इं० आर० के० सिंह द्वारा अपने सगे भांजे सन्तोष कुमार सिंह को भागीदार बनाकर अपने ही विभाग जल संस्थान, बांदा में ठेकेदारी कार्य कराया जा रहा है ? क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच नियमानुसार सी० बी० आई० अथवा भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कराकर दोषी सहायक अभियन्ता को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टण्डन–

जांच करायी जा रही है ।

जांचोपरान्त यथास्थिति कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० के नगर निगमों में अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रकरण

85–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में नगर निगमों में अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के कुल कितने पद सृजित हैं तथा वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर ज्येष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो रिक्त पदों पर ज्येष्ठता सूची के अनुसार कब तक पदोन्नति कर दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

विभिन्न नगर निगमों में अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के कुल 06 पद सृजित हैं तथा वर्तमान समय में 03 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के कारण सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत नहीं की जा सकी है । अन्तिम ज्येष्ठता सूची के अभाव में पदोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद में नजूल भूमि को फ्री होल्ड किये जाने के फलस्वरूप होने वाली आय का विवरण

86–श्री राम कृपाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–98–704 एन/-97, दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 द्वारा इलाहाबाद जनपद में कितनी नजूल भूमि वर्षवार, 1998 से जून, 2002 तक "फ्री होल्ड" की गई और कितनी धनराशि वर्षवार प्राप्त हुई है ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद इलाहाबाद में शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–98–704एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर, 1998 द्वारा वर्ष 1998 से जून, 2002 तक कुल 655393 वर्ग मीटर नजूल भूमि फ्री होल्ड की गयी है जिससे कुल रु० 1704.67 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है । वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	वर्ष	फ्री होल्ड किया गया क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्राप्त धनराशि (रुपये लाख में)
1	1998-1999	शून्य	शून्य
2	1999-2000	98190 वर्ग मीटर	215.57
3	2000-2001	468106 वर्ग मीटर	1120.64
4	2001-2002	97097 वर्ग मीटर	368.046
5	2002-2003 (जून तक)	शून्य	शून्य
	योग	655393	1704.67

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् तथा जल विद्युत निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु ज्येष्ठता सूची

87–श्री आशुतोष मौर्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 जनवरी, 2001 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का उ० प्र० जल विद्युत निगम में आमेलन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रोन्नति हेतु कोई सम्मिलित ज्येष्ठता सूची बनाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

14 जनवरी, 2000 को राज्य विद्युत परिषद् का विघटन कर तीन पृथक निगमों का गठन किया गया है । अतः उनमें कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की पृथक ज्येष्ठता सूची होती है ।

जनपद लखनऊ, विकास खण्ड मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मऊ के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध उप प्रधान का शिकायती-पत्र

88–श्री उदय राज–

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ, विकास खण्ड मोहनलालगंज जनपद लखनऊ के उप प्रधान श्री अरुणेश प्रताप सिंह का शिकायती-पत्र दिनांक 27-11-2001 जो ग्राम पंचायत मऊ, विकास खण्ड मोहनलालगंज, लखनऊ में तैनात ग्राम पंचायत सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कराये गये कार्यों की जांच कराने एवं उनका स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 19-5-2001, मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ को दिनांक 10-11-2001, सचिव पंचायती राज को एवं दिनांक 6-7-2001 पंचायती राज मंत्री को सम्बोधित है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार शिकायतकर्ता का पत्र दिनांक 27-11-2001 तथा दिनांक 19-5-2001 प्राप्त हुए हैं ।

शासन स्तर पर शिकायतकर्ता का मा० पंचायती राज मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 2-8-2001 प्राप्त हुआ न कि दिनांक 6-7-2001 । उक्त शिकायतों की जांच सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी से करायी गयी । ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये, जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर खण्ड एक को जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्र दिनांक 24-7-2002 द्वारा लिखा गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद की लखनऊ श्रीमती कमला मिश्रा, निवासिनी कुम्हार मण्डी, पो० खरिका तेलीबाग को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त किये जाने एवं उनके पति के देयों को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

89–श्री उदय राज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या सी० एम०/वि० को०/एम–2/48593/उन्नाव/2001, दिनांक 5-7-2001 एवं दिनांक 23-8-2001 जो श्रीमती कमला मिश्रा निवासी–कुम्हार मण्डी निकट बऊवा होटल पो०–खरिका तेलीबाग, लखनऊ को मृतक आश्रित के रूप में

नियुक्त करने एवं पति के अवशेष देयों का तत्काल भुगतान करने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मा० मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-8-2001 ऊर्जा विभाग उ० प्र० शासन में प्राप्त हुआ था ।

उक्त पत्र की प्रति संलग्नकों सहित परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करन हेतु उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को निर्देशित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर बी ब्लाक में इलेक्ट्रानिक मीटर के स्थान पर मैनुअल मीटर लगाये जाने की कार्यवाही

90–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में इलेक्ट्रानिक विद्युत मीटर जो बी ब्लाक इन्दिरा नगर, लखनऊ के मकानों में लगाये गये हैं क्या उनकी गुणवत्ता की जांच किसी भारतीय संस्थान द्वारा कराई गयी है ? यदि हां,तो किससे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त मीटरों के दोषपूर्ण कार्य करने से उपभोक्ताओं को कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मीटरों के स्थान पर मैनुवल मीटर लगवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

मीटरों की गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय विद्युत अनुसन्धान संस्थान, बंगलौर (भारत सरकार की एक सोसाइटी) द्वारा की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । इलेक्ट्रानिक मीटर ठीक कार्य कर रहे हैं ।

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत गोलाघाट, सीहावीर रामनगर में डूडा के द्वारा निर्मित किये जा रहे सीवर व सड़क में कथित अनियमितता की जांच

91–श्री राम किशुन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मैमुन निशा, सभासद वाराणसी का पत्र दिनांक 1-3-2002 जो गोलाघाट, सीहाबीर रामनगर वाराणसी में डूडा के माध्यम से की जा रही सीवर, सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताएं एवं कार्य को पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शासी निकाय की स्वीकृति के अनुसार, क्षेत्रीय जनता के हस्तक्षेप से 10 मीटर छोड़कर, सीवर का समस्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है । सड़क का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में शासी निकाय द्वारा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । कराये गये कार्य का निरीक्षण सहायक अभियन्ता तथा परियोजना निदेशक द्वारा किया गया व कार्य सन्तोषजनक पाया गया एवं अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी । कार्य की पुनः तकनीकी जांच जल निगम से कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के नगर बछरावां में स्टेडियम का निर्माण

92–श्री राम लाल अकेला–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर बछरावां, जनपद–रायबरेली में वर्ष 1989 में स्टेडियम का निर्माण कराया जाना स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त स्टेडियम का निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

हां, किन्तु तत्समय नगर बछरावां में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु शसान से बजट व्यवस्था न हो पाने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा सका ।

खेल विभाग द्वारा केवल जनपद स्तर पर ही स्टेडियमों का निर्माण कराया जाता है । अतः नगर बछरावां में खेलकूद विभाग से स्टेडियम का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली नगर बछरावां विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

93–श्री राम लाल अकेला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर बछरावां, जनपद रायबरेली में स्वीकृत 132 के० बी० ए० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

नगर बछरावां जनपद रायबरेली में 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण धनाभाव के कारण अभी आरम्भ करना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परियोजना अधिकारी डूडा फैजाबाद के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

94–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि परियोजना अधिकारी, डूडा, फैजाबाद के विरुद्ध वर्तमान में भ्रष्टाचार के अलग-अलग कितने प्रकरण लम्बित हैं ? जांचोपरान्त कितने मामले में उक्त अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

एक प्रकरण लम्बित है जिसमें मण्डलायुक्त, लखनऊ से जांच कराई जा रही है ।

वर्तमान परियोजना अधिकारी, डूडा, फैजाबाद के बाराबंकी कार्यकाल से संबंधित प्रकरण में अनियमितता पाई गई थी जिसके संबंध में जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि, दो वार्षिक वेतन वृद्धियों पर स्थाई रोक निलम्बन काल के दौरान केवल जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान का दण्डादेश पारित किया गया । उक्त के अतिरिक्त दो अन्य प्रकरणों में वित्तीय अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप रुपया 1,92,000/- एवं रुपया 1,75,000/- की वसूली के आदेश पारित किये गये जिसके विरुद्ध श्रीमती तिवारी द्वारा मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत ग्राम सभा समुखा को ग्राम पंचायत कुरसथ देहात में सम्मिलित किये जाने का प्रकरण

95–श्री राम कृपाल–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायतों के गठन का मानक क्या है ? जनपद–हरदोई के अन्तर्गत तहसील–बिलग्राम में आने वाली ग्राम पंचायत कुरसथ देहात में कितने ग्रामों/मजरों को सम्मिलित कर ग्राम पंचायत का गठन किया गया है तथा उसकी कुल आबादी क्या है ? क्या ग्राम सभा–समुखा को ग्राम पंचायत कुरसथ देहात में सम्मिलित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम की धारा–11 (च) के अनुसार किसी ग्राम या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या यथा साध्य 1000 हों, में समाविष्ट क्षेत्र को ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है एवं धारा–12(1)(क) के अनुसार ऐसे प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत स्थापित की जाती है ।

वास्तव में ग्राम पंचायत कुरसथ देहात कोई ग्राम पंचायत नहीं है अपितु कुरसथ खुर्द देहात के नाम से वर्ष 1995 में नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया था । ग्राम पंचायत कुरसथ खुर्द देहात में दो राजस्व ग्राम क्रमशः कुरसथ खुर्द देहात तथा समुखा नेवादा सम्मिलित किये गये हैं । वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर कुरसथ खुर्द देहात की जनसंख्या 1490 तथा समुखा नेवादा की जनसंख्या 756 थी । इस प्रकार ग्राम पंचायत कुरसथ खुर्द देहात की कुल जनसंख्या 2246 है ।

जी, हां ।

ग्राम सभा समुखा नेवादा की जनसंख्या 1000 से कम होने के कारण उसे ग्राम पंचायत कुरसथ खुर्द देहात में सम्मिलित किया गया है, जो नियमानुसार है ।

जनपद लखनऊ में तकमील उलतिब कालेज (यूनानी कालेज) के प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच विषयक विधायक का शिकायती-पत्र

96–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय तकमील उलतिब कालेज, (यूनानी कालेज) लखनऊ के प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक द्वारा लाखों रुपये की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार किये जाने की जांच कराने हेतु विषयक श्री सत्य नारायण, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 27 जून, 2002 निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी शिक्षा उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

दिनांक 28-06-2002 को प्राप्त हुआ है ।

जी हां, जांच कराने हेतु वित्त नियंत्रक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उ०प्र० लखनऊ को पत्र सं०–2266/शिक्षा-842/92 दिनांक 10-07-2002 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । जांच कार्यवाही प्रगति पर है जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव तहसील हसनगंज की नगर पंचायत न्योतनी के वार्ड नं० 8 लुधौरा स्थित इमामबाड़ा वक्फ हकीम सैय्यद हिफाजत अली के पीछे की जमीन से कथित अवैध कब्जे को हटाये जाने की कार्यवाही

97–श्री मानपाल सिंह –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद–उन्नाव की तहसील–हसनगंज की नगर पंचायत, न्योतनी के वार्ड नं० 8 लुधौरा स्थित इमामबाड़ा वक्फ हकीम सैय्यद हिफाजत अली के पीछे लगभग 30 मीटर लम्बी व 3 मीटर चौड़ी सार्वजनिक गली को मरियम व छंगा तथा अली अहमद द्वारा अवैध रूप से दीवाल उठाकर बन्द कर दिये जाने के कारण नगरवासियों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है ? क्या उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु शिकायतों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा वर्ष 2000-2001 में आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो अभी तक उक्त अतिक्रमण न हटाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त सार्वजनिक गली पर स्थापित अवैध अतिक्रमण को हटवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मरियम पत्नी छंगा का मकान वार्ड नं०–8 लुधौरा, नगर पंचायत, न्योतनी में लगभग 10 वर्षों से बना है ।

तत्समय अली अहमद पुत्र श्री अलीजान द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य को, मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण नगर पंचायत न्योतनी द्वारा दिनांक 4 जनवरी, 2001 को रुकवा दिया गया था । लेखपाल नगर पंचायत न्योतनी की आख्यानुसार वहां पर कोई कदीमी रास्ता नहीं पाया गया ।

जी हां ।

नियमानुसार जांच कराकर अवैध अतिक्रमण हटवाने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा दिये गये थे ।

उपजिलाधिकारी, हसनगंज द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच थाना हसनगंज से करायी गयी थी । जांच में प्रश्नगत भूमि नगर पंचायत की नहीं पायी गयी तथा यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि वहां पर कदीमी रास्ता नहीं है । प्रकरण, तत्कालीन उपजिलाधिकारी, हसनगंज द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–133 का मामला न बनने के कारण निक्षेपित कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों में अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केन्द्रीयित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भांति राहत (महंगाई भत्ता) दिये जाने की मांग

98–श्री जयवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्थानीय निकायों (नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों) में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन एवं उपादान सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ?

यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि केन्द्रीयत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन में महंगाई भत्ता सम्मिलित करके दी जा रही है जबकि अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन में महंगाई भत्ते की

सुविधा नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार अकेन्द्रीयत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केन्द्रीयित सेवा की भांति पेंशन में महंगाई भत्ता सम्मिलित करते हुए पेंशन का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

केन्द्रीयित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन मूल वेतन के आधार पर गणना की जाती है तथा महंगाई भत्ता की धनराशि पेंशन गणना के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है । बल्कि राहत (महंगाई भत्ता) का भुगतान पेंशन के साथ किया जाता है ।

अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना महंगाई भत्ते को सम्मिलित करते हुए की जाती है इसलिये पेंशन पर अतिरिक्त राहत (महंगाई भत्ता) नहीं दिया जाता है । केन्द्रीयित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन/उपादान का लाभ उ० प्र० पालिका केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्त लाभ नियमावली, 1981 के प्राविधानानुसार गणना की जाती है । जबकि अकेन्द्रीयित सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उ० प्र० पालिका अकेन्द्रीयित सेवा, सेवानिवृत्त लाभ विनियमाबली, 1984 के प्राविधानानुसार गणना की जाती है ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अर्न्तगत 14 जसपुरा के श्री देशराज निषाद की विद्युत तार के स्पर्श से हुई मृत्यु के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

99–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद –

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 28-6-2002 जो निदेशक विद्युत वितरण सुरक्षा उ० प्र० शासन, लखनऊ को जनपद बांदा के राजकीय नलकूप 14 जसपुरा में विद्युत तार खुले होने के कारण श्री देशराज निषाद निवासी ग्राम गलपुरवा की मृत्यु हो गयी थी, के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रकरण की जांच निदेशक, विद्युत सुरक्षा उ० प्र० द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि श्री देशराज निषाद की मृत्यु अवैध रूप से नलकूप के डबल पोल पर चढ़कर कार्य करते हुये 11.के० वी० विद्युत तारों के स्पर्श में आकर घटित हुई । इसं दुर्घटना के लिये मृतक स्वयं उत्तरदायी है । इसलिये नियमानुसार कोई अनुग्रह धनराशि देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-लखनऊ के छोटा चांदगंज के आम रास्ते में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में कथित शिकायती-पत्र

100–श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छोटा चांदगंज, लखनऊ के आम रास्ते का अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं० खा–2 नं० 9552301. दिनांक 27 जून, 2002 श्रीमती राम प्यारी देवी पत्नी स्व० श्री हर प्रसाद मिश्र के

शिकायती प्रार्थना-पत्र के साथ मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

101–श्री जियाउद्दीन रिजवी –

[5वें शुक्र के लिये स्थगित]

जनपद लखनऊ स्थित गोमतीनगर क्षेत्र में आवासीय भू-खण्डों पर बारात घर/गेस्ट हाउस चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

102–श्री मदन भैया –

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित गोमती नगर क्षेत्र में कितने बारात घर और गेस्ट हाउस आवासीय भू-खण्डों पर निर्मित कराकर चलाये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि आवासीय भू-खण्डों पर व्यवसायिक कार्य प्रतिबन्धित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

गोमती नगर योजना में आवासीय भू-खण्डों पर 5 बारात घर/गेस्ट हाउस चलाये जा रहे हैं ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के अर्न्तगत भेलूपुर जल संस्थान परिसर के नये पम्प हाउस में डिलीवरी लाइन डालने का प्रकरण

103–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999-2000 में वाराणसी में पेयजल वितरण लाइन में सुधार हेतु कौन से कार्य सम्पन्न कराये गये ? क्या उक्त कार्यों हेतु 32.99 लाख रुपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या भेलूपुर जल संस्थान परिसर के नये पम्प हाउस में नया डिलीवरी लाइन डालने का कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1999-2000 में वाराणसी में पेयजल वितरण लाइन में सुधार हेतु कुल 9.075 कि०मी०, विभिन्न साइजों की पाइप लाइन व तत्संबंधित कार्य कराये गये ।

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्ष 1999-2000 के प्रस्ताव में भेलूपुर जल संस्थान परिसर के नये पम्प हाउस में नया डिलीवरी लाइन डालने का कार्य सम्मिलित नहीं था ।

वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र की सड़कों/गलियों को खोदकर केबिल बिछाने के बदले विभिन्न संचार संस्थानों से विभिन्न वर्षों में प्राप्त धनराशि के उपयोग का विवरण

104–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में नगर निगम सीमा क्षेत्र की सड़कों तथा गलियों को खोदकर केबिल बिछाने के बदले में भारत संचार निगम तथा अन्य किन-किन संचार संस्थानों से नगर निगम, वाराणसी को वर्ष 99-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 में अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? उक्त धनराशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत सड़कों व गलियों की खुदाई किये जाने पर दूरसंचार विभाग तथा अन्य संचार संस्थाओं द्वारा वर्ष 1999-2000 में रुपया 93,73,438/- वर्ष 2000-2001 में रुपया 02,32,34,512/- तथा वर्ष 2001-2002 में रुपया 53,14,146/- की धनराशि प्राप्त हुयी है ।

उक्त वर्षों में उपयोग की गयी धनराशि से संबंधित विवरण/कार्यों की सूची संलग्न है ।

(सूची के लिये देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 148-153 पर)

105–श्री शारदानन्द अंचल–

[4थे सोमवार के अता० प्र० सं०–43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर के अर्न्तगत पनकी वाष्प शक्ति गृह में कार्यरत कार्मिकों के अन्यत्र स्थानान्तरण करने की मांग

106–श्री रामजीत राजभर –

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पनकी वाष्प शक्ति गृह पनकी, कानपुर में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी नियुक्ति की तिथि से अब तक पनकी में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

पनकी वाष्य शक्ति गृह पनकी, कानपुर में अपनी नियुक्ति की तिथि से अब तक कार्यरत कार्मिकों की कुल संख्या 1230 है ।

सामान्य परिस्थितियों में नहीं ।

तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का स्थानान्तरण मण्डल तथा जनपद में ही किया जाना अपेक्षित है जबकि कानपुर मण्डल में पनकी ताप गृह के अलावा अन्य कोई इकाई कार्यरत नहीं है ।

107–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[4थे सोमवार के अता० प्र० सं०–44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की जांच में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रकरण

108–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही जांच संख्या स० अ०–अनु–2 ख–67/2000 की जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जांच के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं । अतः दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन रक्षक दवाइयों पर बिक्रीकर समाप्त किये जाने का प्रकरण

109–श्री मदन चौहान–

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जीवन रक्षक दवाइयों पर लगे बिक्री कर को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

व्यापार कर विभाग द्वारा करदेयता निर्धारित करते समय जीवन रक्षक दवाइयों की पहचान करना सम्भव नहीं है ।

जनपद जौनपुर तथा सुल्तानपुर में गोमती कार्य योजना के अर्न्तगत किये गये कार्यों का विवरण

110–श्री पारस नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में गोमती नदी के जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिये भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से गोमती एक्शन प्लान की योजना बनाई गई थी, जिसके लिये पांच करोड़ रुपये का आवंटन वर्ष 1998-99 में किया गया था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से क्या कार्य किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं । गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत जौनपु नगर हेतु अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गयी अपितु जौनपुर तथा सुल्तानपुर नगर हेतु वर्ष 1998-99 में संयुक्त रूप से रु० 77.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी ।

उक्त दोनों नगरों हेतु अब तक कुल रुपये 847.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है । जौनपुर नगर हेतु जून, 2002 तक रुपये 387.00 लाख की धनराशि व्यय करके 5 स्वच्छ शौचालय, 3 शवदाहगृह का निर्माण करके क्रियाशील कर दिया गया है । शोधन संयंत्र हेतु भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है । नालों के इण्टरसेप्शन व डाइवर्जन के आंशिक कार्य कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन में विभिन्न स्तर के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

111–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पावर कारपोरेशन में इन्जीनियर, जूनियर इन्जीनियर एवं प्लाटून मैन के कितने पद सृजित हैं और कितने लोग कार्यरत हैं ? क्या सरकार शेष रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

उ० प्र० पावर कारपोरेशन में विभिन्न स्तर के जूनियर इंजीनियरों के 5373, इन्जीनियरों के 2901 तथा पेट्रोल मैन के 11249 पद सृजित हैं। प्लाटून मैन का कोई भी पद पावर कारपोरेशन में सृजित नहीं है।

पावर कारपोरेशन में जूनियर इन्जीनियर के पद पर 4171. इन्जीनियर स्तर के पदों पर 2488 तथा पेट्रोल मैन के पद पर 10809 लोग कार्यरत हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के मैनाठेर व ताहरपुर फीडर द्वारा विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने की मांग

112–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद के मैनाठेर फीडर व ताहरपुर फीडर द्वारा मात्र 2 घण्टा विद्युत सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त फीडरों से विद्युत सप्लाई बढ़ाये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। प्रश्नगत फीडरों द्वारा औसत विद्युत आपूर्ति जून, 2002 में 6 घण्टा 20 मिनट और जुलाई, 2002 में 7 घण्टा 20 मिनट रही है।

पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन स्थित सचिवालय के कार्मिकों को वेतन की समतुल्यता प्रदान किये जाने का प्रकरण

113–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन शक्ति भवन स्थित सचिवालय के 111 कार्मिकों को अवैध तरीके से चार-चार वेतन वृद्धियां देने, प्रतिवर्ष 1.00 करोड़ की क्षति पहुंचाने सम्बन्धी माननीय कुंवर मानवेन्द्र सिंह, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 24-4-2002 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० यू० पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां।

पत्र में इंगित पत्रावलियों में से पत्रावली संख्या–11 स०प्र०/90 में विचारित प्रकरण में पूर्ववर्ती परिषद् की प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त जिसे परिषद् की दिनांक 20-11-99 की बैठक में परिषद् द्वारा संज्ञान में भी लिया गया तथा कोई अन्यथा टिप्पणी नहीं की गई, वेतन समतुल्यता प्रदान की गई है, अतएव एतदर्थ किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पत्रावली सं०–22सप्र/92 में विचारित प्रकरण में पूर्व में स्वीकृत वेतन समतुल्यता निरस्त कर प्रत्यापित आदेशित है जो मा० उच्च न्यायालय में निवेशित विचाराधीन याचिका में अन्तिम निर्णय तक स्थगित है ।

पत्रावली सं०–37सप्र/95 में विचारित प्रकरण में श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र का कार्यान्वयन मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश के कारण अवरुद्ध है ।

तथा पत्रावली सं०–51/सप्र/92 उपर्युक्त पत्रावली सं०–22सप्र/92 में आदेशित प्रत्यापित के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में लम्बित एक याचिका संबंधी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में घोटाले की जांच विषयक शिकायती-पत्र

114–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में 5000 करोड़ के घोटाले सम्बन्धी श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम०एल०सी०, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, एम०एल०सी०, श्री जय प्रकाश एवं श्री हरदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 1-7-2001 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

सतर्कता विभाग की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में उन अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश पावर कारपोरेशन लि० को दे दिए गए हैं, जिनके नियुक्त प्राधिकारी वे स्वयं हैं । प्रकरण में अन्तर्गत निदेशक स्तर के दो अधिकारियों के नियुक्ति अधिकारी शासन है और उनके संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । सतर्कता विभाग की संस्तुति के अनुरूप कतिपय तकनीकी बिन्दुओं पर अग्रेतर जांच हेतु उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में किये गये व्यय का विवरण

115–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में अनपरा से झूंसी एवं झूंसी से उन्नाव सेक्शन में टैक वेल्डिंग एवं टी कटिंग के अलग-अलग कार्यों के लिए कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसकी सी०बी०आई० जांच कराये जाने हेतु श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 25-11-99 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० लाइन के निर्माण में किये गये भुगतान का विवरण निम्न है :–

(अ) टैक वैल्डिंग–

(1) इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग वर्क्स सोनभद्र को झूंसी उन्नाव सेक्शन हेतु रु० 12,64,248=30 एवं मेसर्स ज्योति इन्जीनियरिंग वर्क्स फतेहपुर को अनपरा झूंसी सेक्शन हेतु रु० 17,68,201=75 का भुगतान किया गया ।

(ब) पेड़ों की कटान में मेसर्स टेक्नीकल कारपोरेशन, इलाहाबाद को झूंसी उन्नाव सेक्शन हेतु रु० 11,39,764=20 एवं अनपरा झूंसी सेक्शन हेतु रुपये 12,89,067=59 का भुगतान किया गया।

इस संबंध में इस कार्यालय को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश में सहकारी आवास समितियों पर बकाया स्टाम्प शुल्क का विवरण

116–डा० कौशल किशोर–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सहकारी आवास समितियों पर 31-3-02 तक कुल कितना स्टाम्प शुल्क बकाया है ? बकाया स्टाम्प शुल्क को वसूल करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उत्तर प्रदेश सहकारी आवास समितियों पर प्रदेश के 58 जनपदों की सूचना के आधार पर दिनांक 31-3-2002 तक रु० 5,61,77,950=00 स्टाम्प शुल्क बकाया है। प्रदेश के अवशेष जनपदों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

स्टाम्प शुल्क की बकाया धनराशि रुपये 5,61,77,950=00 में से रुपये 55,72,237=75 की वसूली की जा चुकी है। अवशेष बकाया धनराशि रुपये 5,06,05,712=75 में से रुपये 2,73,54,659=00 की वसूली विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित है। शेष धनराशि रु० 2,32,51,053=75 की वसूली के प्रयास जारी हैं।

बकाया स्टाम्प शुल्क को वसूल करने के संबंध में कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध ढंग से वसूली के लिये स्टाम्प आयुक्त को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत तत्कालीन उप महाप्रबन्धक के विरुद्ध विधायकों का शिकायती-पत्र

117–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत तत्कालीन उप महाप्रबन्धक (डीपी) श्री एस०पी०सिंह के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 14–7–2001 जो मुख्य सचिव उ०प्र० शासन एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ०प्र० को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित मा० श्री जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 14-7-2001 में उल्लिखित मा० श्री हरदेव सिंह तथा मा० श्री जय प्रकाश, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र दि० 9-9-2000, जो उ० प्र० पावर कारपोरेशन (मुख्यालय) में दिनांक 18-10-2000 को प्राप्त हुआ, जिसमें श्री के०पी० त्रिपाठी के विरुद्ध अपने चहेते अवर अभियन्ता श्री हरिकान्त मिश्र का पक्षपात कर उनके विरुद्ध प्रकीर्ण अग्रिम से बचाने एवं 800 के०वी० अनपरा उन्नाव लाइन के निर्माण में अधिकार क्षेत्र के बाहर ट्री कटिंग एवं ट्रैक वेल्डिंग के अनुबन्ध कराने आदि के आरोप की प्रारम्भिक जांच मुख्य महाप्रबन्धक (पारेषण) के माध्यम से करायी गई। प्रारम्भिक जांच के उपरान्त श्री त्रिपाठी का स्पष्टीकरण

मांगा गया, जिसके प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध प्रश्नगत आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये और प्रकरण पावर कारपोरेशन स्तर पर समाप्त कर दिया गया ।

श्री के०पी० त्रिपाठी की महाप्रबन्धक के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दि० 28-8-2000 को सम्पन्न हुई थी, जिसमें चयनोपरान्त उन्होंने महाप्रबन्धक के पद का कार्यभार दि० 5-1-2001 को ग्रहण किया । कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक कोई आरोप लम्बित नहीं था । इस प्रकार उनकी पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती थी । अतः श्री एस०पी० सिंह तत्कालीन उपहाप्रबन्धक (अनु०का०) द्वारा तथ्यों को छिपाकर श्री के०पी० त्रिपाठी को प्रोन्नति नहीं दिलवाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन निर्माण में बेंचिंग में किये गये घोटाले की जांच विषयक पूर्व विधायक का पत्र

118–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण में बेन्चिंग (भूमि समतलीकरण) किये गये घोटाले की सी०बी०आई० जाँच कराये जाने सम्बन्धी माननीय हरदेव सिंह, निर्वतमान विधायक का पत्र दिनांक 30–12–2001 जो प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रकरण में पत्र सं०–04 एम०एल०ए०–पी–3/2002–24–25स/01, दिनांक 23 जनवरी, 02 द्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० से आख्या मांगी गयी है । जो पावर कारपोरेशन लि० में प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० एवं यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत कर्मचारियों के देयों के भुगतान के संबंध में सदस्य विधान परिषद् का पत्र

119–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० एवं यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के उत्पीड़न एवं समस्त देयों के भुगतान के सम्बन्ध में कुँवर मानवेन्द्र सिंह, एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 30–10–2001 जो प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ०प्र० शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर निम्नवत् कार्यवाही की गई है :–

1–प्रस्तर–1 में उल्लिखित पावर सेक्टर में हुए 5 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश के प्रकरण में श्री जायसवाल द्वारा पिछले वर्ष से लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं । चूंकि प्रश्नकर्ता ने किसी विशिष्ट पत्र का उल्लेख नहीं किया है । अतः उक्त विगत तीन वर्षों से लिखे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही का विवरण दिया जाना संभव नहीं है । परिषद् (सम्प्रति पावर कार०) स्तर पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं किया जाता है बल्कि समस्त कार्यवाही स्थापित नियमों के अनुसार की जाती है ।

2–प्रस्तर–1 बिन्दु एक में इंगित दि० 1-3-99 से 23-6-99 तक के वेतन रु० 25131.01 का भुगतान चेक सं०–744240 दि० 2-5-2001 द्वारा किया जा चुका है ।

श्री जायसवाल कनिष्ठ पाण्डुलिपिक का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा मुख्य अभियन्ता (पारेषण जनपद) लखनऊ से कार्यालय महाप्रबन्धक जल विद्युत परियोजना देहरादून के लिए किया गया था । जहां तक स्थानान्तरण को दण्डस्वरूप एवं प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध माने जाने का प्रश्न है । श्री जायसवाल के स्थानान्तरण को मा० सर्वोच्च न्यायालय ने परिषद् (सम्प्रति कारपोरेशन) के स्थानान्तरण आदेश को उचित ठहराया था । उक्त आदेश दण्डस्वरूप एवं प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं था ।

3–प्रस्तर–1 के बिन्दु सं०–2 में उल्लिखित श्री जायसवाल को तृतीय समयबद्ध वेतनमान कारपोरेशन के अन्य मुख्य अभियन्ता संवर्ग के लिपिकीय कर्मचारियों की भांति प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ में विचाराधीन होने के कारण लम्बित है ।

4–प्रस्तर–1 के बिन्दु–3 में जहां तक उल्लिखित एरियर डिफरेंस देने का संबंध है । यह स्पष्ट नहीं है कि कथित एरियर डिफरेन्स समयबद्ध वेतनमान का है वेतन पुनरीक्षण का है अथवा अन्य किसी मद से संबंधित है । यह भी इंगित नहीं किया गया है कि कथित एरियर डिफरेन्स किस अवधि का है अथवा किस निगम से संबंधित है । जब तक उक्त स्थिति स्पष्ट न हो इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है ।

5–प्रस्तर–एक के बिन्दु (4) में कथित सतर्कता जांच के संबंध में श्री जायसवाल द्वारा की गई यात्राओं के यात्रा बीजकों (01/2000 से 07/2001 तक) का भुगतान उ० प्र० जल विद्युत निगम द्वारा रु० 25,395/= किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत दिलदार नगर विद्युत सब-स्टेशन से जमानियाँ फीडर के मध्य मकानों के ऊपर से तार हटाये जाने का प्रकरण

120–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के सम्बन्ध में विशेष सचिव (ऊर्जा) का पत्र दिनांक 28–3–2001 जो कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, गाजीपुर को सम्बोधित है तथा जिसमें दिलदार नगर सब-स्टेशन से जमानियाँ फीडर गाजीपुर के मध्य मकानों से तार हटाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

11 के०वी० लाइन के निर्माण के बाद भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा–18(3) का उल्लंघन करते हुए जिन व्यक्तियों ने 11 के०वी० लाइन के नीचे मकान बना लिए हैं, उनके द्वारा लाइन को हटाने हेतु प्राक्कलन की धनराशि रु० 16,756.00 जमा किया जाना है । उपरोक्त धनराशि उनके द्वारा जमा किये जाने के बाद लाइन को हटाकर अन्यत्र स्थापित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर एवं मसकनवा के रख-रखाव पर व्यय की गई धनराशि की जानकारी

121–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर स्थित 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर एवं मसकनवा में वर्ष अप्रैल, 1999 से मार्च, 2002 तक उपकेन्द्र तथा विद्युत लाइनों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या यह सही है कि रख-रखाव न

होने के कारण उपकेन्द्र के उपकरण तथा विद्युत लाइनें अत्यन्त जर्जर हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जाँच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं, कम नहीं की गई हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रख-रखाव पर आवश्यकतानुसार धनराशि व्यय होने के कारण कोई क्षति नहीं हुई ।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत पवसरा विद्युत उपकेन्द्र के रख-रखाव की कथित जानकारी

122–श्री किरन पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के पवसरा विद्युत उपकेन्द्र का ओ०सी०बी० विगत दो माह से खराब पड़ा हुआ है ? क्या सरकार इसे ठीक कराने पर विचार करेगी ताकि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सामान्य हो सके ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत उप महाप्रबन्धक, विद्युत निर्माण मण्डल इलाहाबाद द्वारा फर्जी भुगतान के संबंध में विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

123–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के सम्बन्ध में माननीय जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 30–6–2001 जो मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ०प्र० शासन को सम्बोधित है और जो उप महाप्रबन्धक, विद्युत निर्माण मंडल, इलाहाबाद द्वारा 25.00 करोड़ रुपये के फर्जी भुगतान सम्बन्धी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में इंगित बिन्दुओं पर उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० से आख्या मांगी गई है, जो प्रतीक्षित है ।

जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न उपकेन्द्रों व फीडरों पर बाधित विद्युत आपूर्ति के संबंध में जानकारी

124–श्री किरन पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के कुचेसर (सालाबाद धमैड़ा), सैदपुर, लखावटी, पवसरा, मैथना जगतपुर आदि उपकेन्द्रों व भूड़नाथ 1 व 2 फीडरों पर विद्युत की आपूर्ति विगत दो माह से नहीं हो रही है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपकेन्द्र के अतिभारित होने के कारण विद्युत आपूर्ति में यदा-कदा कटौती करनी पड़ती है इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने हेतु अबाध विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में जानकारी

125–श्री अजीम भाई–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद, कानपुर, भदोही, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद जनपदों के उद्योगों को सुचारु रूप से चलाने हेतु सरकार द्वारा अबाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? क्या यह सही है कि विद्युत आपूर्ति नियमित न हो पाने के कारण हजारों श्रमिक भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो इस हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रदेश में विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण कानपुर, भदोही, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद जनपदों में भी अन्य जनपदों की भांति आपात कटौती करायी जाती है। फिरोजाबाद जनपद को ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत की आपात कटौती से मुक्त रखा गया है।

इस संबंध में क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त द्वारा सूचित किया गया है कि जनपद–फिरोजाबाद, अलीगढ़, कानपुर, भदोही एवं मुरादाबाद में कोई कारखाना बन्द नहीं है और न ही श्रमिकों/श्रमसंघों की ओर से भी मामला संज्ञान में लाया गया है।

उक्त जनपदों में ऊर्जा संकट को देखते हुए उत्पादन कार्य नियमित रखे जाने हेतु संभवतः उद्योगों में अपेक्षित अश्वशक्ति के जनरेटर की व्यवस्था रखी जाती है ताकि विद्युत आपूर्ति के अभाव में उत्पादन कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके। उक्त जनपदों में विद्युत आपूर्ति के कारण किसी भी प्रतिष्ठान के बन्द होने की सूचना श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व० महादेव बेलदार निवासिनी पो० मलाक चौधरी, तह०–सोरांव, जनपद–इलाहाबाद की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का कथित प्रकरण

126–श्री अंसार अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय महादेव टी० नं० 1104 श्रमिक, रीवर साइड पावर हाउस, केसा कानपुर की धर्मपत्नी श्रीमती रामप्यारी, निवासी-मलाक चौधरी, पो०–मलाक हरहर, तहसील–सोरांव, इलाहाबाद को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

स्व० महादेव, बेलदार की पत्नी श्रीमती रामप्यारी को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत न करके बल्कि उनके विकल्पानुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ग्रेच्युटी स्कीम 1972 के अन्तर्गत सर्विस ग्रेच्युटी निर्धारित कर दिनांक 24-11-1982 को मृत कर्मचारी की पत्नी श्रीमती रामप्यारी को रु० 11523/–ए मृत कर्मचारी के ई०पी०एफ० से धनराशि रु० 20.054/–(सदस्य का अभिदान रु० 10497/–नियोक्

अभिदान रु० 9557/–) का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर द्वारा दिनांक 11-7-84 को किया जा चुका है । चूंकि नियोक्ता का अंशदान भी संबंधित कर्मचारी के वारिसान को किया गया है, अतः उन्हें पारिवारिक पेंशन नियमानुसार देय नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम राजा सरनाम सिंह मजरे गौरा के रामधनी दुबे आदि कतिपय उपभोक्ताओं को बिना लाइन के बिजली भेजे जाने विषयक विधायक का शिकायती-पत्र

127–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, जगदीशपुर, सुल्तानपुर को सम्बोधित रामधनी दुबे आदि 16 उपभोक्ता ग्राम राजा सरनाम सिंह मजरे गौरा सुल्तानपुर को भू० पू० विधायक तेजभान सिंह द्वारा अग्रसारित दिनांक 22-4-02 का प्रार्थना-पत्र जिसमें वगैर लाइन के बिजली बिल भेजने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

संयोजनों की जांच संबंधित उप खण्ड अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा जांच रिपोर्ट में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपभोक्ताओं द्वारा माह मई, 2000 तक विद्युत उपभोग किया जा रहा था । उपभोक्ताओं द्वारा कटिया नियमितीकरण के अन्तर्गत कनेक्शन प्राप्त किया गया था तथा इस हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र में लाइन से दूरी 40 मीटर तक स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा दर्शायी गयी थी । कनेक्शन लेने की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि से संबंधित उपभोक्ताओं का निगमीय नियमानुसार विद्युत बिल निर्गत किया गया था । अनुबन्ध की अनिवार्य समय सीमा पूर्ण होने एवं वास्तविक विद्युत उपभोग जो भी बकाया है की तिथि से फिक्टिशियस एरियर समाप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ए० जी० बनर्जी, सेवानिवृत्त जेलर कारागार विभाग द्वारा पूर्व में लोक निर्माण विभाग में की गई सेवा को नैवृत्तिक लाभ हेतु जोड़ने एवं पेंशन निर्धारित हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

128–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री ए० जी० बनर्जी, सेवानिवृत्त जेलर, कारागार विभाग के द्वारा पूर्व में लोक निर्माण विभाग में की गयी सेवा को नैवृत्तिक लाभ हेतु जोड़ने एवं पेंशन निर्धारण करने विषयक वित्त विभाग को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र अर्ध० शा० प० सं०–सा–3–वी०आई०पी० 30/दस–2001–301(69)/2001, दि० 4-10-2001 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । श्री ए०जी० बनर्जी, सेवानिवृत्त कारापाल कारागार विभाग द्वारा पूर्व में लोक निर्माण विभाग में की गयी सेवा अवधि को जोड़कर उनकी पेंशन निर्धारण किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है ।

जनपद शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार विषयक जिलाधिकारी को संबोधित पत्र एवं जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को संदर्भित पत्र पर कृत कार्यवाही

129–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 21-8-2000 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में था जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने पत्रांक 239 दिनांक 22-8-2000 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, किन्तु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-8-2000 विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम धीयरई में यूनानी चिकित्सालय के बन्द होने की जांच कराकर चिकित्सक नियुक्त करने के संबंध में था ।

जी हां ।

विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम धीयरई में कोई आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति का चिकित्सालय नहीं है, बल्कि तहसील जलालाबाद में आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित है जिसके चिकित्साधिकारी का पद पर्वतीय संवर्ग को स्थानान्तरित कर दिया गया है जिसके कारण उक्त चिकित्सालय में कोई चिकित्सा अधिकारी तैनात नहीं है बल्कि समय-समय पर चिकित्साधिकारियों को सम्बद्ध कर चिकित्सकीय कार्य किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडीसिन एण्ड रिहेबिलीटेशन लखनऊ टिक्कू समिति की संस्तुतियों के आधार पर पदोन्नति किये जाने के संबंध में जानकारी

130–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के दूसरे बुधवार के अता० प्र० सं०–90 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलीटेशन लखनऊ में शिक्षकों के 3 पदों पर मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के मानकों के विपरीत समायोजन/नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इन्हीं मानकों के विपरीत दो शिक्षकों को वर्ष 2002 में बिना विज्ञापन निकाले व बिना चयन प्रक्रिया पूरी किये सह आचार्य एवं आचार्य के पदों पर पदोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर की गयी अनियमित प्रोन्नतियों को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के दूसरे बुधवार के अता० प्र० सं०–90 के उत्तर में डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलीटेशन लखनऊ में शिक्षकों के 3 पदों पर समायोजन/नियुक्तियां एम०सी०आई० मानकों के विपरीत नहीं हुई हैं जो भी कार्यवाही हुई है वह टिक्कू समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में हुई है । वर्ष 2002 में डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलीटेशन में टिक्कू कमीशन के अन्तर्गत दो शिक्षकों को सह आचार्य एवं आचार्य के पदों पर समयबद्ध योजना के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के द्वारा नियमानुसार पदोन्नतियां वर्ष 2001-2002 में की गई हैं ।

प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना पर तत्काल चर्चा की मांग (क्रमागत)

नेता, विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अधिष्ठाता महोदय, मैंने जैसे ही सदन 11 बजे बैठा नियम–311 के अन्तर्गत गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले में अपनी बात सदन के समक्ष रखी । मैं उसी बात पर फिर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह सदन जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं इन हालातों में यह सदन आप अपने विचारों से चलायें अपने जरिये से चलायें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कागज दिया है, नियम–49 में चर्चा की बाबत ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बहुत लम्बा तजुर्बा है । इसलिए एक बार फिर कहना चाहूंगा कि दो घण्टे की चर्चा जो अध्यक्ष जी ने स्वीकार की है उस चर्चा का 5 बजे के बाद कोई औचित्य नहीं रह जाता है । अगर चर्चा होनी है और आप की पीठ इससे मुतमईन है कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, इस पर नोटिस पहले से लगी हुई है । आपके संज्ञान में दो रोज पहले से यह है सरकार के संज्ञान में है और सरकार बिल्कुल असफल है । संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत हमने यह मांग की थी क्योंकि कोई सरकार नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है और सब कुछ कानून के नाम पर उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है लोगों के जानमाल की हिफाजत नहीं है और राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के तहत कार्यवाही का अधिकार है कि जब किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो जाये .....

श्री अधिष्ठाता–

आप इन बातों को सदन में कह चुके हैं और माननीय अध्यक्ष का निर्णय हो चुका है कि 5 बजे दो घण्टे की चर्चा होगी । उसके बाद सदन की कार्यवाही चली और दुबारा फिर आप इसे उठा रहे हैं मैं इसे उचित नहीं मानता ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह पत्थर की कोई खुदी हुई ईबारत नहीं है जिसे बदला ना जा सके । यह लोकतंत्र है । (व्यवधान) और हिटलरशाही और तानाशाही की बात नहीं है । हालात की गंभीरता को समझते हुए आप निर्देश को बदलेंगे । उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें यहां टिकी हुई हैं सत्र चल रहा है इस वक्त ऐसे हालात में 3-3 हत्यायें लखनऊ में हो गयी हैं, बाराबंकी में और फैजाबाद में हत्यायें हुई हैं । बलिया में घटना हुई है । (व्यवधान) गोरखपुर जल रहा है । ऐसे हालात में मान्यवर, अगर सदन की आगे की कार्यवाही रोक कर चर्चा शुरू नहीं करायी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वह आप की पीठ पर हो तो मुझे ज्यादा कष्ट होगा । सदन की कार्यवाही संजीदगी से चले । अच्छे से चले और आज की कार्य सूची की मदें पूरी हों चाहे हमें सारी रात बैठना पड़े । मान्यवर, यह मामला अति गंभीर है इसलिए मान्यवर, इस विषय पर जो चर्चा स्वीकार कर ली गयी है कि 5 बजे से शुरू हो आप की पीठ का निर्देश इन हालात में सिर्फ पत्थर पर खुदी हुई लकीर नहीं हो (व्यवधान) जो निर्देश हैं मैं उसमें संशोधन चाहता हूं कि यह चर्चा अभी शुरू कर दी जाये ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, कई बार निर्देश परिवर्तित किये हैं पीठ ने । माननीय अधिष्ठाता महोदय हों या माननीय अध्यक्ष, पीठ ने अपने निर्णयों को परिवर्तित किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय निर्देश दे चुके हैं चर्चा

स्वीकार हो चुकी है इसमें कोई नया निर्णय नहीं होना है केवल क्रम परिवर्तन करने की बात है मान्यवर, इससे ज्यादा तात्कालिक विषय और कोई नहीं हो सकता । आज प्रदेश में भयावह स्थिति बनी हुई है । मेरा अनुरोध है कि जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है केवल क्रम परिवर्तित करके जो सूचना माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार की है । मान्यवर, हम लोगों ने पहले भी अनुरोध किया था कि प्रश्न प्रहर के बाद ले लें । हमारी सूचना तो महत्वपूर्ण है इसको सुन लिया जाय इसलिये मैं कृपापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि इन परम्पराओं की रक्षा करें और ऐसा पहले भी होता रहा है, कई बार ऐसा हुआ है, पीठ ने अपने निर्देशों में परिवर्तन किया है । विशेष परिस्थितियों में मेरा निवेदन है कि नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है उसको स्वीकार करते हुए सदन को शांतिपूर्वक चलाने की कृपा करें । दो घण्टें में हम लोगों की बात हो जायेगी फिर देर रात तक बैठकर एजेन्डे की एक-एक मद को आप पारित करायें लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्रम को परिवर्तित कर इस सूचना पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों हमारे नेता प्रतिपक्ष हों या नेता सदन, यह सदन पूरी एक नियमावली और संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार संचालित होता है । आपके निर्णय के विरुद्ध हम लोग कभी कोई कटाक्ष भी नहीं करते हैं । माननीय बाजपेयी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । मान्यवर, विधान सभा अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष जी से कहा नेता प्रतिपक्ष जी आपकी बात मान ले रहा हूं, आंशिक रूप से मान ले रहा हूं । आपकी चर्चा दो घण्टे की स्वीकार कर ले रहा हूं । मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं आपके समय की कटौती कर ले रहा हूं और आपकी चर्चा स्वीकार कर ले रहा हूं । दोनों लोग तालमेल बना लें ताकि सदन चले उसके बाद 5 बजे का समय निश्चित कर दिया । जब आप आसीन हुए तो फिर डा० अशोक बाजपेयी जी ने कहा कि परिवर्तन कर दीजिए । मैं बाजपेयी जी से सम्मान के साथ सहयोग चाहता हूं कि जब माननीय अध्यक्ष जी ने पीठ से कह दिया कि दोनों लोग सहमति कर लें तो यह कहां तक उचित है ? मान्यवर, यह जनजीवन से जुड़ा हुआ मसला है, सरकार भागने वाली नहीं है । इस प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए सरकार कटिबद्ध है । जब अध्यक्ष जी ने कहा है तो मैं चाहूंगा कि बाजपेयी जी इसको स्वीकार करें, दोनों कोआर्डीनेट कर लें, आपकी चर्चा भी हो जाय और हमको समय भी दे दें ताकि कुछ कार्य कर लें । मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी के विनिश्चय में ऐसे परिवर्तन का निर्णय लेना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि यह दूसरे की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है ।

* श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली के नियम–110 को देखने की कृपा करें और उसमें उप नियम–8 देखने की कृपा करें । मैं भी नियम–8 के तहत यह प्रस्ताव करता हूं कि मान्यवर, प्रश्नकाल का समय अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए एक घण्टा 20 मिनट का समय सुनिश्चित है । आज बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिये नहीं लिये जा सके क्योंकि प्रश्नकाल का समय सीमित हो गया । नियमों के अनुसार और बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अगर आ जायं तो जनता की समस्याओं का समाधान हो सकता है इसलिये नियम–110 के उप नियम 8 के अनुसार मैं यह प्रस्ताव करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रश्नकाल के समय को देखते हुए जो प्रश्न उत्तरित होते हैं, उसमें जो रह गये हैं उसके लिए प्रश्नकाल का समय बढ़ाने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय। मान्यवर, इसको स्वीकार करते हुए नियम–311 के अन्तर्गत निलम्बित करते हुए स्वीकार कर लिया है। इसलिए नियम–10 के उप नियम–8 को देखने की आवश्यकता नहीं थी। आप देख लें कि जो भी कार्यक्रम निश्चित है और आज के लिए लिया जाना आवश्यक है उन कार्यक्रमों पर पुनर्विचार किये जाने का अधिकार सदैव पीठ के पास है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कार्यक्रम सुनिश्चित कर लिया जाय तो उन कार्यक्रमों को बदला नहीं जा सकता। मान्यवर, दो घण्टे की चर्चा का समय निर्धारित किया गया है मैं कहना चाहता हूं कि अगर दो घण्टे से एक मिनट भी समय हो जाय तो आप उसे समाप्त करने का आदेश दे दें। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार करके सबसे पहले इसको सुनने का कष्ट करें।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपसे, नेता विरोधी दल और संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहता हूँ कि अभी सदन में व्यवस्था दी गयी थी और इसमें गोरखपुर के विषय में दो घण्टे की चर्चा स्वीकार की गयी है। मान्यवर, मुझे आश्वस्त किया गया कि पहले नियम–56 ले लिये जायेंगे उसके बाद गोरखपुर की घटना पर विचार होगा। मैं आपसे, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर की घटना तो दर्दनाक है ही लेकिन नगराम में जो कुछ हुआ उससे शर्मनाक घटना और कुछ नहीं हो सकती। बलिया में जो घटना हुई है, बाराबंकी में जो घटना हुई वह अक्षम्य है। अतः मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप नियम–56 को ले लें और नगराम की चर्चा करा दें उसके बाद गोरखपुर पर चर्चा करा लें।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जब अध्यक्ष जी ने पांच बजे का समय निर्धारित करके उस विषय पर चर्चा स्वीकार कर ली है तो इस तरह का हंगामा करके सदन का समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेताओं और विधायकों को उस पर बोलने का अवसर मिलेगा। जब एक बार व्यवस्था दे दी है तो इस तरह बार-बार व्यवधान करना ठीक नहीं है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है मैं उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, नियम–10 में उप नियम 8 के अन्तर्गत प्रश्नकाल बढ़ाने का जो आग्रह किया है यह तो अगले दिन के लिए हो सकता है। इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसे गम्भीरता से लेते हुए और प्रमोद कुमार जी की बात को गम्भीरता से लेते हुए आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया पहले गोरखपुर पर चर्चा करा लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अभी सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, इस पर चर्चा शुरू करा दें, प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं कि पहले नियम–56 फिर गोरखपुर लीजिएं। मान्यवर, विनिश्चय आ जाने के बाद भी प्रमोद जी कह रहे हैं कि पहले नियम–56 ले लें। अध्यक्ष जी ने कहा है कि 5.00 बजे तक लेंगे, गोरखपुर पर चर्चा करा लेंगे और उसके बाद नियमानुसार, 315 के अनुसार जो एजेण्डे में तय है, उसे लेंगे। मान्यवर, यह तो एक संकट और पैदा हो गया है, प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं कि पहले नियम–56 ले लें।

(श्री राम नरेश यादव तथा सपा के कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, गोरखपुर में स्थिति आक्रामक बन गयी है....

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम नरेश जी पहले खड़े हो गये थे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, बहुत बड़ी साजिश है.....

श्री अधिष्ठाता–

मैंने राम नरेश जी को पुकारा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जब चर्चा हो रही थी उसमें यह बात बड़ी स्पष्ट आयी कि जिस तरह से बोगी और बसें जलाई गयी हैं और अल्पसंख्यकों की मस्जिदों में जाकर धरना दिया गया है, इससे प्रदेश में एक उत्तेजना फैली है। ये लोग चाहते हैं कि गुजरात की पुनरावृत्ति यहां पर हो जाये। साम्प्रदायिकता का माहौल पैदा किया जा रहा है.....

(सपा के कई अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद अध्यक्ष पीठ से जो निर्णय हुआ है कि 2 घण्टे की चर्चा शाम को 5.00 बजे से शुरू कर दी जायेगी। मैं समझता हूं वही विनिश्चय सही है, उसी का पालन होगा। बाकी कार्यवाही वैसे ही चलेगी।

(सत्तापक्ष तथा विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है, आप बैठ जायें। अगला विषय लेने दीजिए।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

(अगली मद लिये जाने पर श्री रामकरन आर्य, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा अजीम भाई आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 23 अगस्त, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं :–

पहली सूचना श्री कालीचरण राजभर की है, दूसरी सूचना श्री बलराम यादव की है, तीसरी सूचना श्री बीजू पटनायक की, चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है, पांचवी सूचना श्री उदयराज की है, छठवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह की और सातवीं सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की है। यह सूचनायें स्वीकार की गई हैं।

प्रतीक्षा सूची में दो माननीय सदस्यों की सूचनाएं रखी गयी हैं। इसमें से पहली सूचना श्री बैजनाथ दुबे की और दूसरी सूचना डा० कौशल किशोर की है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार हुई वे हैं–श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री उदय भान करवरिया, श्री शारदानन्द अंचल, श्री रामजीत राजभर, श्री रामकिशुन, श्री राम नरेश यादव, श्री राम करन आर्य और श्री बंशीधर राज।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

1–श्री कालीचरण राजभर–

[आपसे आदरपूर्वक आग्रह करना है कि जनपद गाजीपुर पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। गाजीपुर जिले में 213 जहूराबाद विधान सभा जो आजादी के बाद से अब तक विकास शून्य है। इस विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विमुक्त जाति, तथा पिछड़ी जाति के लोग बहुत ज्यादा संख्या में निवास करते हैं। आपसे अनुरोध है कि कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में आश्रम पद्धति विद्यालय खुलवाने की स्वीकृति प्रदान करें जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति विमुक्ति जाति तथा पिछड़ी जाति के लड़के या लड़कियां सस्ती और अच्छी शिक्षा पा सकें।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के उप केन्द्र अतरौलिया की ध्वस्त विद्युत लाइनों को अविलम्ब ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

2–श्री बलराम यादव–

[मान्यवर, विगत 5-6 जून, 2002 को रात्रि में भीषण चक्रवात एवं आंधी आने के कारण जनपद आजमगढ़ तहसील बुढ़नपुर के उप केन्द्र अतरौलिया के अधिकांश विद्युत खम्भे टूट कर ध्वस्त हो गये हैं । विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारियों तथा प्रशासन का बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद आज तक ध्वस्त लाइने एवं टूटे खम्भों को बदला नहीं गया है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है । यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि इस भयंकर सूखे से किसान पहले से ही असहाय होकर देख रहा है, अपनी फसलों को बर्बाद होता देख रहा है, विद्युत आपूर्ति न होने से जनता में काफी रोष व्याप्त है । अतएव, लोक महत्व के इस अविलम्बनीय निश्चित विषय को आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में लाकर उप केन्द्र अतरौलिया के ध्वस्त विद्युत लाइन को अविलम्ब ठीक करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद गाजीपुर के कुछ अराजक तत्वों से स्वयं विधायक को खतरा उत्पन्न होने से सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

3–श्री बीजू पटनायक–

[मान्यवर, मेरा निवास ग्राम देवबन्दपुर, ब्लाक सैदपुर, गाजीपुर में है । दिनांक 4-7-02 को मैं अपने निवास पर था करीब 8 बजे रात को मनोज कुमार, रामहर्ष यादव, इन्द्रदेव सिंह, मुन्ना सिंह, साहू सिंह, रामपुर माजरा सभी थाना करण्डा हमारे घर आये और मेरा नाम लेकर बुलाये तब मैं बाहर आया तो वे सभी लोग भद्दी गालियाँ देने लगे और हमको जान से मार कर चुनाव कराने की धमकी देने लगे तभी हम चिल्लाये तो मेरा सुरक्षा गनर दौड़ा और इसके बाद सभी लोग सफेद मार्शल से भाग गये । चूँकि मैं अनु० जाति का विधायक हूँ इसलिए ये दबंग लोग जो सारे अपराधी किस्म के लोग हैं हमको जान से मारने के लिए उतारू हैं इसकी रिपोर्ट मैं सैदपुर थाने में करा दिया यह गांव थाना करण्डा में पड़ता है । थानाध्यक्ष करण्डा आर०के० द्विवेदी इस सारे लोगों से मिले हुए हैं और उपरोक्त अपराधी लोगों को कोर्ट में हाजिर करवा दिया और इन सारे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से बार-बार कहने के बाद भी उक्त थानाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और अपराधी जमानत कराकर सड़क पर चल रहे हैं तथा हम को जान से मारने की धमकी बराबर दी जा रही है ।' अस्तु, आपसे निवेदन है कि मेरी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को समुचित कार्यवाही करने का निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।]

शाहजहांपुर के अब्दुल्लागंज क्षेत्र में स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

4–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मान्यवर, शाहजहांपुर जनपद में अब्दुल्लागंज क्षेत्र में एक विद्युत सब-स्टेशन पिछले 4 वर्ष से बनना प्रस्तावित है । यह स्वीकृत है तथा इसका धन भी स्वीकृत है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक इस सब-स्टेशन का निर्माण नहीं हो सका । कई बार इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया परन्तु अभी तक इसका निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है । इस सब-स्टेशन बनने से क्षेत्र वासियों की बहुत पुरानी मांग पूरी हो जायेगी । इसके बनने से क्षेत्र के 5000 लोगों का विद्युत समस्या का निदान हो

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जायेगा तथा चोरों, डकैतों से भी राहत मिलेगी । लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि कृपया शाहजहांपुर के अब्दुल्लागंज का विद्युत सब-स्टेशन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये ।]

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत मवई के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

5–श्री उदयराज–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद–उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत मौरावां–अकोहरी नरीचक-मवई मार्ग पर मवई के पास पुलिया लगभग विगत 2 वर्ष पूर्व टूट गयी थी । आज तक उक्त पुलिया का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के लगभग 100 ग्रामों की जनता के सामने आने-जाने की कठिन समस्या है । उक्त पुलिया के निर्माण न कराये जाने के कारण उक्त क्षेत्र के लोगों में असन्तोष व्याप्त है । अतः इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा करायी जाये ।]

जनपद सीतापुर में अन्य जनपदों की भांति प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र शीघ्र वितरित कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

6–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

[मान्यवर, सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सर्व शिक्षा योजना के तहत एक अध्यापकीय एवं बन्द पड़े विद्यालयों में प्रशिक्षण उपरान्त शिक्षा मित्रों की तैनाती की गयी इसी क्रम में जनपद सीतापुर में लगभग 1860 शिक्षा मित्रों की तैनाती का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके विपरीत लगभग 1221 शिक्षा मित्रों को 15 मई, 2001 से 7 अगस्त, 2002 तक चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिलाकर प्राथमिक विद्यालयों में तैनात किया गया लेकिन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद सीतापुर की प्राचार्य की लापरवाही के चलते शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं दिये गये, जबकि जनपद हरदोई एवं लखीमपुर में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का वितरण प्रशिक्षण उपरान्त होकर दिया । विभागीय अधिकारियों की भेदभाव पूर्ण नीतियों के चलते शिक्षा मित्रों में रोष व्याप्त है । अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर पड़ोसी जनपदों की भांति अन्य जनपद सीतापुर में भी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र शीघ्र वितरित किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को निर्देशित किये जाने के लिए सदन/सरकार से मांग करता हूँ ।]

भारतीय महिला उपभोक्ता सहकारी समिति लि० महोलिया शिवपार कैनाल रोड, रेलवेगंज हरदोई द्वारा किसानों से खरीदे गये करोड़ों रुपये के गेहूँ के भुगतान में की गयी धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

7–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[इस वर्ष जनपद हरदोई में गेहूं की खरीद में कुछ सेन्टर भारतीय महिला उपभोक्ता सहकारी समिति लि० महोलिया शिवपार कैनाल रोड, रेलवेगंज, हरदोई को दिये गये थे । इस समिति ने किसानों से करोड़ों रुपये का गेहूँ खरीदा और उसके भुगतान की चेकें भी किसानों के नाम जारी कर दीं । समिति ने इस गेहूँ को एफ०सी०आई० पहुँचाकर उसका भुगतान प्राप्त कर लिया और बैंक से वह रुपया डुप्लीकेट चेकों के माध्यम से निकाल लिया, इस कारण जिस किसी ने भी इस समिति के माध्यम से गेहूँ

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बेचा था उन्हें गेहूँ का भुगतान नहीं हो पाया । उदाहरण के लिए दिनांक 22-5-2002 को श्री फकीरे पूर्व प्रधान परसनी ब्लाक टड़ियावां को सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, लिलवा, हरदोई की चेक नं० 0028768 रुपये 34100.00 की एक चेक जारी की जब उन्होंने यह चेक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत की तो बैंक ने इस आधार पर चेक निरस्त कर दिया कि भुगतान निकाला जा चुका है । जिले के अधिकारियों को जब इसकी शिकायत की गयी तो वह जांच में लीपा-पोती कर इस समिति को बचाना चाहते हैं । कृपया इस प्रकरण की जांच शासन स्तर से करवाकर कृषकों को भुगतान तुरन्त करवाने के आदेश सरकार से दिलवाने का कष्ट करें ।।

प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना पर तत्काल चर्चा की मांग (क्रमागत)

(घोर व्यवधान)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, [× × ×] पर पोटा लगाया जाय और उत्तर प्रदेश को गुजरात न बनने दिया जाय ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार, उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाना चाह रही है और प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा फैलाना चाह रही है, ऐसा कदापि नहीं होने दिया जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर व्यवस्था दी है, इसके अलावा इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है । मैं 15 मिनट तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूँ ।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजकर 50 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'' के सभापतित्व में पुन आरम्भ हुई ।)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर गोरखपुर प्रकरण पर चर्चा की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया ।)

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, एस०पी०, डी०एम० घटना स्थल से भाग रहे हैं । गोरखपुर में आतंक का माहौल है । महन्त को तत्काल पोटा में गिरफ्तार किया जाये, उसने गोरखपुर को गुजरात बनाने का प्रयास किया है ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, एक महिला दलित विधायक पर लाठीचार्ज किया गया, जानलेवा हमला किया गया । गोरखपुर को गोधरा बनाने की साजिश की जा रही है ।

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेश . . कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करिये ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा करवाना चाहती है और उत्तर प्रदेश में गुजरात जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देगी ।

श्री अधिष्ठाता–

जो बात दोबारा उठायी जा रही है उस पर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है, अब कार्यवाही आगे चलने दीजिये । जो समय इसके लिए निश्चित है उस समय पर चर्चा होगी ।

(श्री बीजू पटनायक दैनिक जागरण समाचार-पत्र दिखाते हुए सदन की वेल में आ गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण अपना आसन ग्रहण करें ।

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

कृपया आसन ग्रहण करें । मेरा अनुरोध सुन लें । आपने इस विषय को दूसरी बार उठाया, मैंने सुन लिया, उस पर अपनी व्यवस्था दे दी । आरम्भ में ही जिस समय अध्यक्ष महोदय इस पीठ पर बैठे थे आपके अनुरोध पर उन्होंने आपको सुना, माननीय सदस्यों को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और लोगों की भावनाओं को देखते हुए यह विनिश्चय दिया कि 5.00 बजे चर्चा हो । मैं समझता हूँ कि वही उचित है क्योंकि सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय अध्यक्ष पीठ से निर्णय हुआ था । इसे दोबारा उठाने का कोई औचित्य नहीं है ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर–शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप कार्यवाही को चलने दें ।

(श्री राम करन आर्य, श्री राम विशुन आजाद, श्री वसीम अहमद तथा शारदानन्द अंचल आदि कई सदन के वेल में आ गये ।)

(लाठी गोली की सरकार–नहीं चलेगी–नहीं चलेगी हत्यारी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाये गये ।)

(शोर)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

नियम–300 के अन्तर्गत आज कुल–5 सूचनायें प्राप्त हुयीं हैं । पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल, दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की, तीसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद, श्री राम करन आर्य व श्री राकेश सचान की है, चौथी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल और पांचवी सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है ।

नियम–300 की सभी सूचनायें अग्राह्य की गयी हैं ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को आधे घन्टे के लिए स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक नियम–311 के अन्तर्गत सूचना पर तत्काल चर्चा की मांग (क्रमागत)

(माननीय अधिष्ठाता के पुनः पीठासीन होने पर)

श्री शारदानन्द अंचल–

अधिष्ठाता महोदय, गोरखपुर का वातावरण बिल्कुल विषाक्त हो गया है। वहां पर पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं।

(विपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें।

(इसी मध्य विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य वेल में आ गए)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002, जो

उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2002 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 अगस्त, 2002 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–4 में कुछ नहीं है ।

(घोर व्यवधान जारी)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या–5 पर श्री कमाल यूसुफ मलिक का नाम पुकारा गया किन्तु वे खड़े नहीं हुये ।)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या–6 पर श्री विशम्भर प्रसाद निषाद का नाम पुकारा गया किन्तु वे खड़े नहीं हुये ।)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या–7 पर श्री कौशल किशोर का नाम पुकारा गया किन्तु वे खड़े नहीं हुये ।)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–8 में कुछ नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–9 में कुछ नहीं है ।

दिनांक 22 मई, 2002 को श्री जगदम्बिका पाल सदस्य विधान सभा के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में आवास एवं नगर विकास, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री का शोधन वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी शोधन वक्तव्य पढ़े ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)

मान्यवर, दिनांक 22-5-2002 को ....

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(शोधन वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुखदेव राजभर–

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 22-5-2003 को [श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "इन्होंने मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-12-96 का हवाला दिया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मा० सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन में कार्य किया है । 2001–2002 में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण/निरीक्षण के माध्यम से चिन्हीकरण किया जा रहा है यह कहा गया तो कितने बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण किया गया जिनका शोषण हो रहा है उसके संबंध में शैक्षिक पुनर्वास के लिये क्या कार्य

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

योजना बनाई और उनके परिवार को रोजगार परक योजना से जोड़ने, तो कौन-कौन सी रोजगारपरक योजनायें हैं और जो इनका इम्प्लायर है, तो किन-किन इम्प्लायर के खिलाफ कार्यवाही की गई है, यह मैं जानना चाहता हूं।"

2—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि 25 हजार रुपये उस परिवार को कार्य करने के लिये दिये जाते हैं, यह रिहैबिलीटेशन की योजना है।

3—उक्त प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :–

25 हजार रु० 'पर अर्जित आय' उस परिवार को कार्य करने के लिये दिये जाते हैं, यह रिहैबिलीटेशन की योजना है।

4—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि यह मुरादाबाद, अलीगढ़, जलेसर, मिर्जापुर यह 50915 कुल कामकाजी बच्चे पाये गये।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :–

इसके अतिरिक्त मुरादाबाद, अलीगढ़, जलेसर, मिर्जापुर यह 50915 कुल कामकाजी बच्चे पाये गये।

5—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि भदोही में 20 विद्यालय और 1000 विद्यार्थी हैं।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :–

भदोही में 20 विद्यालय और 958 विद्यार्थी हैं।

6—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि अभी तक वसूल की गई जो धनराशि है, वह 78 लाख रु० है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :–

अभी तक वसूल की गई जो धनराशि है, वह 78.01 लाख रु० है।

7—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, ऐसे कुल परिवार 21,722 है, जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया है, इसमें 4,421 ऐसे हैं जिन्हें रोजगार की जरूरत नहीं थी।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला सही उत्तर इस प्रकार है :–

मान्यवर, ऐसे कुल परिवार 21,722 हैं जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया है, इसमें 4,421 ऐसे हैं, जिन्हें रोजगार की जरूरत नहीं थी।

8—मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रतियां संलग्न हैं।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2002 में श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाल श्रमिकों का शोषण रोकने के लिये सरकार कोई प्रभावी कार्य-योजना बनाने पर विचार कर रही है ?	जी नहीं।

यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिये मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10-12-96 के अनुपालन में वर्ष 1997 से ही लगातार बाल श्रमिकों के चिन्हींकरण और उनको शिक्षा से जोड़ने एवं प्रभावित बाल श्रमिक परिवारों का पुनर्वास कार्यक्रम लागू है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(1) बाल श्रमिकों का सर्वेक्षणों/निरीक्षणों के माध्यम से चिन्हींकरण ।

(2) चिन्हित बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वासन ।

(3) बाल श्रमिकों के परिवारों को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं से लाभान्वित करना ।

(4) वर्जित प्रक्रियाओं/व्यवसायों में बाल-श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही ।

(5) वर्जित प्रक्रियाओं/व्यवसायों में नियोजित बाल श्रमिकों के सापेक्ष उनके नियोजकों से क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि की वसूली ।

(6) राष्ट्रीय बाल-श्रम परियोजना के अन्तर्गत विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के माध्यम से बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वासन ।]

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाने से निरन्तर व्यवधान बना रहा।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजे अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री बीजू पटनायक, श्री राम विशुन आजाद, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री अजीम भाई, श्री अरविन्द गिरि, श्री राधेश्याम सिंह, डा० कौशल किशोर, श्री रामलाल अकेला, श्री नारद राय, तथा श्री राम गोविन्द चौधरी आदि विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शारदानन्द अंचल–

राज्य की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 23 अगस्त, 2002 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। चयनित सूचनाओं के आधार पर निम्न सूचनायें चयनित की गई।

(व्यवधान)

श्री आर०के०चौधरी, श्री दीनानाथ कुशवाहा, श्री उदयराज, श्री रामलाल अकेला, श्री बलराम यादव श्री राम किशुन, श्री शिवपाल सिंह, श्री क़माल युसुफ मलिक, श्री बीजू पटनायक, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री प्रमोद कुमार, इन्होंने लखनऊ जनपद के थाना नगराम के ग्राम पंचायत बलसिंह खेड़ा के निवासी राम हर्ष पुत्र बाराती, रघुबीर पुत्र रामबली तथा संजय पुत्र राज नारायण की गला काटकर की गई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है।

(समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान बना रहा।)

(श्री आर० के० चौधरी का नाम पुकारे जाने पर।)

* श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, तीन-तीन दलितों की हत्यायें हो गई लोगों को पकड़ा नहीं गया है, थाने की पुलिस, एस०ओ० दरोगा, सिपाही सभी पूरी तरह से लापरवाह है मेरा सीधा आरोप हैं पुलिस के लापरवाही के चलते यह काण्ड हुआ है ।

(घोर व्यवधान)

अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो यह घटना घटित न होती ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जिससे घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री आर० के० चौधरी–

लखनऊ जनपद के थाना नगराम के ग्राम में तीन लोगों की हत्या हो गई जिनकी उम्र 18 साल 14 साल .....

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे ।)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा ।)

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है । यह अति लोक महत्व का विषय है और तात्कालिक भी है । मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय । आज तक पुलिस नहीं पता लगा पाई है । सरकार यह पता नहीं लगा पायी है कि किसने मारा है । बावरिया गिरोह ने मारा है कि कच्छा बनियान गिरोह ने मारा है या फिर सरकारी गिरोह ने मारा है, मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं । सरकार को पता लगाना चाहिये कि कौन लोग हैं और अगर यह सरकार नहीं पता लगा पाती है तो यह सरकार अपनी ड्यूटी में असफल रही है । इसमें चर्चा कराई जाय । बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये । इस सरकार की मुखिया को कान पकड़कर पांच बार उठक बैठक करना चाहिये कि हम इस समस्या का निराकरण नहीं करा पा रहे हैं, हम सरकार नहीं चला सकते । मान्यवर, इसी तरह से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है । चाहे सुल्तानपुर की घटना हो, फैजाबाद की घटना हो या फिर बुलन्दशहर या लखनऊ की घटना हो । कहीं भी पुलिस उनको पकड़ नहीं पायी है । मैं मांग करूंगा कि जो नगराम में हत्या तीन दलितों की हुई हैं तो वहां के थानेदार को तत्काल मुअत्तल कराया जाय । जो मृतक के परिवार हैं उनको दस लाख का मुआवजा दिया जाय । यह अत्यन्त ही दर्दनाक घटना है इस पर चर्चा कराई जाय । वहां पर गश्त बढ़ायी जाय, सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चुस्त किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री जगदम्बिका पाल जी, आप बोलें ।)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य, सदन के फ्लोर पर खड़े होकर लगातार नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पहले सदन तो व्यवस्थित करायें । मान्यवर, अगर नेता प्रतिपक्ष की भावना है कि गोरखपुर पर चर्चा कराई जाय तो पहले उसे करा लें । इस तरह से सदन नहीं चल पायेगा । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि गोरखपुर पर पहले चर्चा करा लें फिर उसके बाद नियम–56 लिया जाय ।

प्रदेश में घटी घटनाओं से पूरा प्रदेश भयाक्रान्त है । नगराम में जो घटना घटी उसका उल्लेख किया गया, वह उस दावे को खोखला करता है कि हम प्रदेश को भयमुक्त और अन्यायमुक्त बनायेंगे । यह सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं । यह अत्यन्त ही गम्भीर प्रकरण है आप पहले सदन को व्यवस्थित करायें ताकि हम अपनी बात कह सकें ।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

उसके बाद इन गंभीर घटनाओं के बारे में चाहे वह लखनऊ में हों, सुल्तानपुर में सहायक अभियंता की हत्या हो, बलिया की हत्या हो या महाराजगंज की हत्या हो । आपसे अनुरोध है कि सदन को व्यवस्थित करा लें । यह नई परम्परा है कि हम बोलते रहे और विपक्ष बोलता रहे और सदन व्यवस्थित न हो ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

इन दलितों की हत्याओं को गम्भीरता से लेते हुए सरकार द्वारा 10-10 हजार रुपया उनके परिवारों को पहुंचा दिया गया है । जांच कराई जा रही है जो भी दोषी होंगे वह बच नहीं पायेंगे । यह तात्कालिक नहीं है, इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना को सुनने के बाद मैं इसको अग्राह्य करता हूं । दूसरी सूचना श्री अशोक बाजपेयी जी की है वे नहीं खड़े हो रहे हैं । अतः निरस्त की जाती है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव की जनपद लखनऊ के ग्राम अमराई में पुराने शिव मन्दिर के सामने वाली रोड को पार करने वाली विद्युत लाइन से उत्पन्न खतरे के संबंध में श्री राकेश सचान एवं श्री शिव कुमार बेरिया की कानपुर स्थित डी०ए०वी० कालेज के बन्द पड़े छात्रावास को खुलवाये जाने के संबंध में तथा श्री राम नरेश यादव की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने विषयक सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)––

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–50 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

राज्य में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य में तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1.—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 कहा जायेगा ।

परिभाषायें

2.—(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) 'विद्या परिषद' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(ख) 'घटक महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है;

(ग) 'तकनीकी शिक्षा परिषद्' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(घ) 'दूरस्थ शिक्षा' का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से, यथा प्रसारण, दूर दृष्य, प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने से है;

(ङ) 'शिक्षा सोसाइटी' का तात्पर्य गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी, लालबहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ से है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत है;

(च) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी हैं;

(छ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(ज) 'छात्र निवास' का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हो ;

(झ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ट) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में 'प्राचार्य' का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत जहां प्राचार्य न हो वहां उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ठ) 'परिनियमों' और 'अध्यादेशों' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(ड) 'अध्यापक' का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी है;

(ढ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय से है;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और इन्फारमेशन टेक्नालोजी अधिनियम, 2000 में परिभाषित शब्दों और पदों के अपने वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं ।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना

3—(1) शिक्षा सोसाइटी जिसे न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोन्नत किया जा चुका है, को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा ।

(2) शिक्षा सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात :–

(क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा, जितना राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवश्यक समझती हो;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा;

(ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिये अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा;

(घ) प्रथम परिनियमावली और प्रथम अध्यादेश बनायेगा, और

(ङ) ऐसी अन्य शर्तें जैसी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय ।

(3) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि शिक्षा सोसाइटी ने उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है वहां राज्य सरकार शिक्षा सोसाइटी को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर शिक्षा सोसाइटी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के नाम से जिला गौतमबुद्ध नगर के मुख्यालय पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी ।

(5) कुलाधिपति, कुलपति, व्यवस्थापक बोर्ड के सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पद धारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे ।

(6) उपधारा (4) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर शिक्षा सोसाइटी द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये अधिग्रहीत, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियां विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी ।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

4—विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

5—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) विद्या की सभी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित और प्रदान करना;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें स्वीकृत और प्रदान करना, जिन्होंने, :–

(एक) विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा के अधीन किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(दो) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा के अधीन शोध कार्य किया हो;

(घ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां छात्र-सहायतावृत्तियां तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(च) ऐसी फीस और प्रभार को मांगना और प्राप्त करना जो, यथास्थिति, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें;

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिये व्यवस्था कराना;

(ज) छात्रों और कर्मचारियों के लिये पाठ्येत्तर क्रियाकलापों की व्यवस्था करना;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति करना;

(ञ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपकृतियां, संदान और दान प्राप्त करना और न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुये किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(ट) छात्र निवासों को संस्थित और अनुरक्षित करना और विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना;

(ठ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिये व्यवस्था करना;

(ड) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;

(ण) दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना;

(त) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, बिचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

(थ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में प्रवेश के मानक अवधारित करना;

(द) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के सभी श्रेणिवों के कर्मचारियों की सेवाशर्तों को अधिकथित करना;

(ध) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उधार लेना;

(न) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये तथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हों।

विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, मतों और लिंग की पहुंच होगी

6—विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा भले ही वे किसी वर्ग, मत या लिंग के हों:—

प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये तेईस प्रतिशत सीट, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये दो प्रतिशत सीट, और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये पच्चीस प्रतिशत सीट आरक्षित रखेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्टि करने की अपेक्षा है।

छात्रों का निवास

7—ऐसे छात्र से, जो दूरस्थ शिक्षा द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सामान्यतः छात्र निवास में ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाये।

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

8—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) संकाय के संकायाध्यक्ष;

(ङ) कुल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं ।

कुलाधिपति

9—(1) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे ।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदान की जाय ।

(4) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा ।

(5) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो उपाधियां प्रदान करने के लिये आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसी शक्तियां, जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

कुलपति

10—(1) कुलपति, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से पांच वर्ष की अवधि के लिये ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जायं, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :–

(क) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(ख) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर;

(ग) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का, यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव;

(घ) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो व्यक्ति, जिनमें से एक को व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में भी नियुक्त किया जायेगा; और यदि खण्ड (क) (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं है तो इस धारा के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से होगा ।

(3) समिति योग्यता के आधार पर, कुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुये एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी ।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

प्रतिबन्ध यह है कि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट, उपान्तरित या उसे उलट सकेगा ।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किये जायं ।

प्रति-कुलपति

11–प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए की जा सकेगी जो विहित किए जायं ।

संकायों के संकायाध्यक्ष

12–संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए की जा सकेगी जो विहित किये जायं ।

कुल सचिव

13–(1) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी विहित की जायं ।

(2) कुल सचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा ।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायं या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों ।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों ।

वित्त अधिकारी

14–वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं या कुलाधिपति, कुलपति या कुल सचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों ।

अन्य अधिकारी

15–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा की निबन्धन और शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसी होगी जैसी विहित की जायं ।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) व्यवस्थापक बोर्ड;

(ख) प्रबन्ध बोर्ड;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएं ।

व्यवस्थापक बोर्ड और उसकी शक्तियां

17–(1) व्यवस्थापक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलाधिपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) कुलपति जो सदस्य-सचिव होगा;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिसमें से एक अनुसूचित जातियों से व एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से होगा ;

(घ) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से निम्न श्रेणी का न हो; और

(ङ) दो शिक्षा विद्, जिनमें से एक प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा और अन्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा ।

2–व्यवस्थापक बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रशासनिक निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनर्विलोकन करना;

(ख) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;

(घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या प्रथम परिनियमों को संशोधित या निरसित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैछिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना; और

(च) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना ।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड समय-समय पर ऐसी अन्तरालों पर जो छः माह से अधिक नहीं होगा; ऐसे समय और स्थान पर जैसा कुलाधिपति उचित समझे, बैठक करेगा ।

प्रबन्ध बोर्ड

18–(1)प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति,

(ख) प्राविधिक शिक्षा परिषद् का एक नामनिर्देशिती;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिसमें से एक अनुसूचित जातियों से और एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से होगा ;

(घ) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य, प्रत्येक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से;

(ङ) प्रत्येक संकाय से एक आचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; और

(च) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(3) कुल सचिव प्रबन्ध बोर्ड का सचिव होगा;

(4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायं ।

विद्या परिषद

19–(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे :

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) कुल सचिव, जो सचिव होगा; और

(ग) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायं ।

(2) विद्या परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका पर्यवेक्षण करेगी ।

वित्त समिति

20–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) वित्त अधिकारी;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी; और

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायं ।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन रहते हुए समन्वय स्थापित करेगी और विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी ।

अन्य प्राधिकारी

21–विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियों और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं ।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

22–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकारी के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी ।

अध्याय–पाँच

परिनियम और अध्यादेश

परिनियम

23–इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन की और ऐसी इकाइयों के गठन की जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, प्रक्रिया;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि की सक्रिया;

(ग) कुलपति, कुल सचिव, और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें और उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के सिंकल्प की प्रक्रिया;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, समापन और उनकी पुनर्संरचना;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(ज) मानद् उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया;

(झ) विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में उपबन्ध;

(ञ) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, प्रक्रिया;

(ट) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से प्रभार्य शुल्क;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों फीस माफी, पदकों और पारितोषिकों का संस्थित करना;

(ड) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया; और

(ढ) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना हो या जो विहित किये जायं;

प्रथम परिनियम कैसे बनाए जायेंगे

24–प्रथम परिनियम शिक्षा सोसाइटी द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी ।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

25–व्यवस्थापक बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा ।

अध्यादेश

26–इस अधिनियम, नियमों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारो तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और नीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(झ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम नियमों या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किये जायें ।

प्रथम अध्यादेश

27–(1) प्रथम अध्यादेश शिक्षा सोसाइटी द्वारा बनाया जायेगा और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रथम अध्यादेश की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के भीतर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी ।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के प्रथम अध्यादेश के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है वहां यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया है ।

अध्यादेशों को संशोधित करने की शक्ति

28–राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से, नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सकेगी ।

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

29–(1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी ।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण की निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे ।

(3) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील की प्रक्रिया और माध्यस्थम्

30–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई ऐसा छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम यथास्थिति कुलपति या प्राचार्य के आदेश द्वारा या विद्यापरिषद् के संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया हो और जो एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया हो, वह ऐसे आदेश या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील कर सकेगा जो यथास्थिति कुलपति, विद्यापरिषद् या प्राचार्य के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तिरत या उलट सकेगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा और धारा 29 की उपधारा (2) से (4) तक के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस उपधारा के अधीन किये गये किसी निर्देश पर लागू होंगे ।

अपील करने का अधिकार

31–विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध बोर्ड को, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध बोर्ड ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा ।

भविष्य एवं पेंशन निधियों

32–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जो विहित की जाय, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे ।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

33–यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

समितियों का गठन

34–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन, समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहां ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

35–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करना हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

सद्भावनापूर्व की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

36–कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी ।

अस्थायी उपबन्ध

37–इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी,–

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायगी जो तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक बोर्ड में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ; और

(घ) प्रथम प्रबन्ध बोर्ड, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायगा ।

स्थायी विन्यास निधि

38–(1) विश्वविद्यालय, कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निमित जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा ;

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी ;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा ;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी ।

सामान्य निधि

39–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात् :–

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिये किया जायेगा ।

विकास निधि

40–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) शिक्षा सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ;

(ङ) और स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय ।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायगा ।

निधि का अनुरक्षण

41–धारा 38, 39 और 40 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

वार्षिक प्रतिवेदन

42–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किया जायगा और उसे व्यवस्थापक बोर्ड को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायगा ।

(2) व्यवस्थापक बोर्ड, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा ।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायगी ।

लेखा और संपरीक्षा

43–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की जिनका वितरण या संदाय किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखों में प्रविष्टि की जायेगी ।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की सम्परीक्षा ऐसे सम्परीक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर की जायेगी, जैसी विहित की जाये ।

(3) सम्परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रति व्यवस्थापक बोर्ड को प्रस्तुत की जायगी ।

(4) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखा, तुलनपत्र और सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायगा और व्यवस्थापक बोर्ड उस पर अपने संप्रेक्षण के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

44–विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

शिक्षा सोसाइटी का विघटन

45–(1) शिक्षा सोसाइटी राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार शिक्षा सोसाइटी के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण, पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी कि नियमों द्वारा विहित की जाय ।

शिक्षा सोसाइटी के विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

46–(1) धारा 45 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा ।

निर्देश जारी करने की शक्ति

47–राज्य सरकार की निम्नलिखित शक्तियां होंगी अर्थात्;–

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमो या अध्यादेशों द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित किसी मामले के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना; और

(ख) किसी विषय पर परिनियम बनाने के लिये आदेश देना ।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन

48–(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को उसके द्वारा दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है या विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जैसा वह उचित समझें ; किन्तु जो एक मास से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय का परिसमापन क्यों न कर दिया जाय ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, या उसके अधीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी ।

(4) जहां राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिये व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे ।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना ;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ङ) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह सामधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसने इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के किन्हीं उपबन्धों या उनके अधीन जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है तो वह अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन करने का आदेश दे सकेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन किसी अधिसूचना को जारी करते समय राज्य सरकार चालू शिक्षण पाठ्यक्रम को समाप्ति तक के लिये विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन के लिये अग्रतर व्यवस्था करेगी ।

(8) उपधारा (7) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी । यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय की अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी ।

(9) उपधारा (6) के अधीन अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ।

नियम बनाने की शक्ति

49–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

कठिनाइयों को दूर करना

50–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–50 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी)–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–86

सूचना विभाग

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,28, 51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(किसी माननीय सदस्य के कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

कटौती का प्रस्ताव है । कटौती का प्रस्ताव कोई नहीं रख रहा है ।

* नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अधिष्ठाता महोदय, कटौती का प्रस्ताव रखा जायेगा ।

(सदन के फ्लोर पर आये सदस्य अपने आसन पर वापस चले गये)

माननीय अधिष्ठाता जी, यह पूरी कोशिश की जाती है और आज दिन भर यह कोशिश की गयी कि यह सदन की कार्यवाही चले, शान्ति पूर्ण चले । लेकिन मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि प्रदेश की (व्यवधान) जनता को यह मालूम हो कि किन मामलों को लेकर आज विपक्ष ने अपनी जिज्ञासायें जताई हैं । मान्यवर, कानून-व्यवस्था को लेकर हम लोग बात रख रहे हैं कि लोगों की जिन्दगी कितनी सस्ती हो गयी है और यह सरकार कितनी संवेदनहीन है । इसे लेकर सदन ने पूरे दिन आपसे यह निवेदन किया कि जो दो घण्टे की चर्चा पांच बजे से स्वीकृत है, उसे अभी सुन लिया जाय । अभी सत्तापक्ष के कुछ लोग इन मरने वालों की बाबत खिल्ली उड़ा रहे थे । उनकी खिल्ली को पूरे सदन ने सुना और पूरे प्रदेश में उसे सुना जायेगा । मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखा जायेगा और रखा जाना चाहिये । लेकिन मान्यवर, हमारा यह विरोध दर्ज होना चाहिये कि सदन में सारे दिन हमने लोकतांत्रिक परम्पराओं और इस पीठ की गरिमा का हवाला देते हुए बार-बार यह कहा कि जो कानून-व्यवस्था के हालात हैं और जिस पर जनता भयभीत है खासकर गरीब लोग, आधे से ज्यादा प्रदेश की स्थिति भयावह है । इसलिये मान्यवर, लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुदृढ़ रखने के लिये कटौती के प्रस्ताव रखे जाने से पूर्व जो लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन हुआ है उसके विरोध में पांच मिनट के लिये अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, कानून व्यवस्था पर चर्चा स्वीकार कर ली गयी । माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा तत्काल चर्चा शुरू किये जाने की मांग के समर्थन में मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी ने भी सदन का त्याग किया ।)

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जब सदन अव्यवस्थित था उस समय आपने नियम 56 में मेरा नाम पुकारा था तो मैंने अनुरोध किया था कि पहले सदन व्यवस्थित कराइये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं उस मद से आगे जा चुका हूं।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, यह सदन नियमों और संविधान से चलता है। यह कार्य संचालन नियमावली है और इसमें सब दिया हुआ है। मेरा अनुरोध है कि नियमानुसार आगे की कार्यवाही कार्यसूची के अनुसार आगे बढ़े।

श्री अधिष्ठाता–

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही चल रही है। कार्य-स्थगन से हम आगे आ गये हैं इस नाते अब उसको न उठायें।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,28,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया था कि कटौती का प्रस्ताव इस पर रखा जायेगा और 5 मिनट के लिये उन्होंने बहिर्गमन किया था। इस बीच में श्रीमन्, आपने अनुपस्थिति में इस बजट को पारित करा देने का कार्य किया जबकि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपसे अनुरोध किया।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, यह सदन नियमों के अनुसार चले, ये [xxx] करके सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहते हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य आक्षेप लगाने का कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, माफियाओं का काम, सरकार चलाने वालों का काम [xxx] करने का है।

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही आगे चलने दें।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपने-अपने स्थान पर बैठें और सदन की कार्यवाही चलने दें।

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,72,04,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहेंगे ?

(किसी सदस्य के कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,72,04,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,70,46,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,70,46,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,25,59,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,25,59,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,06,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,06,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,88,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,88,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,18,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,18,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,48,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,48,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान जारी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,55,36,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,55,36,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,54,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,54,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,77,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(घोर व्यवधान/शोर जारी रहा)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,77,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,37,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,37,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान–

अनुदान संख्या–69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन की वेल में आये हुए विपक्ष के सदस्यगण नारे लगाते रहे जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा । कई सदस्य अध्यक्ष आसन की ओर बलपूर्वक बढ़ने का प्रयास करने लगे जिनको विधान सभा रक्षकों ने रोक लिया ।)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं सदन की कार्यवाही 5.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 2 बजकर 45 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 5 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

सदन में शान्ति एवं मर्यादा बनाये रखने हेतु श्री अध्यक्ष का अनुरोध

श्री अध्यक्ष–

आज प्रातः काल जब सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया था और गोरखपुर की घटना तथा अन्य कुछ और घटनाओं का उल्लेख करते हुये नियम–311 के अन्तर्गत चर्चा कराने की मांग की थी मैंने कहा था कि मैं इसको अस्वीकार करता हूं और 2 घंटे की चर्चा 5 बजे मैंने स्वीकार कर ली थी । वह चर्चा प्रारम्भ होगी । चर्चा के पहले एक अनुरोध मेरा है । हम सब यहां बड़े अच्छे वातावरण में बैठे हैं । शान्त वातावरण में, मर्यादित शब्दों, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें और अपनी बात गम्भीरतापूर्वक कहें । माननीय सदस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मेरा अनुरोध यही है कि हम यहां समस्याओं का समाधान करने के लिये, विचार-विमर्श करने के लिये हैं । आपस में किसी प्रकार का वैमनस्य, द्वेष कटुता फैले ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें । इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बात शुरू करें ।

विपक्ष द्वारा सदन का बहुमूल्य समय नष्ट किये जाने पर आपत्ति

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । आज सुबह जब आपने सदन प्रारम्भ किया नियम 311 में एक प्रस्ताव रखा गया । आपने उसको अस्वीकार कर दिया फिर भी नेता प्रतिपक्ष को सुनने के बाद आपने कृपापूर्ण व्यवस्था दी थी कि 5 बजे 2 घंटे की चर्चा स्वीकार कर रहा हूं । मान्यवर, आपने देखा कि किसी तरह से प्रश्नकाल हुआ । प्रश्नकाल के बाद बजट पारित हुआ तब तक केवल यही आग्रह होता रहा कि चर्चा अभी हो जबकि यह मालूम था कि 5 बजे चर्चा होगी और उस समय सब बातें की जा सकती थीं । लेकिन उस समय से लेकर अब तक सदन को अव्यवस्थित करने के लिये इस दौरान जो सदन की कार्यवाही हुई क्या वह सदन या प्रदेश की जनता के लिये आवश्यक है । गोरखपुर में घटना हुई और कुछ और घटनायें हुईं जो कुछ घटित हुआ वह अमानवीय है सदन को उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है । आज ग्राम्य विकास विभाग का बजट था आज हैण्डपम्प और विधायक निधि के बारे में बजट के समय चर्चा हो सकती थी । हैण्डपम्प के लिये, 10 प्रतिशत पैसे के लिये विचार करने के बाद सरकार से आश्वासन ले सकते थे और इसी तरह विधायक निधि बढ़ाने के बारे में चर्चा हो सकती थी लेकिन हम सब चर्चा में भाग नहीं ले सके यह प्रदेश की जनता के हित पर कुठाराघात है । 44 हजार रुपये प्रति मिनट और एक दिन में 96 लाख रुपया विधान सभा की कार्यवाही पर खर्च होता है । ऐसे सदस्य जो पहली बार चुनकर आए हैं चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के वह अपने क्षेत्र की बात कहने से महरूम रहे ।

श्री अध्यक्ष–

सभी लोग समझते हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । लेकिन यह भी आश्वासन ले लें कि सदन में प्रश्न प्रहर सुचारु रूप से चलेगा । अगर अपनी बात विपक्ष कहे तो सरकार की भी बात सुनी जाए । अपनी बात कहते हुए वेल में आ जाएं सरकार की बात सुनी न जाए । घटनाओं की संवेदनशीलता के बारे में कोई कमी नहीं है । लेकिन सदन का जो उपयोग है ...

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गई ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आप इस पर चर्चा कराएं यह आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन भविष्य में भी जब आप कोई निर्देश दें तो उसका पालन किया जाए विपक्ष की ओर से ।

प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ जनपद गोरखपुर की बिगड़ी कानून व्यवस्था विषयक सूचना पर चर्चा

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अध्यक्ष जी, सुबह से 11.00 बजे से यह बराबर निवेदन व आग्रह हुआ कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है । उसमें किसी को शक हो सकता है ? प्रियारिटी जैसा कि मैंने पहले कहा हमारी और हो सकती है, सत्ता पक्ष की और हो सकती है । सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग और उनका साथ देने वाले लोग हो सकता है कि उन चीजों से सहमत न हों जो हमारी तरफ से उठाई जाती हैं । उनकी दिलचस्पी सिर्फ एक चीज में है कि बजट पास हो जाए चर्चा के बाद हो जाए या बगैर चर्चा के हो जाए । चर्चा के बाद कटौती का प्रस्ताव आने के बाद बजट पास होता है तो भी वही बजट पास होता है । कटौती का प्रस्ताव लाए लोकतांत्रिक परम्पराओं के जिन्दा रहने के बावजूद भी वैसे ही पास होता

है। प्रदेश की क्या ज्वलन्त समस्याएं हैं, अकाल बढ़ गया, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। पूरे प्रदेश में ....

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

लघु उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

यही सब तीन घंटे पहले आ चुका है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा कराने से दोनों पक्षों की बात आ जाएगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

पूरे प्रदेश में आतंक का माहौल है। पूरे प्रदेश में आतंक से लोग डरे हुए हैं। अपनी छतों पर लोग पहरा दे रहे हैं। कहीं मुंहनोचवा है, कहीं बावरिया गिरोह है ...

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(पक्ष-विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दोनों पक्षों के लोग एक साथ बोलेंगे तो हम कैसे सुनेंगे ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं। एक मिनट में कहूंगा। मान्यवर, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज आपने नेता प्रतिपक्ष जी की नियम–311 की सूचना निरस्त होने के बाद भी स्वीकार की और गोरखपुर प्रकरण पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार की। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जिन चीजों को इंगित कर रहे हैं वह नियम–56, 51 और 300 में आ चुकी हैं। जिस प्रकरण पर उन्होंने दो घंटे की चर्चा स्वीकार करवाई, उस बात को सदन सुनना चाहता है। मुंहनोचवा, बाराबंकी और हरदोई की बात फिर करने लगे। इनको तो हम नियम–56, 51 और 300 में सुन चुके हैं। जिस सम्वेदनशील घटना के लिये उन्होंने चर्चा का समय लिया है, उसको बतायें। यह तो फिर वही रिपीट कर रहे हैं।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मेरा एक निवेदन है। मैंने समझा कि डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो बात कही उसके जवाब में आप कुछ कह रहे हैं। वैसे जवाब की आवश्यकता भी नहीं है। पीड़ा का विषय है कि सदन का

समय अनावश्यक रूप से खर्च हो जाता है । आपके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैंने दो घंटे की चर्चा स्वीकार की । आप चर्चा प्रारम्भ करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरे कहने का आशय यह है कि 11.00 बजे..

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये । जब आप इनकी बात सुनेंगे शांतिपूर्वक तब यह भी आपकी बात सुनेंगे शांतिपूर्वक । पहले देख तो लें कि वो कहना क्या चाहते हैं । पहले सुन तो लें ।

श्री घनश्याम शुक्ला–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपकी पीठ से यह व्यवस्था हो जानी चाहिए कि आपके दिशा निर्देश का उल्लंघन न यह पक्ष करे न वह पक्ष करे ।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बीच में व्यवधान करने से कुछ लाभ नहीं है । स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुंशी लाल गौतम–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

मैंने बोलने की अनुमति नहीं दी है आपको । आप बैठ जाइये यह लिखा नहीं जायेगा । हम सब एक दूसरे की बात को शान्तिपूर्वक सुनेंगे तभी विचार-विमर्श होगा, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं एक पक्ष कोई बात कहता है दूसरा पक्ष उससे सहमत नहीं होता है, इसके बावजूद बात सुनते हैं । इसलिए नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं उसको सुन लें, आपकी बात विपक्ष सुन लेगा । ऐसे वातावरण में चर्चा प्रारम्भ हो तो अच्छा होगा ।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल अनुरोध स्वीकार करने के बाद हुआ किन्हीं कारणों से अपेक्षित कार्यवाही जो होनी चाहिए थी वह नहीं हुई । अब पांच बज गया है चर्चा होने दीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसकी गम्भीरता को मानते हुए चाहे वह गोरखपुर का मामला हो, चाहे अन्य हत्यायें हों, लूट हो, डकैती हो, इसकी गम्भीरता को मानते हुए, जैसा 11 बजे निवेदन था इस पर चर्चा फौरन हो जाए,

---

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आपकी पीठ से एक निर्देश हुआ कि पांच बजे दो घंटे की चर्चा इस पर स्वीकार की जाती है, हम अभी भी इसी मत के हैं यह इतना अहम मामला है, प्रदेश का जनजीवन सुरक्षित नहीं है...

श्री अध्यक्ष–

चर्चा प्रारम्भ कीजिए । समय बढ़ा देंगे ।

(व्यवधान होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि संसदीय कार्य मंत्री सदन में हैं, नेता सदन कभी आती ही नहीं हैं अलावा इसके, जब उनका रहना बहुत जरूरी रहा हो । नेता सदन, सदन में तभी रहती हैं जब उनका सदन में रहना बहुत जरूरी होता है..

(व्यवधान)

हमारा मानना था, यह समझना था, हम यह कोशिश कर रहे थे कि इस मामले को वरीयता प्रदान करते हुए, इस मामले को नम्बर एक पर रखते हुए, आपकी पीठ से, सरकार की तरफ से यह दिलचस्पी जाहिर हो कि प्रदेश की सुरक्षा जनता की सुरक्षा, उनकी जानमाल की हिफाजत, जो उनके अन्दर भय व्याप्त है जो धारणा बन गई है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है...

(व्यवधान)

इसलिए मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से सरकार तक और राज्यपाल महोदय तक यह बात पहुंचे कि बिल्कुल कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और संविधान के अधिकारों के तहत, यह हक पहुंचता है कि इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसलिए मेरा यह कहना है यह चर्चा जैसे 11 बजे मांग की गई और हमारा इस वक्त भी मानना है कि यह चर्चा प्रदेश का सबसे अहम मसला है इसको 11 बजे शुरू होना चाहिए था । 11 बजे शुरू नहीं हो पाई इसके बहुत कारण थे, आपका हुकुम था, आपके निर्देश थे, लेकिन एक बात सामने आ गई कि यह सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश की सुरक्षा हो, प्रदेश की जनता की सुरक्षा हो, बहस उस वक्त होती जब इसकी जरूरत थी, जब यह चर्चा होनी चाहिए थी, सरकार क्यों चर्चा से भाग रही थी, अगर चर्चा 11 बजे हो जाती, मैंने आपसे निवेदन किया था, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद चर्चा शुरू की जाए । यह चर्चा पांच बजे शुरू हो रही है यह साढ़े ग्यारह बजे, एक बजे, दो बजे शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की प्राथमिकता नहीं है सरकार नहीं चाहती है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

डा० राधामोहनदास अग्रवाल–

गोरखपुर का मामला है इस पर मुझे बुलवाया जाये ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

दो-एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब बैठ जाएं आपको समय मिलेगा ।

(व्यवधान)

मेरे आदेश का पालन करके यह पांच बजे मौजूद हैं ।

श्री ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह)–

सरकार चर्चा से नहीं भाग रही है । सरकार कहां चर्चा से भाग रही है । यह तो पीठ से निर्देश हुआ था उसका पालन किया जा रहा है । सरकार कहीं नहीं भाग रही है ।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

शांत रहिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

केवल इतना और कहूंगा कि शांति व्यवस्था के मामले पर, कानून व्यवस्था के मामले पर, गोरखपुर के मामले पर और जो [xxx] की हत्याएं हुई हैं इन सारे मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम कत्लोगारद हो रहे हैं और सरकार इसे संजीदगी से नहीं ले रही है, यह लोगों के जानमाल की हिफाजत करने में नाकाम रही है ।

(श्री अम्बिका चौधरी जी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब चर्चा प्रारम्भ हो रही है । आप लोग कृपया शांत रहें । चर्चा की जो वर्तमान स्थिति थी, उसके सम्बन्ध में, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखे थे । चर्चा माननीय चौधरी जी प्रारम्भ कर रहे हैं ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मैं इधर और उधर से एक-एक माननीय सदस्य को बुलाऊंगा । लेकिन आप लोग कृपया शांति बनाये रखें और सहयोग करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम–301 के अन्तर्गत....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी, मैं पहले भी दो बार कह चुका हूं कि यह नियम–301 के अन्तर्गत चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले आप मेरे वाक्य तो सुन लें । अगर कोई अनुचित बात होगी तो आप बाद में निकाल दीजिएगा । पहले मेरी बात तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 में चर्चा नहीं होती है । केवल कुछ नियमों को शिथिल करके निलम्बित किया जाता है और वह भी अध्यक्ष की अनुमति से ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने नियम–311 में नहीं किया यह तर्क है तो ठीक है । मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि मेरी नियम–311 की सूचना को नियम–311 के अन्तर्गत न मानते हुए और इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए आपने चर्चा की अनुमति दी ।

(श्री घनश्याम शुक्ल के कुछ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं इनकी तरफ नहीं देख रहा हूं । मैं तो आपको ही देख रहा हूं । [x x x]

श्री अध्यक्ष–

इस तरह के वाक्य का प्रयोग न करें । यह वाक्य कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे कृपापूर्वक अनुमति दी चर्चा प्रारम्भ करने की इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सूचना की विषय वस्तु यह है, गोरखपुर की घटना जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में एक चिन्ता का माहौल है। उत्तर प्रदेश को यह लोग एक दूसरा गुजरात बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

[श्री ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह) के बोलने पर]

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

(अपने दल के सदस्यों से) आप लोग कृपया शांत रहें। मैं देख लूंगा। यह मेरे मित्र हैं। मैं स्वयं देख लूंगा।

"न खंजर उठेगा और न तलवार,

ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।"

मान्यवर, जिन घटनाओं की एक श्रंखला ऐसी चलती जा रही है और जिन पर चिन्ता स्वाभाविक थी, आपने इस विषय की महत्ता को महत्वपूर्ण माना और चर्चा करने की अनुमति दी। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमन्, 13 अगस्त को भासी कटरा गोरखपुर में 2 घटनाएं हुईं। एक में कुछ लोगों की एक उन्मादी भीड़ ने एक के मकान पर कब्जा करने का और लूटने का काम किया और एक युवक को जो मुसलमान बिरादरी का नौजवान था उस पर जानलेवा हमला करने का काम किया। उसके सिर पर राड से प्रहार किया गया उसे हेडइन्जरी हो गयी उसको चाकू मारा गया और गोरखपुर का जिला प्रशासन खास तौर से पुलिस प्रशासन जो कि पूरी तरह से उन आतंक फैलाने वालों के कदम चूमने का काम करता है, इसलिए तिवारीपुर थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। बार-बार आग्रह किये जाने के बाद भी नहीं हुई। जब यह बात डी०आई०जी० तक पहुँची तो आदेश हुआ कि रिपोर्ट दर्ज कर ली जाये। एक झूठी सूचना गोरखपुर डी०आई०जी० को दी गयी कि यह दर्ज हो गयी हैं। लेकिन अगले दिन तक उसकी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग, इलाके के दरोगा तक वहां आतंक फैलाने वाले गिरोह के मुखिया, सरगना के कदम चूमने का काम करते हैं। सारा का सारा प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वाह कर पाने में असफल है।

(इस समय 5 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा पीठासीन हुए)

इतनी गम्भीर घटना होने पर भी जब कार्यवाही नहीं हुई तो गोरखपुर डी०आई०जी० ने निर्देश दिया कि इतनी गम्भीर घटनाएं हो गयीं और रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, पी०पी० सिंह, थानाध्यक्ष, तिवारीपुर को निलम्बित किया जाये। यह पुलिस का आन्तरिक मामला है। दरोगा अपराधियों को गिरफ्तार न करे, दरोगा अपराध करने लगे, तो इस स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था में उनके निलम्बन का मामला, उनकी बर्खास्तगी का मामला पुलिस के आन्तरिक प्रशासन का मामला है और दरोगा निलम्बित कर दिया गया और दरोगा के निलम्बन का मामला इतना बड़ा था कि वहां के सासंद, गोरखपुर ने दरोगा के निलम्बन के सवाल पर धरना करने का कार्यक्रम कर दिया और केवल धरने का ही काम नहीं किया बल्कि इस घटना को और तूल दे दिया कि इतनी औकात किसकी हो गयी कि वह हमारे चेलों की जो हमारी मदद करते

थे, उनके अपराध में उनकी सहायता करते थे, उसको दण्डित करने का काम कैसे किया गया और 16 तारीख को धरने का कार्यक्रम कर दिया। लोकतंत्र में धरना करने का अधिकार है और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक, अहिंसक तरीके से विरोध करने का अधिकार है और अपने इन अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। माननीय अधिष्ठाता जी, व्यवधान अगर समाप्त हो तो बुलायें ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जिन लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के शीर्षस्थ उच्च सदन में आने के बाद हमारे अधिकारों के प्रति इतनी संवेदनशीलता है कि सुनना भी बर्दाश्त नहीं है उनके आचरण के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है मैं जानता हूँ। मान्यवर, दरोगा के निलम्बन के खिलाफ 16 तारीख को बहु प्रचारित धरने का आयोजन हुआ। धरना एस०एस०पी० के खिलाफ नहीं हुआ वह धरना एस०एस०पी० के कार्यालय के सामने नहीं हुआ। गोरखपुर के मण्डलायुक्त के दफ्तर के सामने, डी०आई०जी० के दफ्तर के सामने नहीं हुआ। कोतवाली, तहसील या कलेक्ट्रेट के सामने भी नहीं हुआ। धरना हुआ घासी कटरा तहसील के पास मस्जिद के सामने। मान्यवर, अभी कुछ लोग हा-हा, हो-हो कर रहे हैं मैं नियम में नहीं जाना चाहूँगा। जो लोग ताल बजा सकते हैं, डाल बजा सकते हैं उनसे हा-हा करने के अलावा दूसरी उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। यह हा-हा करने वाले लोग हैं और जिस सदस्य ने हा-हा कहा है वह बड़ा मजबूर सदस्य है, वह सिर्फ संगत कर सकता है उसके स्वर से कुछ निकले उसका कोई सवाल नहीं है। मान्यवर, मस्जिद के सामने धरना तब हुआ जब नमाज अदा करने के लिए लोग, मुस्लिम साम्प्रदाय के लोग बैठे हुये थे। नियत बांधे हुए लोगों पर पत्थर बरसाये गये और गोलियाँ बरसाई गयीं। नमाज की नियतों को छोड़कर लोगों को भागना पड़ा 58 लोग घायल हुये। मान्यवर, जिस तरीके से गुजरात में मुस्लिमों को आतंकित करने के लिए कार्य किया गया उसी तरह से गोरखपुर से एक शुरूआत करने की योजना है। गोरखपुर से ही दूसरा गुजरात बनाने का प्रयास किया जायेगा। इसीलिए धरना मस्जिद के सामने किया गया था और इस धरने का नेतृत्व [× × ×] के लोगों के द्वारा किया गया। मान्यवर, बी०एस०पी० की सरकार है प्रदेश में जिसको सराहा था उनका भी चेहरा बेनकाब हो इस सवाल पर उनकी सराहना खुल कर सामने जाये जिनको भ्रम में डालने का इन्होंने काम किया है।

मान्यवर, 16 तारीख को धरना हुआ। धरने में जो पकड़े गये उसमें यह बात आई कि गोरखपुर में आतंक फैलाने की शुरूआत है। मान्यवर, धरने के बाद 19, 20, 21 तारीख को बन्द करने का आयोजन हुआ। नगर बन्द, जिला बन्द, मण्डल बन्द। पूरी तरह से हथियारबंद लोग गोरखपुर में आतंकित करने को निकले। जहां मिश्रित आबादी है हिन्दू-मुस्लिम की। सरकारी कर्मचारियों पर पूरी धौंस 19 तारीख को दिखाई गयी। बसों पर आग लगाई गयी, निजी बसों को क्षति पहुँचाई गयी।

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, गोधरा में जिस तरह से ट्रेन पर काण्ड हुआ था गोरखपुर में जम्मू की ओर जाने वाली रेल के डिब्बे को क्षति पहुँचाने का काम किया गया और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के लोग जहां यह मांग कर रहे थे कि अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए जो हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाते और राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान मिटाते हैं । मान्यवर, इतने आतंक के बावजूद भी उन लोगों के मन नहीं भरे इसका विरोध करने के लिए और लोगों के मन से आतंक निकल जाये इसके लिए समाजवादी पार्टी के लोग आये तो प्रशासन ने अपराधियों को रोकने के बजाये रेल में आग लगाने वालों बसों में आग लगाने वालों, गोलियाँ चलाने वालों और पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुए बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग आये, देवेन्द्र प्रताप सिंह एम०एल०सी० आये तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 150 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया । मान्यवर, पुनः 20 तारीख को यह तांडव हुआ और 21 तारीख को जब महिला विधायक शारदा देवी वहां गयीं, वहां लोगों को आतंक से मुक्त कराने की दिशा में तैयार करने के लिए तो उनको न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि चोटें पहुँचाई गयीं और गम्भीर चोटें पहुँचाई गयीं और बाद में उनको गिरफ्तार किया गया वह अस्पताल में हैं, यह स्थिति है । यह घटना की शुरुआत है और यह घटना की शुरुआत तो उसकी है जिसकी नोटिस देने का काम हमने आज किया है आप ने कहा नोटिस के परे बोलिये मैं इसके परे बोलना चाहता हूँ यह आज की शुरुआत नहीं है जो [×××] ने कृत्य किया है वह एक दिन में नहीं हुआ है । थाना कोतवाली जनपद महराजगंज में स्थित ग्राम पचरूखिया में दिनांक 10-2-99 को हिन्दू पक्ष द्वारा पीपल के पेड़ को छठ की पूजा हेतु लगाने और दुराग्रह के कारण उस मामले को इतना आगे ले जाया गया कि उसमें फायरिंग हुई और उस मामले में हेड कान्सटेबल सत्य प्रकाश यादव की हत्या कर दी गयी । उक्त मामले में मु०अ०सं०–43/99 धारा 147/148/ 295/ 297/153ए/307/506 भा०द०वि० तथा 7 क्रि०ला० एमेंडमेण्ट एक्ट दर्ज कराया गया । मान्यवर, एक हेड कान्सटेबल शहीद हो गया अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए ।

मान्यवर, महाराजगंज से घटना शुरू होती है । पुनः 18-6-2002 को थाना कप्तानगंज कुशीनगर में वहां एक घटना हुई और उस घटना में लाश पुलिस को न दी जा सके इस बात का उन्माद फैलाने के लिए पहले उनके गुर्गे और चेले गये । जब वे कामयाब नहीं हुये तो 19-6-2002 को सीधे आदित्यनाथ जी वहां गये और उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया उसके बाद जितने मुसलमानों के घर थे उन घरों में आग लगा दी गयी । तमाम घरों को आग लगाई गयी । 22 घण्टे तक घर जलते रहे फिर फायर बिग्रेड ने आकर उस आग को बुझाने का काम किया । मान्यवर, इन घटनाओं से घटना का अन्त नहीं हो जाता । दिनांक 23-6-2002 को गोरखपुर के थाना पिपराइच में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ 230/2002 धारा 307/504/506/324 दर्ज हुआ । मान्यवर, 25-6-2002 को सायं काल साढ़े पाँच बजे [×××] ग्राम नथवा आये और गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन मुण्डेरा, कुशीनगर में घटित घटना में हिन्दुओं द्वारा की गयी कार्यवाही का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि नथुवा के गांव वालों हिन्दुओं को भी मुस्लिमों के विरुद्ध उसी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए जिस प्रकार मोहन मुण्डेरा में हुई है । यह घटना किसी मुसलमान ने किया है इसलिये किसी मुसलमान को जिन्दा न छोड़ें । सभा के समाप्त होते ही आलम के घर में आग लगा दी गयी, निजामुद्दीन के घर में साइकिल व चारपाई में आग लगा दी गयी । मान्यवर, मोहन मुण्डेरा में 72 घर जल गये और आज तक जले हुए लोगों को एक पैसे की राहत की

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उम्मीद नहीं दी गयी उनको जीने के अधिकार का जो अधिकार संविधान में है उसका भी घोर उल्लंघन है। क्या उसमें रहने की इजाजत है या नहीं ? मान्यवर, राहत का इंतजाम नहीं है। इस सम्बन्ध में थाना पिपराइच में मुकदमा संख्या–237/2002 धारा 147/436/427/504/506/353/357 में भारतीय दण्ड संहिता के तहत पंजीकृत किया गया है। पिपराइच में एक दूसरी घटना में थाना पिपराइच पर मुकदम संख्या–263/2002, धारा–376/511 भा०दं०वि० बनाम रफीक पुत्र आशिक अली पंजीकृत हुआ [× × ×] मान्यवर, मुझे इस बात का दुख है कि इतने तनाव पूर्ण महौल में गुजरात जैसी घटना एक बार फिर दोहराने की कोशिश की गयी। यह सब वोट बैंक की राजनीति के चलते हुआ। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले साथी यह जान ले कि राजनीतिक कारणों से किसी को कोई बात बहुत अच्छी लग सकती है लेकिन लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करते हुए वह चीज बहुत बुरी है। थोड़ी देर का फायदा हो सकता है। वे लोग जिनका कोई सिद्धान्त नहीं है [× × ×] तो मैं निश्चित रूप से संविधान में जो नियम है उसके प्रतिकूल जाने का भी काम करेंगे। मान्यवर, यह मेरी पीड़ा है, इसलिए मैं यह आपको बता रहा हूँ। 25-6-2002 को थाना राजघाट मोहल्ला पाण्डेय खाता में योगी आदित्यनाथ जी, ने पुनः इसी तरह से उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया। इसके बाद कस्बा पिपराइच में तनाव हुआ जानबूझकर वातावरण को खराब करने का काम किया गया [×××] गुजरात का एजुकेशन बोर्ड स्वीकार करता है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों में इतना डर है कि वह हाईस्कूल और इण्टर के पर्चे तक नहीं दे सके, वही स्थिति यहाँ उत्पन्न करना चाहते थे ताकि मजदूर लोग गरीब लोग घर चलाने के लिए अपने घरों से बाहर न निकल सकें। अपने ही घर में, गरीबी में मरते रहें और मान्यवर 13-8-2002 तथा 11-8-2002, 14-8-2002, 16-8-2002, 19-8-2002, 20-8-2002, 21-8-2002 को जो कुछ हुआ उसे मैं बताना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं दोहराना चाहता हूं कि यह गंभीर स्थिति है मान्यवर [×××]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मान्यवर, जब कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी जर्जर है तो इस प्रदेश में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रह पायेगा। जब इस प्रदेश में मुख्य मंत्री की जान खतरे में हो तो जनता का क्या होगा। प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है और जबकि बावरिया गिरोह के नाम पर औ कच्छा बनियान के गिरोह के नाम पर अंधाधुन्ध अपराधिक घटनाएं हो रही हैं। जब लखनऊ में जो भ यह स्थिति है।

(व्यवधान)

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति अगर लखनऊ राजधानी में ही इतनी खराब है तो और जगह की कल्पना ही की जा सकती है। मान्यवर, सदन में बैठी सरकार को इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आने के बावजूद सदन की गरिमा का एहसास नहीं है। अंधाधुन्ध हत्यायें हो रही हैं उनको देखकर हम कैसे आँखे मूंद सकते हैं, हमें इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं हैं।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर शोरगुल)

दलितों की हत्या पर अपनी राजनीति की रोटी सेंकने वाले लोग ..

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी जी, आप समाप्त करें और भी माननीय सदस्यों को हिस्सा लेना है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, गरीबों के खून पर अपनी राजनीति का चूल्हा चलाने वाले लोग, मान्यवर, नगराम में जब तीन दलित काट डाले जाते हैं, फिर भी यह सरकार संवेदनहीन रहती है, इनका दलित से क्या लेना-देना है ?

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बिना अवरोध के दो मिनट दे दीजिए, मैं उससे ज्यादा एक सेकेण्ड नहीं लूंगा। मान्यवर, दलितों के खून से अपना चिराग जलाने वाले, नगराम में नहर के किनारे तीन दलितों की बोटी-बोटी काटकर हत्या हो जाती है, यह कानून-व्यवस्था और सदन की चिन्ता का सवाल नहीं है ? मान्यवर, थाना–मलिहाबाद में अगर दलित का परिवार साफ कर दिया जाता है, तो यह कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं है ? बाराबंकी में दलित की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो क्या यह कानून-व्यवस्था का मसला नहीं है ? बलिया में उत्सर्ग एक्सप्रेस में आने वाले हजारों लोगों की भीड़ में डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, सुशील कुमार राय की हत्या कर दी जाती है, मान्यवर, रमाशंकर सिंह, पुलिस कान्स्टेबिल को गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, जी०आर०पी० के सब-इन्सपेक्टर को गोली लगती है, कानून व्यवस्था की इससे बदतर और कोई स्थिति नहीं हो सकती ? मान्यवर, कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हैं, यहां पर कोई संवैधानिक व्यवस्था है ही नहीं। कानून-व्यवस्था के नाम पर यह सरकार पंगु हो गयी है।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सरकार पंगु हो गयी है। यहां की मुख्य मंत्री और डीजीपी कहते हैं कि हम लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मान्यवर, बलिया के खेजुरी थाने में कलेक्टर की मौजूदगी में 20 मकान गिराये जाते हैं। कानून-व्यवस्था है कहीं ? कहीं कानून-व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं कौन से तथ्य रखूं आपको, इस प्रदेश में न कानून है, न कोई व्यवस्था है, न उम्मीद है, न संविधान है, न ही कोई जिम्मेदारी है। मैं पुनः आपसे मांग करता हूं कि चाहे जिस नियम में व्यवस्था दें, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण सवाल और कोई नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

अधिष्ठाता महोदय सबसे पहले तो मैं दिल्ली की एन०डी०ए० सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पोटा को लागू किया और समाजवादी पार्टी के लोग जो पोटा का लगातार विरोध कर रहे थे आज यहां पोटा की मांग की रट लगा रहे हैं। आज गोरखपुर की घटना की चर्चा करने के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। गोरखपुर की घटना 11 दिन पुरानी घटना है। यह घटना 11 तारीख को शुरू होती है। अभी कल गोरखपुर में एक घटना हुई पनियरा में, जहां दो मुसलमानों की हत्या हुई है, आज यह उसे इस मंच पर क्यों नहीं ला रहे हैं ? दो दिन पहले एक यादव परिवार के 10 साल के बच्चे की नृशंस हत्या कर दी गई ...

(विपक्ष के कुछ लोग अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह लोग सिर्फ अव्यवस्था करने वाले लोग हैं और इन्हें सिर्फ अव्यवस्था करनी ही आती है। अधिष्ठाता जी कृपया इन्हें बैठाइये।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग शांत बैठ जायं, राम करन जी कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, दो दिन पूर्व पनियरा में एक 10 साल के यादव की हत्या कर दी गई, यादव परिवार के लोगों ने आक्रामक हो करके दो मुसलमानों की हत्या कर दी। गोरखपुर में जहां एक भी मौत नहीं हुई उसकी चर्चा करते हैं ये लोग लेकिन जहां तीन लोग मारे गए, उसकी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब बनाम मुसलमान की लड़ाई है। नेता प्रतिपक्ष से मैं आग्रह करना हूं कि वे बताएं आखिर इसका क्या है ? अध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देना हूं कि गोरखपुर की घटना पर बोलने का मौका गोरखपुर के ऊपर पिछले दो-तीन दिनों से लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन यह एक बार भी

गोरखपुर की घटना को जानने की कोशिश नहीं की है, गोरखपुर की घटना होने के बाद यह एक बार भी वहां नहीं गए हैं ?

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य)

इन्होंने गोरखपुर की घटना को जानने की कोशिश भी नहीं की है ।...

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा ।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है या तो इन लोगों को शांत करिये या बाहर जाने को कहें । यह लोग चर्चा नहीं चाहते । यह नहीं चाहते कि सच्चाई इनके सामने आये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल कृपा करके अपने सदस्यों को शांत करिये ।

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह चर्चा नहीं चाहते क्योंकि इनको मालूम है कि हम बेनकाब होने जा रहे है । यह लोकतंत्र में नहीं भीड़तंत्र में विश्वास रखते हैं । यह हल्लाबोल है, यह तानाशाही है । लोकतांत्रिक तानाशाही और फासीवाद यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । लगातार इस सदन को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है । पिछले 4 दिनों से अनावश्यक रूप से सदन का माहौल खराब किया गया है । ये लोग गोरखपुर की घटना के आधार पर पूरे प्रदेश में दंगा फैलाना चाहते हैं । मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये दंगाई है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान/शोर)

मान्यवर, धूमिल जी की एक कविता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह बड़ा मौजू है इन लोगों पर । एक आदमी जो रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेंकता है ।

"एक आदमी रोटी बेलता है

दूसरा आदमी रोटी सेंकता है

एक तीसरा आदमी भी है,

जो न रोटी बेलता है, न रोटी सेंकता है

वह सिर्फ रोटी से खेलता है

यह तीसरा आदमी कौन है ।

मेरे देश की संसद मौन है !"

(भीषण शोर) यह नहीं चाहते कि चर्चा हो क्योंकि यदि चर्चा होगी तो इनकी कलई खुल जायेगी और पूरे प्रदेश की जनता जान जायेगी कि गोरखपुर की सच्चाई क्या है ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 6 बजे श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 6 बजकर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 6 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(अनेक सदस्यों के एक साथ जोर-जोर से बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठ जाएं।

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

यह संख्याबल के आधार पर हमारी आवाज दबा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

राम करन जी बैठ जाएं।

(श्री बीजू पटनायक दैनिक जागरण समाचार-पत्र दोनों हाथ से पकड़ कर ऊपर उठा रहे थे और घोर व्यवधान बना रहा)

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपा करके आप अपने दल को शान्त करायें।

(सत्ता पक्ष की ओर से स०पा० का हल्ला बोल नहीं चलेगा-नहीं चलेगा के नारे लगे।)

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, वह साधु नहीं हत्यारा है। बलात्कारी है, गुण्डा है, माफिया है। बाबा नहीं है बल्कि साधु के भेष में एक राक्षस है।

श्री अधिष्ठाता–

राम करन जी कृपा करके बैठ जायं। माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया अपने दल को शान्त करायें।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम करन जी कृपा करके बैठ जाएं। कृपया शान्त रहें।

श्री रामकरन आर्य–

यह साधु के भेष में औरतों का चीरहरण करता है।

(विपक्ष के तथा सत्ता पक्ष सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर ह्यवधान बना रहा।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, यह लोग चर्चा नहीं कराना चाहते हैं । इनकी हिम्मत ही नहीं है । आप इस चर्चा को समाप्त करा दें और आगे की मद ले लें ।

(विपक्ष के लोग नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 6 बजकर 30 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 6 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 6 बजकर 45 मिनट पर डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपा करके बैठिये । राम करन जी कृपा करके बैठ लीजिए, सुन लीजिए । मेरा दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपा करके माननीय सदस्य इधर के चौधरी साहब बोल लिये हैं अब माननीय सदस्य उधर के बोलेंगे, फिर आपका नम्बर आयेगा ।

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जो कुछ इन्होंने कहा है उसका अधिकांश हिस्सा [xxx] है । अभी माननीय आजम खां ने कहा कि युवक की मौत हो गयी है उसकी लाश गोरखपुर पहुंच गयी है । गोरखपुर में बहुत तनाव है । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वह लाश कहां है । मौत हुई ही नहीं तो लाश कहां से पैदा हो गयी ? वह आदमी आज भी भर्ती है । जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं जिन्दा हूं और लोगों ने मुझे मरा हुआ बता दिया और कहा कि इधर नहीं आना नहीं तो तुम्हें मार देंगे । इस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने गलत बयानी करके पूरे सदन के माहौल को बिगाड़ने का काम किया है । दूसरी बात पर रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त का कहना है कि बोगी अंदर से बन्द थी बोगी में एक भी यात्री नहीं था । श्री ब्रजलाल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि लोग अन्दर कैसे घुस सकते हैं, उन्होंने इन्कार किया इस बात से और ठीक उसी के पहले 20 जुलाई के दिन अवध एक्सप्रेस में आग लगी थी । यह उनका दूसरा [xxx] है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

जो इनका दूसरा [xxx] है वह जानबूझकर गलतबयानी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यह खेल यहां से नहीं हो रहा है। यह खेल और कहीं से हो रहा है। कुछ लोग इस सरकार को गिराना चाहते हैं, कुछ लोग देश की सरकार को गिराना चाहते हैं। एक तीसरी बात यह कही गयी कि हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा था यह भी [xxx] है। लड़ाई हिन्दू और हिन्दू के बीच थी।

(इसी मध्य श्री उदयराज, श्री रामलाल अकेला, श्री राम विशुन आजाद, कुमारी संध्या कटेरिया व समाजवादी पार्टी के अन्य अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 7 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 6 बजकर 53 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 7 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 7 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

* श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, गोरखपुर के बारे में सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आप उसका नाम मत लीजिए, चर्चा समाप्त हो गयी। दो घंटे की चर्चा स्वीकार की गयी थी, एक माननीय विपक्ष के सदस्य ने बात कही फिर गोरखपुर के स्थानीय सदस्य ने बात कह दी, अब वह समाप्त हो गयी।

जो हुआ है इस सदन के अन्दर वह बहुत अशोभनीय है, यह मैं बहुत कोमल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं यह अशोभनीय से कहीं ज्यादा सीमा तक आगे हैं।

डा० राधामोहन दास अग्रवाल–

मुझे मान्यवर, कुछ बातें कहनी हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, आपने एक व्यवस्था दी गोरखपुर के संदर्भ में एक चर्चा दो घंटे की स्वीकृत हो गयी और चौधरी साहब ने पूरी कानून व्यवस्था की चर्चा उसमें किया और कई जनपदों के भिन्न-भिन्न जगहों का उद्धरण दिया । जहां तक मान्यवर, इधर तीन महीने की जो स्थिति है अपराधों के नियंत्रण के संदर्भ में उन आंकड़ों को भी मैं देना चाहता हूं डकैती में 52.84 प्रतिशत की कमी आई है, लूट में 20.55 प्रतिशत की, हत्या में 4.36 प्रतिशत की, बलवा में 92.35 प्रतिशत की, रोड होल्डअप में 93 प्रतिशत की, फिरौती के लिए अपहरण में 42 प्रतिशत की, दहेज हत्या में 14 प्रतिशत की तथा बलात्कार में 23 प्रतिशत की कमी आई है । इस तरह से भादवि के अन्य अपराधों में भी कमी आई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की अधिनियम के अन्दर गिरफ्तारियाँ की गयीं ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने उत्तर के लिए संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने यह थोड़ा सा संकेत दिया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप आंकड़े दे रहे थे हम लोगों के भी कई विषय थे । आज आप गोरखपुर का उत्तर दे दीजिए कल अन्य का दीजिएगा ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा करने में रुचि नहीं है तो रोज-रोज यह विषय नहीं लिया जायेगा । रात 12 बजे तक आज चर्चा करिये, मैं समय बढ़ा देता हूं । आज जितनी देर चर्चा करना चाहे तो करिये लेकिन शांतिपूर्वक इधर के लोग कहें तो उधर के लोग सुने और उधर के लोग कहें तो इधर के लोग सुने शांति से, वरना चर्चा का कोई औचित्य नहीं है ।

(व्यवधान)

जितना कहिये उतना समय बढ़ा दें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इससे पहले श्री अम्बिका चौधरी जी ने कनून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति के बारे में उदाहरण दिया उन्होंने बलिया, बाराबंकी तथा लखनऊ आदि का उदाहरण भी दिया है । जबकि हमने यह कहा है कि अपराधों में कमी आई है । मान्यवर, जहां तक गोरखपुर का सवाल है उसके बारे में हम लोग पहले भी नेता प्रतिपक्ष की ओर से सुन चुके हैं । 11-8-2002 को यह प्रकरण शुरू हुआ था दोनों पक्षों की बात बढ़ते-बढ़ते स्थिति गम्भीर हो गई और दोनों पक्षों की ओर से मुकदमें दर्ज हो गये । ये मुकदमें 151 में दर्ज हो गये । मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जिस व्यक्ति की हत्या का प्रकरण उठाया उसके

बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वह आदमी इस समय बिल्कुल ठीक-ठाक है । जहां तक माननीय विधायिका जी का प्रकरण है उन्होंने केवल धरना प्रदर्शन के लिए ही कहा था । जैसा कि पहले आरोप था कि एक आदमी मर गया है और धारा–151 में यह मामला निरुद्ध किया गया चाहे तो नेता प्रतिपक्ष भी इस बात का पता कर लें वह आदमी ठीक-ठाक है इनके भी माध्यम हैं, चाहें तो ये अपने माध्यम से पता कर सकते हैं । मान्यवर, इस समय स्थिति शान्तिपूर्ण है वहां के हिन्दू-मुसलमान सौहार्द्र चाहते हैं अगर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जायेगा तो इसमें दिक्कत आ सकती है । लेकिन वर्तमान में स्थिति शान्तिपूर्ण है । आज भाई-चारे का माहौल है । परेरा के बारे में भी कहा गया कि 10 साल के एक यादव लड़के की हत्या हुई है, मुन्डेरा का एक मसला था कि 10 साल की लड़की के साथ किसी ने बलात्कार किया । मान्यवर, जिस लड़के की हत्या हुई है पहले उसे धमकी मिली थी बाद में हत्या हुई और बालिका जिसका बलात्कार हुआ उसकी जांच चल रही है । मान्यवर, अल्पसंख्यकों के घरों को जलाने की घटना हुई उसके संबंध में 23 लोगों को जेल भेजा गया है । वहां की सुरक्षा के लिए पुलिस लगा दी गई है । मान्यवर, यह सदन सभी का है हम चाहते हैं कि यहां पर भाई-चारे का माहौल बना रहे । हमारी कमियां को हमारे सामने रखना विपक्ष का दायित्व बनता है लेकिन हम लोगों की तरफ से कोई कुछ कहना चाहता है तो उसे आपको भी सुनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए । अध्यक्ष जी का आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है । लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, सदन विपक्ष ही चलाता है, हम लोग तो उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं । इसलिए सदन को मर्यादित ढंग से चलाना हम सभी की जिम्मेदारी है ।

मान्यवर, मेरा इतना ही कहना है, कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, मानवता और इंसानियत को कायम करने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है । एक अच्छा वातावरण वहां पर है । कुछ लोग गुजरात का उद्धरण दे रहे हैं, जो नारे लगाये जा रहे हैं, लोकतंत्र में आपको अधिकार है लेकिन मेरा मान्यवर, गोरखपुर के बारे में कहना है कि बिना भेदभाव के जो भी कार्यवाही हुई है, एकतरफा कोई कार्यवाही नहीं हुई है । कार्यवाही हुई है तो दोनों पक्षों पर हुई है, मुकदमा दोनों पक्षों का दर्ज हुआ है । मान्यवर, वहां पर कोई तनाव नहीं है, प्रशासन सचेष्ट है और सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि भाई–चारा और अमन-चैन कायम रहे । चाहे हिन्दू समाज के रहे हों या मुस्लिम समाज के रहे हों, सब लोग भारत माता की आजादी में भागीदार रहे हैं । इसलिए जो परम्परा रही है, धर्म निरपेक्षता की, वह रहेगी और इस पर कोई कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी । मान्यवर, अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उसके प्रति हम लोग संवेदनशील हैं और ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए हमारी सरकार और बहन मायावती जी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं । मान्यवर, गोरखपुर में भाई-चारा का माहौल है, वहां भाई-चारा है और सब लोग अमन से रहे हैं । वहां पर कोई स्थिति बिगड़ी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

अब चर्चा समाप्त हुई ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 अगस्त, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं :–

पहली, चौधरी बाबूलाल की है जो जनपद आगरा के थाना कागारोल के ग्राम वैमन में प्रधान धीरेन्द्र द्वारा पोखर पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है जो प्रदेश के प्राधिकरणों पर किसानों का भूमि मुआवजा का बकाया भुगतान न कर पाने की स्थिति के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी श्री महबूब अली की है जो जनपद ज्योतिबाफूले नगर में विद्युत विभाग कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के समय से न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी, डा० रामबाबू हरित की है जो जनपद आगरा में खराब पड़े सैकड़ों हैण्डपम्पों को ठीक कराने एवं पानी की जांच कराने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवीं श्री राकेश

सचान की है जो वजाज वेतन समिति की सिफारिशों के अनुरूप सांख्यिकीय कर्मचारियों का वेतनमान उच्चीकृत किये जाने के बारे में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठीं श्री सीताराम निषाद की है जो जनपद फैजाबाद के थाना तारून के एक पत्रकार के भाई के नवजात शिशु की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं थानाध्यक्ष को निलम्बित किये जाने की मांग के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं श्री किरणपाल कश्यप की है जो जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कुढ़ाना तहसील शामली के किसानों की चकबन्दी अविलम्ब पूर्ण कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं श्री रामविशुन आजाद की है जो जनपद गोण्डा के विकास खण्ड नवाबगंज एवं वजीरगंज के ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायतों को तहसील तरबगंज से तहसील मनकापुर में समायोजित किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं डा० विनोद तिवारी की है जो जनपद पीलीभीत के ग्राम हरिपुर एवं किशनपुर में फैले संक्रामक रोगों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दसवीं श्री विश्राम सिंह यादव की है जो जनपद हरदोई के ब्लाक हरपालपुर में रोडवेज बस अड्डे से सामुदायिक स्वरूप केन्द्र तक जाने वाली सड़क के ऊपर बनी पुलिया के ऊपर से विद्युत लाइन हटाये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, ग्यारहवीं, डा० कौशल किशोर की है जो जनपद लखीमपुर स्थित अभयपुर शाहगढ़ किसान सेवा सहकारी समिति लि० की पदेन्ध कमेटी के द्वारा किये जा रहे कार्यों की जांच के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, बारहवीं श्री श्याम देव राय चौधरी की है जो प्रदेश में पार्ट बैनामें की दाखिल खारिज न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तेरहवीं श्री उदयराज की है जो उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से सरकारी सस्ते गल्ले की नयी दुकानों के आवंटन पर लगे प्रतिबन्ध से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौदहवीं श्री पूर्णमासी देहाती की है जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इन्दिरा नगर विस्तार योजना–11 हेतु भूमि अर्जन में विलम्ब एवं अनियमितताओं के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पंद्रहवीं, डा० पी०के० राय की है जो जनपद कुशीनगर के अमुवाखास बंधे के टूटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सोलहवीं श्री राधेश्याम सिंह की है जो जनपद कुशीनगर के रामकोला थानान्तर्गत बरवा महदेवा पुलिस चौकी को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सत्रहवीं श्री सुरेश कुमार खन्ना की है जो जनपद शाहजहांपुर स्थित लाल इमली चौराहा से रोडवेज वाला नाला, तारीन टिकली से निशात टाकीज वाला नाला तथा पुलिस चौकी के पास हदूदफ वाला नाला के चोक हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, अठ्ठारहवीं, श्री मुंशी लाल गौतम की है जो जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर की गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त कराये जाने जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, उन्नीसवीं श्री कौशल किशोर की है जो लोक निर्माण विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित कराये गये अवर अभियन्ताओं को नियुक्ति प्रदान न किये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बीसवीं श्री मदन गोपाल वर्मा की है जो जमा योजना के अन्तर्गत पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के निजी नलकूप के विद्युत कनेक्शन हेतु भेजे जा रहे लाखों रुपये के ड्राफ्ट विभाग द्वारा न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं :–

1–श्री रामजीत राजभर, 2–श्री छोटे लाल यादव, 3–श्री पारसनाथ यादव, 4–श्री राम किशुन, 5–श्री प्रताप चौधरी, 6–श्री वंशीधर राज, 7–श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री बीजू पटनायक, 8–श्री जयराम विमल, 9–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान ।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, मेरी सूचना इसमें नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष–

आप सोमवार को दे दीजियेगा ।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 301 में सूचना दी थी वह सूचना हमारा एक ब्लाक जो दूसरे जिले में चला गया है, से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसे सोमवार को दे दें ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 23 अगस्त, 2002 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र में कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 24 अगस्त, 2002 को (1) उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा (2) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं पारण की मदें,

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पूर्व रखी जायं ।

2–दिनांक 26 अगस्त, 2002 को निम्नलिखित कार्यों की मदें ली जायं :–

(1) उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण की मदें वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पूर्व रखी जायं ।

(2) प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घण्टे की चर्चा रखी जाय ।

विधान सभा के वर्तमान सत्र का शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रखा जाय ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता संवर्ग के पदों को पदोन्नति द्वारा न भरे जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

उत्तर प्रदेश राजकीय इण्टर .....

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

[माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में प्रदेश के राजकीय इण्टर [कालेजों में 1170 पद प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त हैं जिसमें 560 पद पदोन्नति कोटे के हैं । कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 8 फरवरी, 1999 द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के पदोन्नति कोटे के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है इसके परिप्रेक्ष्य में प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली, 1992 के संगत प्राविधानों में आवश्यक संशोधन वांछित है । असाधारण विलम्ब के पश्चात् भी यह प्रक्रिया अद्यतन पूर्ण नहीं हो पाई है जिसके कारण 1999 से पदोन्नति प्रक्रिया अवरुद्ध है इन्हीं परिस्थितियों वश विभाग में प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति को आयोग से लेकर 1999 के पूर्व की भांति विभाग को वापस देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है जिस पर शासन द्वारा कोई निर्णय न लिये जाने से पदोन्नति कोटे के रिक्त चले रहे हैं इससे छात्रों एवं शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है ।

उक्त के संबंध मे सूच्य है कि वर्ष 1999 के पूर्व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 के अधीन राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग के 50 प्रतिशत पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों को विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जाता था किन्तु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 8 फरवरी, 1999 के द्वारा प्रवक्ता संवर्ग से पदोन्नति कोटे के पदों को भी लोक सेवा आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है । कार्मिक विभाग की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली, 1992 के संगत नियमों में संशोधन का प्रस्ताव कार्मिक नियमावली सेल को प्रेषित किया गया था जिसमें नियमावली सेल द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर जिज्ञासा की गई थी जिनका समाधान करके नियमावली का प्रारूप पुनः कार्मिक विभाग को सहमति हेतु भेजा गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवक्ता के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति श्रेणी के पदों पर चयन की कार्यवाही हेतु निदेशालय स्तर से अधियाचन लोक सेवा आयोग को दिसम्बर, 2001 में भेजा जा चुका है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तथा लोक सेवा नियमावली के संशोधनों में प्रक्रियात्मक विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुये प्रवक्ता संवर्ग के सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से निकालकर एक बार विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को संदर्भित किया गया है । कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त होते ही विभागीय चयन समिति के माध्यम से प्रवक्ता संवर्ग में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्यवाही तत्परता से की जायेगी । शासन प्रवक्ता के रिक्त पदों के कारण शिक्षण पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव एवं शिक्षकों के असंतोष की भावनाओं से भिज्ञ है तथा समस्या के समाधान हेतु पूर्णतया संवेदनशील है । नियमावली में संशोधन की प्रवक्ता पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर लाने की कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग की सहमति अपेक्षित है जिसके संबंध में पूर्व तत्परता से कार्यवाही की जा रही है ।]

उत्तर प्रदेश में मंहगाई को देखते हुये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के गरीब छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति को उसी अनुपात के आधार पर बढ़ाये जाने विषयक श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

प्रदेश में मंहगाई को देखते हुये .....

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुखदेव राजभर–

[उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक चलायी जा रही छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पूर्वदशम छात्रवृत्ति की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है । पूर्वदशम छात्रवृत्ति की दरें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997 में संशोधित की गई है तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में संशोधित की गई हैं तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में संशोधित की गई थीं । दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किया जाना भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में है । जहां तक पूर्वदशम छात्रवृत्ति की दरों में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव को शासन में परीक्षण किया जा रहा है ।

2—जहां तक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पूर्वदशम छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि पिछड़े वर्ग में छात्रवृत्ति की दरें वर्ष 1997–98 में संशोधित हुई थी और छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था, परन्तु वित्तीय वर्ष

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2001–2002 से पिछड़े वर्ग के छात्रों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है, क्योंकि पूर्वदशम छात्रवृत्ति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर व्यय भार वहन हो रहा है । पिछड़े वर्ग के छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है । अतः पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन भारत सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है ।

3—यह सत्य है कि छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन के उपरान्त मंहगाई बढ़ी है एवं शिक्षा शुल्क एवं शिक्षा के लिये आवश्यक उपादानों के मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई है, परन्तु राज्य सरकार के संसाधन सीमित होने के कारण फिलहाल समानुपातिक रूप से छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।]

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा अपने प्रकाशनों वेदों एवं वैदिक मान्यताओं को झुठलाने तथा उनके विषय में भ्रान्तियां उत्पन्न करने विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा एवं भाषा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा .....

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुखदेव राजभर–

उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान द्वारा [विक्रम सं०–2052(1996 ई०) में संस्कृत वाङ्मय इतिहास के अन्तर्गत प्रथम खण्ड वेद में प्रकाशित किया गया, जिसके प्रधान सम्पादक आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय तथा सम्पादक प्रो० ब्रज बिहारी चौबे हैं ।

1—यह कहना उचित नहीं है कि वाङ्मय के इतिहास के क्रम में वेद विषयक इस प्रथम खण्ड में जानबूझकर बेदों के संबंध में भ्रान्तियां उत्पन्न की गई हैं व ऋषियों एवं प्राचीन मनीषियों द्वारा निर्धारित सभी वैदिक मान्यताओं को असत्य करके उनका घोर अपमान किया गया है । वस्तुतः संस्थान ऐसे सभी ऋषियों एवं मनीषियों कां श्रद्धापूर्वक सम्मान करता है ।

2—इस पुस्तक में प्राचीन काल में भारत में विद्वानों/महर्षियों की एक लम्बी परम्परा होने की बात स्वीकार की गई है । पाश्चात्य विद्वानों के मत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में केवल प्रसंगवश दिये गये हैं, जिससे ऐतिहासिक और समीक्षात्मक संदर्भों को विभिन्न मतान्तरों के परिप्रेक्ष्य में व्यापक दृष्टिकोण मिल सके ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3—वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों आदि श्रेष्ठ आर्यग्रन्थों में वेदों को "अपौरुषेय" कहा गया है। ऋषियों द्वारा अपनी शिष्य परम्परा में श्रुति (श्रवण) के माध्यम से इनका प्रसार चलता रहा। संहिता के रूप में इनका संकलन तथा लेखन अवश्य बाद में किया गया।

4—जैसा कि उल्लिखित किया गया है, इस खण्ड का प्रकाशन हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, किन्तु अभी तक इसके पूर्व संस्थान के संज्ञान में जन-सामान्य से प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं आयी है। फिर भी संकलन की अत्यन्त प्राचीनता के कारण इसके गूढ़ अर्थों के संबंध में तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विद्वानों में मतान्तर स्वाभाविक है। इनके उद्धरण मात्र से संस्थान की सहमति आवश्यक या परिकल्पित नहीं है।

5—अतः यह कहना उचित नहीं है कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है या जनसामान्य में रोष है। वस्तुतः व्यापक परिप्रेक्ष्य एवं मतान्तर भारतीय चिन्तन की उदारता का परिचायक है, जिनका समावेश इस खण्ड में है।]

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में मानकों के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति न किये जाने के संबंध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर .....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुखदेव राजभर–

[मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में मानक के आधार पर अध्यापक तैनात नहीं हैं। कतिपय विद्यालय अध्यापक विहीन हैं तथा कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिसमें आवश्यकता से अधिक अध्यापक तैनात हैं। विशेषकर बरेली जनपद के आंवला विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत रामनगर, मझगवां, आलमपुर जफराबाद के प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल 50 प्रतिशत अध्यापक विहीन हैं जो ज्यादातर बन्द रहते हैं अध्यापक मीटिंग का हवाला देकर छुटकारा पा लेते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिये शिक्षा के द्वार बन्द हो गये हैं।

इस संबंध में अवगत कराना है कि सामान्य रूप से प्रदेश में इस समय अध्यापकों की कमी है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 27000 बी०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण देकर अध्यापक के रिक्त पदों पर तैनाती करने की योजना तैयार की गई थी और उसके आधार पर चयन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई थी परन्तु इसी मध्य प्रकरण में योजित कतिपय याचिकाओं में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट बी०टी०सी० को चयन प्रक्रिया पर स्थगन आदेश पारित कर दिया गया और कालान्तर में मार्च, 2002 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा समस्त चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मा० उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर की गई है जो अभी तक विचाराधीन है। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अध्यापकों की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

जहां तक जनपद बरेली के विद्यालयों में मानक के आधार पर अध्यापकों की तैनाती न होने का प्रश्न है इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद में इस समय नियमित उपलब्ध बी०टी०सी० परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति विचाराधीन है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली को निर्देशित कर दिया गया है कि वे उपर्युक्त उल्लिखित विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का गहन परीक्षण कर लें तथा जो नवीन तैनातियां विचाराधीन हैं अथवा जहां पर मानक से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं उनको स्थानान्तरित कर अध्यापक विहीन/एकल अध्यापकीय विद्यालयों में तैनात करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में शारदा नदी के कटान से हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा न दिये जाने के संबंध में डा० विनोद तिवारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र .....

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन के सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना में विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के बारे में बताया गया है कि शारदा नदी के कटान के कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्राम हजारा, शास्त्रीनगर, भुर्जनियां व अशोक नगर को खाली करा दिया गया है। ग्राम धुरिया पलिया की कृषि योग्य भूमि एवं वेशकीमती फसलें शारदा नदी के कटान का शिकार हो चुकी हैं। शारदा नदी के कटान से वहां के कृषकों एवं आम निवासियों में काफी रोष फैला हुआ है।

मा० सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना में जिन ग्रामों का उल्लेख किया गया है वे शारदा नदी के फ्लड जोन/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थित हैं। शारदा नदी की बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में धारा परिवर्तन करने की ऐसी प्रवृत्ति है कि एक जगह कटान करके दूसरे स्थान पर मिट्टी/बालू जमा करती है। नदी की इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थित ग्रामों की कटान प्राकृतिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुआवजा दिये जाने का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर में रोजा थर्मल पावर स्टेशन को शीघ्र चालू कराये जाने विषयक श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

जनपद शाहजहांपुर में रोजा थर्मल .....

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन के सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री रामवीर उपाध्याय–

[567 मेगावाट (283.5 मे०वा० क्षमता की दो इकाइयां) क्षमता की कोयले पर आधारित रोजा ताप विद्युत परियोजना, शाहजहांपुर जनपद में निजी क्षेत्र में स्थापित करने हेतु निर्वतमान उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मेसर्स रोजा पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (विकासकर्ता), जो मेसर्स इण्डोगल्फ द्वारा स्थापित कम्पनी है, के साथ दिनांक 24-9-1998 को पावर परचेज एग्रीमेंट (पी०पी०ए०) हस्ताक्षरित किया गया ।

(1) परियोजना के स्थापना हेतु विकासकर्ता द्वारा निम्न मुख्य स्टेच्यूटरी क्लियरेन्सेस प्राप्त कर लिये गये हैं :–

(अ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से टेक्नो इकोनोमिक क्लियरेन्स ।

(ब) भारत सरकार से कोल लिन्केज ।

(स) एन्वायरमेंटल क्लियरेन्स ।

(द) सिविल एविएशन क्लियरेन्स ।

(2) परियोजना के लिये भूमि यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा अधिग्रहीत की जा चुकी है । विकासकर्ता से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा यू०पी०एस०आई०डी०सी० को रु० 3,37,50,000/– का भुगतान भी किया जा चुका है ।

(3) पी०पी०ए० की शर्तों के अनुसार परियोजना के निर्माण की अवधि फाईनेन्सियल क्लोजर से प्रथम इकाई हेतु 37 माह एवं द्वितीय इकाई हेतु 40 माह है ।

(4) फाईनेन्सियल क्लोजर अर्थात वित्तीय संस्थाओं से परियोजना निर्माण हेतु वित्तीय प्रबन्धन के लिये कतिपय मुख्य कार्यवाही जैसे कि सभी स्टेच्युटरी क्लियरेन्सेस के साथ-साथ कोयले की आपूर्ति का

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अनुबन्ध, कोयले की ढुलाई का अनुबन्ध एवं ई०पी०सी० (इन्जीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कान्स्ट्रक्शन) अनुबन्ध का सम्पादित किया जाना आवश्यक है ।

कोयले की आपूर्ति के अनुबन्ध हेतु विकासकर्ता कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर निरन्तर प्रयासरत है । विकासकर्ता ने अवगत कराया है कि मई, 2002 को कोल इण्डिया लिमिटेड से बैठक की है, जिससे यह विदित होता है कि उक्त अनुबन्ध का अंतिमीकरण शीघ्र ही सम्भावित है ।

कोयले की ढुलाई के लिये रेलवे से अनुबन्ध का प्रारूप विकासकर्ता द्वारा दिनांक 10-09-2001 को हस्ताक्षरित हो चुका है ।

ई०पी०सी० अनुबन्ध हेतु ऊर्जा मंत्रालय भातर सरकार में दिनांक 24-6-2002 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विकासकर्ता को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर निविदायें आमंत्रित करने के उपरान्त ई०पी०सी० अनुबन्ध सम्पादित करना है । विकासकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 25-6-2002 द्वारा सहमति प्रेषित की है तथा वे इस कार्य हेतु प्रयासरत है ।

उपरोक्त अनुबन्धों को सम्पादित करने हेतु विकासकर्ता ने फाइनेन्सियल क्लोजर के लिये उ० प्र० पावर कारपोरेशन से मार्च, 2003 तक के लिये समय बढ़ोत्तरी का अनुरोध किया है ।

(5) परियोजना के पी०पी०ए० पर उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विकासकर्ता ने रु० 56.7 लाख जमा कर दिये हैं तथा पिटीशन दिनांक 30-10-2000 को फाइल की जा चुकी है ।

उपरोक्त प्रगति के दृष्टिगत विकासकर्ता परियोजना स्थापना हेतु निरन्तर प्रयासरत है एवं ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वे परियोजना स्थापना के इच्छुक नहीं है ।]

जनपद गाजियाबाद स्थित धौलाना मोड़ पर स्थित भैरो मन्दिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने विषयक श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जनपद गाजियाबाद स्थित .....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुखदेव राजभर–

[मा० सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी गई कि ग्राम खेड़ा निकट पिलखुआ जनपद गाजियाबाद धौलाना मोड़ पर पेट्रोलपम्प के सामने एक भैरो मन्दिर जो लगभग 15 वर्ष पूर्व सिद्ध बाबा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मन्दिर के बराबर खसरा नं०–548 में बना हुआ है जिस पर तभी से नियमित पूजा होती आ रही है विधायक कोटे से एक सरकारी नल भी लगा हुआ है एक जाति विशेष के लोगों ने असामाजिक तत्वों के सहयोग से उस मन्दिर पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उस मन्दिर को बचाने के लिये उप जिलाधिकारी, हापुड़ को भी सूचित किया गया है। मन्दिर में प्रतिमा ध्वस्त होने से ग्रामवासी व कब्जेधारियों में कभी भी विवाद बढ़ सकता है जिससे क्षेत्र में शान्ति भंग होने का पूरा खतरा पैदा हो गया है। मन्दिर में प्रतिमा की पूर्ण सुरक्षा करना न्यायहित में समाज हित में आवश्यक है।

उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि ग्राम खेड़ा देहात पिलखुआ स्थित खसरा संख्या–548 कुल रकबा 0.126 हे० के संबंध में दिनांक 19-8-2002 को तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं क्षेत्रीय लेखपाल के साथ स्थल पर जाकर जांच की गयी। खसरा नं०–548 के कुल रकबे में .051 हे० रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग में चला गया है शेष रकबा 0.075 हे० राजस्व अभिलेखों में रामचन्द के नाम बतौर सं० भू० इस रकबे के 8×8 वर्ग गज कुल 64 वर्गगज में मन्दिर बना हुआ है मन्दिर के चारों स्तम्भ खड़े हुए हैं और बीच में चबूतरे पर मूर्ति रखी हुई है। मन्दिर के रकबे को सीमांकन कर चिन्हित कर दिया गया है। मौके पर सीमांकन के समय श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, श्री राम भरोसे, श्री चन्द्र सेन तोमर, श्री महेश चन्द्र तोमर, श्री गिरी चन्द शर्मा, तथा अन्य ग्रामवासी उपस्थिति थे। मूल खातेदार रामचन्द भी उपस्थिति थे। उभयपक्षों के मध्य मौके पर समझौता हो गया है एवं विवाद नहीं होने का आश्वासन दिया गया है। सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध किये जा रहे हैं।]

"जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिंदवारी में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों से किसानों की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई न हो पाने विषयक श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा ...

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

[मा० विशम्भर प्रसाद निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19-8-2002 को जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के ग्राम गड़रिया में नलकूप संख्या–5 व 7, डांडा मऊ में नलकूप संख्या–20, पचकौरी में नलकूप संख्या–59, नरायण में नलकूप संख्या–82, मरझा में नलकूप संख्या–83, सवादा में नलकूप संख्या–92, मवईघाट में नलकूप संख्या–105 तथा ब्लाक तिंदवारी के ग्राम बेन्दा में नलकूप संख्या–128

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व भिड़ौरा में नलकूप संख्या–147 के बन्द होने के कारण किसानों के भुखमरी की स्थिति में आने व हजारों एकड़ भूमि सिंचाई के अभाव में खाली पड़ी रहने की सूचना दी गयी है ।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत सभी 10 नलकूप वर्तमान में फेल हैं । नलकूप संगठन के अधीन असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण कराने हेतु एक कार्य योजना "400 नलकूपों का आधुनिकीकरण की योजना" विचाराधीन है । इस कार्य योजना में जनपद बांदा के 10 नलकूप पुनः निर्माण हेतु सम्मिलित किये गये हैं ।]

जनपद बलिया के थाना नरही के ग्राम उभांव के ग्राम प्रधान मो० इलियास को जान से मारने की धमकी देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने विषयक श्री अम्बिका चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जनपद बलिया के थाना नरही ....

श्री कमला यूसुफ मलिक–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुखदेव राजभर–

[उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक बलिया से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 17-8-2002 को ग्राम अमांव के श्री अनवर अली पुत्र स्व० हदीश ने सूचना दिया कि उनको एवं उनके लड़के मुख्तार को ग्राम अमांव के ही शौकत अली पुत्र रोजाद्दीन व इनसामुद्दीन पुत्र स्व० श्री सर्फुद्दीन ने गाली गुप्ता दिया एवं लाठी डंडा से मारे पीटे इस सूचना के आधार पर शौकत अली व इनसामुद्दीन के विरुद्ध असंज्ञेय अपराध सूचना सं०–76/2002 धारा 323/504 भा०दं०वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना में वादी पक्ष को मामूली चोटें आयी थीं । पंजीकृत असंज्ञेय अपराध सूचना की जांच उप निरीक्षक श्री मुहम्मद यासीन द्वारा करते समय मौके पर शान्ति भंग के अंदेशा की स्थिति पर नामित प्रतिवादी इनसामुद्दीन को धारा 151/107/116 दं०प्र०सं० में मौके पर बाजाफ्ता हिरासत पुलिस में लिया गया । दोनों पक्षों में कसीदगी को देखते हुए जांच अधिकारी ने दिनांक 18-8-2002 को दोनों पक्षों के विरुद्ध 107/116 दं०प्र०सं० की चालानी रिपोर्ट परगना मजिस्ट्रेट सदर बलिया के न्यायालय में प्रेषित किया है । दिनांक 17-8-2002 को थाना नरही में उपरोक्त पक्षों के मौजूदगी की बात प्रथम दृष्टया सत्य पायी गयी, जिन्हें पूछतांछ के लिए बुलाया गया था । जहां तक 10-12 हथियार बन्द लोगों द्वारा थाना परिसर में पहुंचकर मुहम्मद इलियास को लात घूसों से मारने की बात है जांच से प्रमाणित नहीं हुई है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आजमगढ़ में आयी आंधी में टूटे बिजली तारों के स्पर्श से हुई एक बालिका की मृत्यु के संबंध में आर्थिक क्षतिपूर्ति का भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

जनपद आजमगढ़ में आयी आंधी में टूटे ...

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री रामवीर उपाध्याय–

[जनपद आजमगढ़ में दिनांक 19-6-2002 को चक्रवाती आंधी तूफान आने के कारण बाज–बहादुर मोहल्ला के एक मकान की दीवार गिर जाने से एक बच्ची दब कर मर गई एवं एक अन्य घायल हो गई जो उपचार के बाद ठीक हो गई । विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किए जाने पर पता चला कि इस मकान के पास बिजली की उच्च विभव की कोई भी लाइन स्थापित नहीं है । अतः विद्युत विभाग द्वारा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का मुआवजा दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।]

काशी विद्यापीठ के पूर्व वाइस चांसलर तथा समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्र देव तथा भारतरत्न डा० भगवान दास की प्रतिमा के गायब हो जाने विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

काशी विद्यापीठ के पूर्व वाइस चांसलर तथा....

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुखदेव राजभर–

[वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में मूर्ति चोरी के दो अभियोग पंजीकृत हुए हैं । प्रथम अभियोग थाना सिगरा पर मु०अ०सं०–279/2002 धारा–379 भा०दं०वि० दिनांक 10-8-2002 को पंजीकृत हुआ है । उक्त अभियोग में काशी विद्यापीठ वाराणसी के खेल मैदान से श्री आचार्य नरेन्द्र देव की एक बस्ट साइज की स्थापित धातु की प्रतिमा, जिस पर काले रंग का पेंट कराया गया था, के अपने पेडस्टल पर से गायब होने की सूचना पंजीकृत की गई । अभियोग की विवेचना जारी है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं मूर्ति बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मूर्ति चोरी का दूसरा अभियोग थाना सिगरा पर मु०अ०सं०–203/2002 धारा–379 भा०दं०वि० दिनांक 13-8-2002 को पंजीकृत हुआ । उक्त मुकदमा श्री बी० आर० कनौजिया, कुल सचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा काशी विद्यापीठ परिसर से भगवान दास केन्द्रीय पुस्तकालय के ठीक सामने स्थापित मूर्ति डा० भगवान दास की गायब होने की सूचना पर पंजीकृत कराया गया । इस अभियोग की भी विवेचना प्रचलित है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

आचार्य नरेन्द्र देव एवं डा० भगवान दास की प्रतिमाओं को बरामद करने एवं इसके अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर से पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन, वाराणसी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।।

श्री अखिलेश कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा का प्रकरण सी०आई०डी० जांच हेतु सुपुर्द किये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 20 अगस्त को माननीय प्रमोद कुमार जी ने नियम–51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, जो श्री अखिलेश कुमार सिंह के सम्बन्ध में थी और सी०आई०डी० जांच के सुपुर्द मामला कर दिया जाय, यह मांग की थी । वक्तव्य में शासन की ओर से कहा गया था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें निर्णय लेने से पहले जनपद पुलिस से आख्या मांग लेनी चाहिए फिर उस पर विचार करना चाहिए । आख्या आ गई है और उस पर विचार किया जाएगा । इसमें दो–तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था । एक बात तो इसमें यह थी कि अखिलेश कुमार सिंह के सुरक्षा में लगे पांच सिपाहियों ने शपथ-पत्र दिया है कि घटना के दिनांक पर तीन बजे तक वह अपने घर पर ही मौजूद थे । माननीय प्रमोद कुमार जी ने 2-3 तथ्यों का और उल्लेख किया है तो मैं समझता हूं कि शासन को इन सभी चीजों पर एक सम्यक विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी, प्रमोद कुमार जी ने जिन तथ्यों का जिक्र किया है, उसके साथ-साथ जनपद पुलिस से जो भी आख्या आई हो, उसके सम्बन्ध में निर्णय ले लें कि मामला सी०आई०डी० के सुपुर्द करना है या नहीं करना है ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उस दिन भी मैंने कचहरी वाली घटना का जिक्र किया था, जिसमें इन्द्रदेव सिंह की हत्या होती है और उसमें वह अभियुक्त नामित होता है, वह थाने में बैठाये जाते हैं, इसके बावजूद भी सी०आई०डी० जांच के आदेश हो जाते हैं । मान्यवर, इसमें तो पांचों सिपाहियों ने शपथ-पत्र भी दिया है । मान्यवर, आप दोनों परिस्थितियों को देख लें । मान्यवर, जैसा अखिलेश कुमार सिंह के साथ हुआ है, वह किसी भी विधायक के साथ हो सकता है । श्रीमन्, ये दोनों के बीच का मामला है । मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए, सी०आई०डी० जांच कराने का आदेश अगर आप नहीं करेंगे तो कौन सुनेगा, और कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष–

जब शपथ-पत्र का उल्लेख आपने इस सदन में किया था और जब इस पर कोई बयान देता है तो उसकी एक अवधारणा होती है । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जो वक्तव्य इस सदन में नियम–51 में की सूचना पर दिया था उसमें मात्र केवल इतनी बात थी कि जनपद पुलिस की आख्या आ जाय । अब शपथ-पत्रों आदि का संज्ञान लेते हुए तथा माननीय प्रमोद कुमार जी ने सदन में जो उल्लेख किया है

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

उसका संज्ञान संसदीय कार्य-मंत्री जी लें और उसके अनुरूप निर्णय ले लें । प्रमोद कुमार जी आप सोमवार को इस सदन को सूचित कर दीजिए कि आपने क्या विचार किया है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने तो इसमें जांच के लिए अनुरोध किया है । इसमें आप क्या उचित समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं तो समझता हूं कि पहले शासन का निर्णय आ जाये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जबकि पांच-पांच सुरक्षा कर्मी जो सरकारी वेतन ले रहे हैं उन्होंने बयान दिया है वह उस दिन घर पर थे । यह मान्यवर, कल आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है या किसी सम्मानित सदस्य के साथ हो सकता है । जब पांच-पांच सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि वह नहीं हैं फिर भी उनको नामित किया जा रहा है । मान्यवर, वर्तमान सदस्य के साथ ऐसा होगा और सदन में मामला उठने के बाद भी कुछ नहीं किया जायेगा तो फिर सदन का औचित्य क्या रह जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

आप विचार कर, निर्णय लेकर कल सूचित कर दीजिएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

राम कुमार वर्मा जी एक दल विशेष के थे उनके लिए थाने में ही आर्डर कर दिया गया यह दूसरे दल के हैं इसलिए आदेश नहीं दिया गया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, प्रमोद कुमार जी ने जो बात उठायी है, उन्होंने आपकी पीठ से मांग की है । सरकार तो उनको फंसा रही है, सरकार की मंशा फंसाने की है इसलिए माननीय प्रमोद कुमार जी ने अपनी व्यथा आपको सुनाई । वर्तमान माननीय सदस्य उस काण्ड में नहीं थे यह बात सारे सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि वह लखनऊ में थे । वह साजिश से फंसाये जा रहे हैं । फिर भी आप कह रहे हैं कि निर्णय ले लीजिए । इस पर आप स्वयं निर्णय लें ।

श्री अध्यक्ष–

आज का निर्णय यही है कि शासन विचार करके जब नियम–51 की सूचना सोमवार को ली जाये उस समय सूचित कर दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जो बात तिवारी जी और माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कही है । एक वर्तमान सदस्य का मामला है । हम इतनी बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लें । आप इसकी जांच करा लें । जांच एजेन्सी परिवर्तित करने की बात है, जांच एजेंसी परिवर्तित करके जांच करा लें और जो रिपोर्ट आ जाये उसके बाद अगली कार्यवाही करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

संसदीय कार्य-मंत्री जी को इतनी उदारता दिखानी चाहिए थी कि एक सदस्य का मामला है और संसदीय कार्य-मंत्री जी तत्काल उठकर यह कह देते कि एक सदस्य का मामला है, हम जांच एजेंसी बदल देंगे । लेकिन वह उदारता नहीं दिखा रहे हैं । जांच एजेंसी बदल दें, इसकी निष्पक्ष जांच हो जाये उसके बाद जो तथ्य आयें उसके अनुरूप कार्यवाही हो । सी०बी०सी०आई०डी० से जांच करा दें । मैं कहां कह रहा हूं कि दफायें खत्म कर दें या बेदाग बरी कर दें । मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि एक

सदस्य की स्वतंत्रता पर कुठाराघात न हो । अगर यहां संरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर सदन का औचित्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

सभी सदस्यों को संरक्षण मिलता है, यह सबको मालूम भी है । एक निर्णय आ जाये, उसके बाद सदन में हम भी हैं और आप भी हैं ।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक दिनांक 14 अगस्त, 2002 को पूछे गये अता० प्र० सं–1 के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रसाद द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–29–27 अगस्त, 2002 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

अब हम उठते हैं, कल दि० 24 अगस्त, 2002 को 11.00 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 23 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर।)

नगर निगम, वाराणसी

वित्तीय वर्ष 99–2000 अन्तर्गत रोड कटिंग के कार्यों का विवरण।

1–भारत सेवा आश्रम संघ से सिगरा मरीमाई क्रासिंग तक
2–सिकरौल वार्ड प्रथम में डिठोरी महाल में म०नं०–एल०–2/105 से 2/114 तक
3–चौक वार्ड में वाह मामा में सी–42/23 से 42/62 तक
4–सिकरौल वार्ड द्वितीय में खजुरी में एस०–8/31 से 9/188 तक
5–सारनाथ में पहडिया मार्ग अशोक बिहार फेज–1
6–सिकरौल वार्ड में मलदहिया पानी टंकी पंचवटी मंदिर के पास
7–आदमपुर वार्ड में जी०टी०रोड० से हनुमान फाटक से होकर ए०–34/120 तक
8–चेतगंज वार्ड में सी०–7/16 से गंगा पैलेश विशाल होटल तक मलदहिया पिशाचमोचन लाजपत नजर होकर शास्त्रीनगर
9–जदद् मण्डी में गली में
10–औरंगाबाद से लक्सा एवं गीता मंदिर गेट से लक्सा चौराहे तक
11–आदमपुर वार्ड में कोयला बाजार भाग की
12–सुकुलपुरा मुख्य मार्ग से बस्ती में गायत्री नगर तक
13–सुन्दरपुर में करौदी तक
14–सुन्दरपुर सब्जी मण्डी से दशमी सरायनन्दन नगवा चौराहे से लेकर लंका पुलिस स्टेशन तक
15–कृष्णापुरी कालोनी छोटी गेवी नगर कालोनी प्रताप नगर
16–सलीम फाटक गढ़वाघाट म०नं०सी०–13/11 से 13/110 सराय फाटक धोबियाना
17–अशोक नगर अमर नगर कालोनी
18–अशोक होटल से पंचायत भवन सी०–14/174–41 स्वीपर बस्ती
19–बादशाह बाग रमाकान्त नगर
20–श्री नगर कालोनी
21–लल्लापुरा रोड से जवाहर नगर सोनिया रोड
22–जे० 11/4 से 11/8 तक जे० 1/117 ई०जे० 8/23 से जे० 11/63 तक
23–सिगरा वार्ड में जय प्रकाश नगर तिराहा से बजरंग नगर कालोनी में
24–आभियाना बिल्डिंग मीरबाग में भार सेवाश्रम आश्रम सोनिया रोड तक
25–चौक वार्ड में मुलानाला सुडिया तिराहे से ठठेरी बाजार तक गलियां
26–औरंगाबाद धोबियाना कालीकहास सूरजकुण्ड लल्लापुरा
27–सिगरा थांना क्रासिंग से एकरात की मस्जिद तक गुलाब बाग चन्द्रभान वेलवेट आइसक्रीम तक
28–के०–67/40, 67/91, 67/66, 67/86 से 67/66–10 तक
29–धंटी मिल से कैंसर हास्पिटल तक
30–सिगरा चौराहा रथयात्रा चौराहा फातमान रोड एवं सिगरा थाना

31–विशेश्वरगंज में कूड़ाखाने की गली
32–प्रह्लाद घाट क्षेत्र में
33–जैतपुरा से ताड़ीखाना के दुकान के पास
34–जैतपुरा में जी०टी० रोड से मस्जिद तक
35–एस०टी० कालेज से कब्रिस्तान बाबा महावीर रोड ।

नगर निगम, वाराणसी

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में टेन्थ मद अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण ।

1–सेलटैक्स आफिस श्री राजनारायण के आवास तक पेवर मशीन द्वारा मार्ग सुधार ।
2–लल्लापुरा वाडाबकरा में सी०–13/136 से 19/135 तक गली सुधार ।
3–सी०–13/107 से 13/108 तक गली सुधार ।
4–गणेश महाल में डी०–34/22 से 34/27 तक गली सुधार ।
5–गणेश महाल में सी०–35/228 से 35/230 तक गली सुधार ।
6–जगजीवन पुरा में मस्जिद वाली गली का सुधार कार्य ।
7–खालिसपुरा में सी०–33/27 से 33/7 होते हुए सी०–34/133 तक ।
8–गंगा महल में सी०–25/17 से डी०–25/21 तक गली सुधार ।
9–औरंगाबाद से जयशंकर प्रसाद चौरसिया के मकान से डी०–55/188–सी वाया 55/162 तक गली सुधार ।
10–औरंगाबाद में मुमताज शहनाई वाले से शीतला सेठ के मकान तक ।
11–टेडीनीम 38/135 से दशास्वमेघ मुख्य मार्ग गली सुधार ।
12–भगवत नगर में बी०–1/148–सी–10 तक गली सुधार ।
13–कमच्छा में बी०–31/35 से 34 तक गली सुधार ।
14–रेवड़ी तालाब में 18/52–6 से 18/25–10 तक गली सुधार ।
15–बी०–30/86 से 122 तक गली सुधार ।
16–रेवड़ी तालाब में बी०–18/27–ए से 18/78 तक गली सुधार ।
17–अवधगर्वो में बी०–51/35 से 5/280 तक गली सुधार ।
18–सीकें 38/41 से 40/50 तक गली सुधार ।
19–सीकें 5/32 से 7/8 तक गली सुधार ।
20–सीकें 7/62 से 7/50 तक गली सुधार ।
21–सीकें 39/62 से 39/36 तक गली सुधार ।
22–सीकें 12/42 से मणिकर्णिकाघाट तक गली सुधार ।
23–जे 26/179 से 26/165 तक गली सुधार ।
24–जी०टी० रोड से जे०–15/56 से 14/65 तक गली सुधार ।
25–शाकराबाद में गली सुधार ।
26–आजाद पार्क के पास गली सुधार ।
27–अर्दली बाजार एस०–2/6 से 3/141 तक गली निर्माण ।
28–डिठोरी महाल में 2/127ए से सर्किट हाउस तक ।

29–धौसाबाद लच्छीपुरा में एस०–8 ब्लाक के पास ।
30–ए०–39/230 से 39/223 तक गली सुधार ।
31–ए०–38/331 होते हुए ए०–38/184 तक गली सुधार ।
32–ए०–38/320 से 39/223 तक सुधार ।
33–धोबीघाट कालोनी से ए०–38/37 तक सीवर बिछाना ।
34–जी० टी० रोड से हनुमान फाटक तक सड़क सुधार ।
35–लल्लापुरा रोड ट्रेन्च मरम्मत ।
36–सी०–1/5 से 1/6–10 तक गली सुधार ।
37–पाण्डेय हवेली में गली सुधार ।
38–बड़ादेव में गली सुधार ।
39–मजदा सिनेमा के सामने गली में सीवर व गली पीठ सुधार ।
40–सनातन धर्म में डी 51/68 तक गली सुधार ।
41–कालिया गली में सुधार ।
42–अगस्त कुण्डा में गली सुधार ।
43–रानी भवानी शकरकन्द गली का सुधार कार्य ।
44–बी०–2/130 से 2/160 सी–1 तक गली सुधार ।
45–बी० 1/8 से 1/80 तक गली सुधार ।
46–शेनपुरा में गली सुधार ।
47–17/163 से 17/138 तक गली सुधार ।
48–बी० 12/83 से 12/60 तक गली सुधार ।
49–सुतटोला सीकें 3/1 से 4/20 तक गली सुधार ।
50–डी–65/108 से 132 तक गली निर्माण ।
51–निरालानगर में क्षतिग्रस्त सुधार ।
52–मोहल्ला छित्तुपुरा में सी०–33/118–3 से 146 तक गली निर्माण ।
53–मोहल्ला छोटी देवी में डी०–60/90 से 100 तक गली सुधार ।
54–मोहल्ला छोटी देवी में सी०–60/30 से 11 तक गली सुधार ।
55–आगागंज में जे०–28/1 से 28/31 तक गली सुधार ।
56–जे० 30/60 से काली जी मन्दिर तक ।
57–जे० 20/1 से 20/37 तक गली सुधार ।
58–आजाद पार्क दक्षिण का सड़क सुधार ।
59–आजाद पार्क के पास सुधार ।
60–विश्वानगरम पोर्ट में जी० टी० रोड तक गली सुधार ।
61–सी०–18/1 से 18/78 तक गली निर्माण ।
62–देबेलवरिया से रेलवे पुलिया बिहारी मन्दिर तक गली सुधार ।
63–रमरेपुर से पड़डिया वाले मार्ग का सुधार ।
64–लालपुर सा० 3/160क–10 से 3/160क–13ए तक ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

65–नई बस्ती में नाला निर्माण ।
66–मोहाल में गली एवं सीवर का अवशेष कार्य ।
67–मोहल्ला हाता सा० 18/74 से सा० 17/78 तक गली में सुधार ।
68–पाण्डेयपुरा द्वितीय बस्ती में गली निर्माण ।
69–ए० 35/14 से 65/69 होते हुए ।
70–कजाकपुरा में सड़क सुधार ।
71–सरैया में ए० 31/155 से राजीवगांधी स्कूल तक सड़क सुधार ।
72–ए० 36/225 से ए० 36/166 तक सीवर एवं चौका लगाना ।
73–बजरडिहा में गली सुधार ।
74–रानीपुर कैलापुरी आश्रम तक सड़क सुधार ।
75–शिवरतन पुर होते हुए सड़क सुधार ।
76–डी० 36/17 के पास गली सुधार ।
77–भिखारीपुर मोड़ के बंगाल स्वीट ।
78–महिला पालिटेक्निक का गली सुधार ।
79–लदडन तालाब में सीवर एवं गली सुधार ।
80–हसनपुरा में ए० 26/62 से 27/33 तक गली सुधार ।
81–ए० 20/87 से श्यामचौक तक गली सुधार ।
82–मल्दहिया क्रासिंग से लोहा मण्डी होते हुए मरी माई तक ।
83–लल्लापुरा में सी० 15/134ए से मुस्लिम गर्ल्स स्कूल तक गली सुधार ।
84–सी० 13/02 सी 13/36 सी 13/61 से औरांगाबाद रोड तक गली सुधार ।
85–सी० 3/61 से 3/76 तक गली सुधार ।
86–जियापुरा में सी० 10/50 से 10/31 तक गली सुधार ।
87–पिशाचमोचन से रमाकांत नगर बादशाहबाग होते हुए ।
89–रामापुरा में गली सुधार ।
90–अगस्तकुण्ड में डी० 36/112 से 36/20 होते हुए 36/125 तक ।
91–जद्दूमण्डी 34/145 दानवीर हनुमान मन्दिर तक गली सुधार ।
92–संतोषी माता मन्दिर से कुण्ड तक गली सुधार ।
93–के० 67/58–67/55, 67/52 तथा क० 67/122 विशेश्वरगंज में ।
94–के० 66/1–ए से 66/1 मोहल्ला नरहरपुरा में गली मरम्मत ।
95–कालभैरव मन्दिर से चौखम्भा सट्टी होते रंगीनदास फाटक तक ।
96–के० 41/16 के० 13/8 व के० 27/18 तक मु० बीबी हटीयाधासीटोला ।
97–के० 57/44 से 57/75, 57/53, 57/167 तक ।
98–के० 31/1 से 26/13 से के० 26/23 तक ट्रेन्च मरम्मत ।
99–के० 23/76, के० 23/46, 23/62 मो० दुधविनायक गली मरम्मत ।
100–के० 11/15, 6/12 के० 43/4 से 31/2 तक ।
101–सिद्धगिरिबाग के ब्रान्च सड़कों का निर्माण ।

102–डी० 61/38ई–ए से 61/38 एफ होते हुए रामकृष्ण विद्यामन्दिर ।
103–मोहल्ला छोहरा में जे० 30/52 ए से 30/031 व 30/77 तक ।
104–जे० 26/186 से 25/74 तक गली सुधार ।
105–जे० 17/117 से 17/87 तक गली सुधार ।
106–जे० 28–118 से 28/110 तक गली सुधार ।
107–जे० 13/15बी–3–1 दो समानान्तर गली सुधार ।
108–जे० 11/64 से 11/86 तक गली सुधार ।
109–जे० 24/163 से 24/170 तक गली सुधार ।
110–प्रेम श्रीवास्तव के मकान से डा० दिनानाथ के मकान तक ।
111–जौनपुर मुख्य मार्ग से जटाशंकर के मकान तक गली सुधार ।
112–अरविन्द कुमार मौर्य के मकान से प्यारे लाल के मकान तक ।
113–सा० 16/32 से 16/43 तक गली सुधार ।
114–जलालीपुरा ए 35/48 तक 35/45 तक गली सुधार ।

नगर निगम वाराणसी

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में ड्रेन्ज मद अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

1–दौलत पुर में गाजीपुर पाण्डेय पुर मार्ग से सा० 4/67ए–2 तक ।
2–सराय गोवर्धन का सी० 4/364 से 4/312 तक ।
3–सीके० 46/10 ए बेनिया टेलीफोन आफिस एवं 66/209 से 148 तक ।
4–मलदहिया क्रासिंग वाया लाजपत नगर से बादशाहबाग कालोनी ।
5–गांधीनगर कालोनी में रोड कटिंग ।
6–रथयात्रा सिगरा एवं सिगरा महमूरगंज मार्ग तक ।
7–महमूरगंज रानीपुर मोतीझील होते हुए श्रीराम नगर कालोनी से रामजानकी मन्दिर तक ।
8–सारनाथ रूपनपुर में रोड कटिंग ।
9–सारनाथ मवैया में रोड कटिंग ।
10–मो० पैगम्बर पुर सा० 20/141 से चकवीही टडिया मार्ग तक ।
11–मलदहिया से एस० 20/114 ई० तक ।
12–एस० 21/95 से 21/103 तथा 21/10 से 21/22 तक ।
13–मलदहिया रोड से डा० जमीलादाऊद तक ।
14–एस० 21/126 से 27/128–सी० तक ।
15–जी० टी० रोड बस अड्डा बाऊन्ड्री से कार्यालय उप निदेशक (मत्स्य) तक ।
16–एस० 21/11 से 21/52 तक ।
17–गिरजाघर क्रासिंग से बेनियाबाग डी० 37/100 मो० महादेव ।
18–मो० इन्द्रपुर में रोड कटिंग ।
19–मो० कादीपुर में रोड कटिंग ।
20–सेन्ट्रल जेल रोड से भीमनगर श्री सुबोध राय के मकान तक ।
21–शिवपुर बाजार सद्भावना कम्यूनिकेशन से एस०एस० 30/26 तक ।

22–शिवपुर एस० एच० 29/281 से 233–ई–1 तक ।
23–बाईपास रोड से सुद्दीपुर जाने वाले मार्ग पर ।
24–मलदहिया क्रासिंग से पटेलनगर कालोनी तक ।
25–डी० 11/1 से 12/28 कोतवालपुरा तक ।
26–डी० 1/1 से 1/39 और 1/1 से 15/2 तक ।
27–सिंह मेडिकल सेन्टर से डा० जमीला दाऊद तक ।
28–पंचकोसी रोड शिवमणल विद्यालय से चौड़ा माता मन्दिर तक ।
29–सा० 21/106. 21/48ए–2 तक ।
30–सा० 15/146–क से 15/196 तक ।
31–गोदौलिया क्रासिंग से बेनियाबाग तक 2 ।
32–पहडिया में गाजीपुर पाण्डेय पुर मार्ग से 17/1ए–4ई० तक ।
33–ईदगाह सक्कर तालाब से शौपुत्री देवी मन्दिर चौराहे तक ।
34–सी० के० 39/1 से 67/1 तक ।
35–सदानन्द बाजार जगजीवन पुरवा में ।
36–सी० के० 48/34 से 49/23ए व 50/18 से 60/35 तक हडहाकूड़ा घर से बेनिया कूड़ा घर तक ।
37–मच्छोदरी पार्क से प्रहलाद चौराहे होते हुए जी० टी० रोड तक ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 5 विधान सभा (5)–7-4-03–813 (डी०टी०पी०) ।